



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939

No. 26]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 12 जनवरी, 2018

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2018

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/2/149/2018.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

उद्देश्य: इन विनियमों का उद्देश्य बीमा मध्यवर्ती के रूप में बीमा दलाल का पर्यवेक्षण और निगरानी करना है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 कहलाएँगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा ऐसी तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 का अधिक्रमण करेंगे।

अध्याय-1

2. परिभाषाएँ – (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- क. "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- ख. "आवेदक" से बीमा दलाल के रूप में पंजीकरण के लिए व्यक्ति अभिप्रेत है जैसा कि इन विनियमों में उल्लिखित है;
- ग. "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- घ. "दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और प्राप्ति में लगा हुआ बीमा दलाल का कर्मचारी अथवा निदेशक है तथा जिसने उनके लिए निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है;
- ङ. "सम्मिश्र दलाल" से प्राधिकरण के पास पंजीकृत वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक और/या शुल्क के लिए भारत में और/या विदेश में स्थित बीमाकर्ताओं और/या पुनर्बीमाकर्ताओं के पास अपने ग्राहकों के लिए बीमा और/या पुनर्बीमा की अपेक्षा करता है और उसकी व्यवस्था करता है; और/या इन विनियमों के अंतर्गत अनुमति-प्राप्त परामर्श कार्य (कन्सल्टेन्सी), जोखिम प्रबंध सेवाएँ अथवा इसी प्रकार की अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- च. "प्रत्यक्ष दलाल" से प्राधिकरण के पास पंजीकृत वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक और/या शुल्क के लिए भारत में स्थित बीमाकर्ताओं के पास अपने ग्राहकों के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और उसकी व्यवस्था करता है और/ या इन विनियमों में अनुमति-प्राप्त परामर्श कार्य (कन्सल्टेन्सी), जोखिम प्रबंध सेवाएँ अथवा इसी प्रकार की अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- छ. "जाँच अधिकारी" से प्राधिकरण का कोई अधिकारी, अथवा बीमा व्यवसाय में अनुभवप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी बीमा दलाल के विरुद्ध जाँच करने के लिए विनियम 52 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त है;
- ज. "शुल्क" से इन विनियमों के अंतर्गत अनुमति-प्राप्त रूप में ग्राहक को प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए ग्राहक से बीमा दलाल द्वारा प्राप्त किया गया भुगतान अभिप्रेत है जिसमें दावा परामर्श कार्य, जोखिम प्रबंध सेवा अथवा इसी प्रकार की अन्य सेवाएँ शामिल हैं जो प्रीमियम अथवा दावा राशि का प्रतिशत नहीं हैं।
- झ. "फार्म" से इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म अभिप्रेत हैं;
- ञ. "निरीक्षण प्राधिकारी" से विनियम 42 में बताये गये कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त उसके एक अथवा अधिक अधिकारी अभिप्रेत हैं;
- ट. "बीमा दलाल" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा फिलहाल पंजीकृत प्रत्यक्ष दलाल, पुनर्बीमा दलाल अथवा सम्मिश्र दलाल है, जैसी स्थिति हो, जब तक इसके विरुद्ध सुस्पष्ट रूप से नहीं बताया गया हो;
- ठ. "प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति" में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य विपणन अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, मुख्य तकनीकी अधिकारी/ प्रमुख-आईटी, प्रमुख-पुनर्बीमा और अनुपालन अधिकारी शामिल हैं।
- ड. 'व्यक्ति' से अभिप्रेत है-
- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाई गई कंपनी; अथवा

- (ii) सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 अथवा सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए किसी भी विधि के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति; अथवा
- (iii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनाई गई सीमित देयता वाली भागीदारी जिसमें कोई भी भागीदार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) (फेमा) की धारा 2 के खंड (डब्ल्यू) में परिभाषित रूप में भारत के बाहर स्थित अनिवासी संस्था/भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति न हो, तथा उसके अधीन पंजीकृत विदेशी सीमित देयता वाली भागीदारी न हो; अथवा
- (iv) बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति;
- ढ. "प्रधान अधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो बीमा दलाल के कार्य करने के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में कर्तव्य और दायित्व निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए इस रूप में पदनामित कार्यकारी भूमिका में है तथा जो बीमा दलाल के कार्य करने के लिए एकमात्र रूप से नियुक्त / नियोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक, प्रबंध भागीदार अथवा प्रबंध न्यासी अथवा इसी प्रकार का व्यक्ति है;
- ण. "विनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 अभिप्रेत हैं;
- त. "पुनर्बीमा दलाल" से प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत वह बीमा दलाल अभिप्रेत है, जो पारिश्रमिक और/या शुल्क के लिए भारत में और/ या विदेश में स्थित बीमाकर्ताओं और/ या पुनर्बीमाकर्ताओं के पास अपने ग्राहकों के लिए पुनर्बीमा की अपेक्षा और व्यवस्था करता है; तथा इन विनियमों के अंतर्गत अनुमति-प्राप्त दावा परामर्श कार्य, जोखिम प्रबंध सेवाएँ अथवा इसी प्रकार की अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- थ. "जोखिम प्रबंध" से बीमा दलाल के द्वारा अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार का बीमा जोखिम प्रबंध उपलब्ध कराना अभिप्रेत है, जैसे अपने ग्राहक के लिए जोखिम आकलन, जोखिम परामर्श, जोखिम न्यूनीकरण अथवा जोखिम अल्पीकरण;
- द. "समामेलन की योजना" अथवा "विलय और अधिग्रहण" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 – 240 के अनुसार बनाई गई योजना अभिप्रेत है;
- ध. "व्यवसाय के अंतरण की योजना" से बीमा दलाल के व्यवसाय / आस्तियों के पूर्णतः अथवा अंशतः अंतरण के लिए योजना अभिप्रेत है;
- न. "अपेक्षा" - (सॅलिसिटेशन) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु बीमा अथवा पुनर्बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहक को मनवाने के उद्देश्य से बीमाकर्ता अथवा मध्यवर्ती द्वारा ग्राहक के साथ संपर्क के रूप में परिभाषित है;
- प. "अंतरणकर्ता" (ट्रान्सफरर) से वह पंजीकृत बीमा दलाल अभिप्रेत है जो किसी अन्य पंजीकृत बीमा मध्यवर्ती को व्यवसाय का अंतरण करता है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अथवा साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों, जैसी स्थिति हो, में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय – II**पंजीकरण प्रमाणपत्र का पंजीकरण और नवीकरण****3. बीमा दलालों की श्रेणियाँ –**

(1) बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन निम्नलिखित किसी एक अथवा उससे अधिक श्रेणियों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :

(क) प्रत्यक्ष दलाल (जीवन)

(ख) प्रत्यक्ष दलाल (साधारण)

(ग) प्रत्यक्ष दलाल (जीवन और साधारण)

(घ) पुनर्बीमा दलाल

(ङ) सम्मिश्र दलाल

(2) एक आवेदक अथवा उसकी समूह संस्थाओं के लिए साधारणतः एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। तथापि, बीमा दलाल पंजीकरण हेतु आवेदन, जहाँ कोई आवेदक अथवा उसकी समूह संस्थाएँ बीमा दलाली सहित बीमा मध्यस्थता में पहले से ही लगी हुई हैं, पर गुण-दोष के आधार पर तथा हितों का कोई संघर्ष न होने के अधीन विचार किया जाएगा।

टिप्पणी: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, "समूह" की परिभाषा का अर्थ वही होगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 अथवा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये किसी अन्य निर्देश में परिभाषित है।

4. बीमा दलाल के कार्य : प्रत्यक्ष दलाल, पुनर्बीमा दलाल और सम्मिश्र दलाल के कार्य इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म ए में दर्शाये गये हैं।

भाग – क**नया पंजीकरण प्रमाणपत्र****5. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रस्तुतीकरण–**

- (1) बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन प्राधिकरण को इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म बी के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट आवेदन फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन उपर्युक्त विनियम 3 के अनुसार होगा।
- (3) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन इन विनियमों की अनुसूची-I –फार्म सी में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन इन विनियमों की अनुसूची-I – फार्म डी में विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

6. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो –

- (1) ऐसा कोई भी आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो तथा अनुसूची I – फार्म बी और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो एवं प्राधिकरण की अपेक्षाओं और/या निदेशों का पालन नहीं करता हो, अस्वीकृत किया जाएगा।

बशर्ते कि, ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभी प्रकार से आवेदन को भरने और त्रुटियाँ, यदि कोई हों, तो उन्हें सुधारने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा।

7. सूचना का प्रस्तुतीकरण, स्पष्टीकरण और वैयक्तिक निरूपण –

- (1) प्राधिकरण आवेदक से आवेदन के निपटान के प्रयोजन से तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जानेवाले किसी भी विषय के संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना और/या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और/या कुछ अपेक्षाओं का पालन करने के लिए आवेदक को निदेश दे सकता है।
- (2) प्राधिकरण आवेदक को प्राधिकरण द्वारा मांगी गई अपेक्षाएँ/स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना आदि प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करने का अवसर देगा।
- (3) यदि अपेक्षित हो तो आवेदक अपने प्रधान अधिकारी के साथ आवेदन के संबंध में वैयक्तिक निरूपण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।
- (4) प्राधिकरण इस प्रकार उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन के संबंध में कार्रवाई/निपटान के लिए आवश्यक होनेवाली कोई भी सूचना/आंकड़े/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निदेश दे सकता है।
- (5) आवेदक ऐसी अतिरिक्त सूचना और/या स्पष्टीकरण स्वयं ही अविलंब प्राधिकरण की जानकारी में लाएगा, जो उनके आवेदन पर विचार किये जाने से संबंधित हो।

8. आवेदन पर विचार –

- (1) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण बीमा दलाल द्वारा कार्य संचालित करने से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा।
- (2) उपर्युक्त (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण विशेष रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:-
 - (क) क्या आवेदक अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनर्हताओं में से किसी भी अनर्हता से ग्रस्त तो नहीं है;
 - (ख) क्या आवेदक के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ हैं, जैसे, पर्याप्त कार्यालय परिसर, उपकरण, प्रशिक्षित श्रमशक्ति और आईटी संबंधी बुनियादी व्यवस्था, ताकि वह अपने कार्यकलाप प्रभावी ढंग से संपन्न कर सके;
 - (ग) क्या आवेदक के पास उसकी सेवा में कम से कम ऐसे दो व्यक्ति हैं जो अनुसूची I – फार्म ई में विनिर्दिष्ट आवश्यक योग्यताएँ और बीमा दलाल का कारोबार संचालित करने के लिए अनुभव रखते हैं और यदि आवेदक के कुछ शाखा कार्यालय हैं तो प्रत्येक शाखा कार्यालय में एक व्यक्ति है जो इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म ई में विनिर्दिष्ट आवश्यक योग्यताएँ और बीमा दलाल का कारोबार संचालित करने के लिए अनुभव रखता है।

टिप्पणी : यदि बीमा दलाल दोनों जीवन और साधारण बीमा कारोबार संचालित करना चाहता है, तो प्रत्येक के विषय में जीवन और साधारण बीमे का संबंधित अनुभव तथा इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म ई में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएँ रखनेवाला कम से कम एक व्यक्ति कंपनी में उपस्थित होना चाहिए। किसी भी शाखा से अर्हता-प्राप्त व्यक्ति के प्रस्थान की स्थिति में उक्त प्रभार तदर्थ आधार पर किसी अन्य अर्हता-प्राप्त व्यक्ति को दिया जा सकता है तथा बीमा दलाल यथासंभव शीघ्रतम समय में उपयुक्त रूप से दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति

को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। तथापि, ऐसी व्यवस्था की सूचना प्राधिकरण को देना आवश्यक होगा। यदि बीमा दलाल अपने नियंत्रणाधीन किसी भी शाखा कार्यालय में इस शर्त का पालन नहीं करते, तो वे उस शाखा में कोई कारोबार तब तक नहीं करेंगे जब तक इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म ई में विनिर्दिष्ट रूप में दलाल की आवश्यक अर्हताओं से युक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता।

(घ) क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया है।

स्पष्टीकरण :- इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति के मामले में रिश्तेदार तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा निगमित निकाय के मामले में आवेदक का कोई सहयोगी, सहायक, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शब्दों के अर्थ वही होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतियोगिता अधिनियम, 2002, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए माने गये हैं।

(ङ) क्या आवेदक विनियम 19 में यथाविनिर्दिष्ट पूंजीगत अपेक्षाएँ; विनियम 22 में यथाविनिर्दिष्ट निवल मालियत (नेट वर्थ) संबंधी अपेक्षा तथा विनियम 23 में यथाविनिर्दिष्ट जमा संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करता है।

(च) क्या आवेदक का प्रधान अधिकारी इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म ई में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक अर्हता रखता है, परीक्षा उत्तीर्ण की है, आवश्यक प्रमाणपत्र रखता है और इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म ई में यथाविनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाएँ पूरी करता है। इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म एफ के अंतर्गत अपेक्षित सूचना आवेदक के प्रधान अधिकारी के अतिरिक्त निदेशक(निदेशकों)/ प्रवर्तक (प्रवर्तकों)/ भागीदार (भागीदारों)/मुख्य प्रबंध कार्मिकों द्वारा भी प्रस्तुत की जाएगी।

(छ) क्या प्राधिकरण की राय में आवेदक का प्रधान अधिकारी अधिमानतः बीमा क्षेत्र में उसके अनुभव को देखते हुए इस प्रकार नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त है।

(ज) क्या प्रधान अधिकारी/निदेशक/प्रवर्तक/भागीदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म जी में दिये गये विवरण के आधार पर योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) हैं।

(झ) क्या प्रधान अधिकारी और/या बीमा दलाल के किसी अन्य अधिकारी ने इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म एच और अनुसूची I – फार्म आई, जैसा लागू है, में यथाविनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन किया है;

(ञ) क्या आवेदक संस्था के बहिर्नियमों (एमओए) / संस्था के अंतर्नियमों (एओए) अथवा उनके समकक्ष के मुख्य उद्देश्य खंड के अलावा किसी अन्य कारोबार में लिप्त तो नहीं है;

(ट) क्या आवेदक के प्रवर्तक/निवेशक/विदेशी निवेशक/ भागीदार आवेदक संस्था में निवेश करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय स्थिति रखते हैं।

(ठ) क्या दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म ई में उल्लिखित अपेक्षाएँ पूरी करते हैं तथा ऐसे दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों की एक सूची प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

- (ड) क्या प्राधिकरण ने आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन अस्वीकार किया है अथवा आवेदक ने किसी भी समय किसी भी कारण से आवेदन को वापस लिया है।
- (ढ) क्या आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से वर्तमान उद्यम के विदेशी निवेशक अथवा भारतीय प्रवर्तक ने प्रस्थान किया है। बशर्ते कि प्राधिकरण पॉलिसीधारकों के हितों तथा बीमा क्षेत्र की समग्र संवृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष के प्रतीक्षा-समय से अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले समय तक इस शर्त को शिथिल कर सकता है।
- (ण) क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम पॉलिसीधारकों के हित में होगा।

9. शुल्क का भुगतान और शुल्क अदा न करने के परिणाम –

- (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने और पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक ऐसा शुल्क ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के अंदर अदा करेगा जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म डी में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (2) प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर कार्रवाई नहीं करेगा जिसके साथ अपेक्षित शुल्क प्रस्तुत नहीं किया जाता।

10. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम की प्रक्रिया –

- (1) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी करता है, पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम हेतु अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवेदक को सिद्धांततः अनुमोदन जारी करेगा।
- (2) प्राधिकरण सिद्धांततः अनुमोदन में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदि की अन्य शर्तों में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के विषय में स्वयं संतुष्ट होने पर श्रेणी निर्दिष्ट करते हुए इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म जे में निर्धारित रूप में एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।
- (3) पंजीकरण प्रमाणपत्र समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में शर्तों और आचरण-संहिता का बीमा दलाल के द्वारा पालन किये जाने के अधीन जारी किया जाएगा।
- (4) एक विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकृत बीमा दलाल इन विनियमों की अपेक्षाएँ पूरी करते हुए किसी अन्य श्रेणी हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए भी आवेदन कर सकता है। तथापि, इस प्रकार का आवेदन पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने से एक वर्ष पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।
- (5) यदि इन विनियमों के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा पिछले विनियमों के अधीन जारी किया गया लाइसेंस निरस्त अथवा अभ्यर्पित किया जाता है अथवा उसका नवीकरण प्राधिकरण द्वारा एक आदेश के जरिये उसमें विनिर्दिष्ट किये गये कारणों से अस्वीकृत किया जाता है तथा उस आदेश को प्रतिभूति अपीलिय न्यायाधिकरण अथवा किसी न्यायानय द्वारा मान्य ठहराया जाता है तो आवेदक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए इस प्रकार के आदेश की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही प्राधिकरण के विचारार्थ नये सिरे से आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

11. पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता –

- (1) एक बार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक उसे इन विनियमों के अंतर्गत लंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।
- (2) किसी भी बीमा दलाल को वैध और प्रचलित पंजीकृत प्रमाणपत्र के बिना कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. आवेदन का अस्वीकरण –

(1) जहाँ इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए आवेदन विनियम 8 और 9 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार कर सकता है।

बशर्ते कि कोई भी आवेदन आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट कोई भी आवेदक प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से अस्वीकरण के आदेश की सूचना प्राधिकरण द्वारा ऐसे अस्वीकरण से तीस दिन के अंदर आवेदक को उसमें वे कारण बताते हुए दी जाएगी जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

(3) यदि आवेदन को अस्वीकार किया जाता है और आवेदक आवेदन के अस्वीकरण के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं करने का निर्णय करता है, तो आवेदक प्राधिकरण द्वारा विचार किये जाने के लिए ऐसे आदेश की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए नये सिरे से आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

13. बीमा दलाल को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की शर्तें – इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण अथवा इन विनियमों के अधीन प्रदान किये गये पंजीकरण का नवीकरण *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(1) इन विनियमों के अधीन पंजीकृत बीमा दलाल एकमात्र इन विनियमों के अधीन अनुमत रूप में बीमा दलाल का व्यवसाय करने के लिए कार्य करेगा;

(2) बीमा दलाल अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उसके अधीन जारी किये गये विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अन्य किन्हीं अनुदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(3) यदि बीमा दलाल द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत कोई सूचना अथवा उनके द्वारा पूर्व में प्राधिकरण को प्रस्तुत विवरण असत्य पाया जाता है अथवा किसी विशिष्ट सामग्री के संबंध में सूचना भ्रामक पाई जाती है अथवा यदि पहले से ही प्रस्तुत सूचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो बीमा दलाल तत्काल लिखित में इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा;

(4) बीमा दलाल अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए ऐसी शिकायत के प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर पर्याप्त कदम उठायेगा तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्मेट में और तरीके से ऐसे ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप और अन्य विवरण के बारे में प्राधिकरण को अवगत रखेगा;

(5) बीमा दलाल अपने संसाधनों तथा अपने द्वारा नियुक्त दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप उचित संख्या में बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा करेगा और उन्हें प्राप्त करेगा;

(6) बीमा दलाल प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में अभिलेख रखेगा जो पॉलिसी-वार व्योरा ग्रहण करेंगे जिनमें जहां लागू हो वहाँ दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति अथवा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ बीमा दलाल द्वारा अपेक्षित प्रत्येक पॉलिसी को संबद्ध किया जाएगा;

(7) बीमा दलाल किसी भी परिस्थिति में बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्राप्ति के लिए बहु-स्तरीय विपणन नहीं करेगा;

(8) बीमा दलाल अपने लिए लागू आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा;

(9) बीमा दलाल इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में खाता-बहियाँ रखेगा।

भाग - ख**पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण****14. पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण—**

(1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन बीमा दलाल द्वारा प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले इन विनियमों की अनुसूची I - फार्म के में प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु शर्त यह है कि यदि आवेदन प्राधिकरण को उपर्युक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित अवधि के बाद, लेकिन वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र की वास्तविक समाप्ति से पहले प्राप्त होता है, तो आवेदक द्वारा प्राधिकरण को केवल एक सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

आगे यह भी शर्त है कि यदि आवेदक विलंब के लिए पिछले परंतुक द्वारा आवृत न किये गये कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, और यदि प्राधिकरण उन कारणों से संतुष्ट है, तो वह पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति से 60 दिन की अवधि तक नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को आवेदक द्वारा केवल सात सौ पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क अदा करने पर स्वीकार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति से 60 दिन के बाद नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 12 महीने व्यतीत होने के बाद ही विचार किया जाएगा। तथापि, इस अंतराल के दौरान बीमा दलाल के पंजीकरण प्रमाणपत्र की विद्यमानता समाप्त होगी तथा वह केवल संविदा की समाप्ति तक मौजूदा पॉलिसियों के संबंध में सर्विसिंग को छोड़कर किसी नये व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेगा।

टिप्पणी : बीमा दलाल को नवीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से नब्बे दिन पहले प्रस्तुत करने की अनुमति है।

(2) किसी भी बीमा दलाल को पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद मौजूदा पॉलिसीधारकों के संबंध में सर्विसिंग को छोड़कर कोई नया बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) बीमा दलाल के प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की अपेक्षा करने से पहले प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त कम से कम पच्चीस घंटों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लें। ऐसा करते समय वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछले प्रशिक्षण को पूरा करने के समय से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले छह महीने के अंदर वे नवीकरण प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे।

(4) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी जैसा कि विनियम 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।

(5) प्राधिकरण आवेदन पर कार्रवाई करते समय बीमा दलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/डेटा माँग सकता है।

(6) बीमा दलाल उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ऐसी जानकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने से 21 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए, विनिर्दिष्ट कारणों से अतिरिक्त समय की अपेक्षा करता है, तो ऐसे अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(7) उपर्युक्त उप-विनियम (6) का पालन न करने पर बीमा दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक लंबित रखा जा सकता है जब तक उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अधीन अपेक्षित सूचना प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नहीं की जाती।

(8) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को आवेदक पूरा करता है, पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण अनुसूची I - फार्म एल में तीन वर्ष की अवधि के लिए करेगा तथा आवेदक को इस आशय की सूचना प्रेषित करेगा।

(9) लिखित में विनिर्दिष्ट कारणों से और बीमा दलाल को उचित नोटिस देने के बाद बीमा दलाल के पंजीकरण के श्रेणी प्रमाणपत्र को किसी विशिष्ट श्रेणी में उसके परिचालन को सीमित करते हुए आशोधित किया जा सकता है जहाँ पंजीकरण

प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा पहले ही जारी किया गया हो। किसी भी स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा, जब तक बीमा दलाल को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर नहीं दिया जाता।
टिप्पणी: निम्न के अनुसार बीमा दलालों के द्वारा नवीकरण आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज: अनुसूची I - फार्म एम, अनुसूची I - फार्म एन और अनुसूची I - फार्म ओ।

15. प्रक्रिया जहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण जारी नहीं किया गया है -

(1) जहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन विनियम 8, 9 और 14 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर सकता है-

बशर्ते कि जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से अस्वीकृति की सूचना प्राधिकरण द्वारा आवेदक को उसमें वे कारण जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, दर्शाते हुए ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर दी जाएगी।

(3) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।

16. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से अस्वीकृति का प्रभाव -

(1) कोई भी आवेदक, जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करने के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया है, सूचना प्राप्त होने की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा।

(2) तथापि, बीमा दलाल पहले से अपने द्वारा की गई संविदाओं के संबंध में सेवाएँ प्रदान करने के लिए लगातार बाध्य रहेगा।

(3) इस प्रकार की सेवा केवल उन वर्तमान संविदाओं के समाप्त होने की अवधि अथवा अधिकतम छह महीने की अवधि, जो भी पहले हो, तक ही जारी रहेगी, जिस अवधि के अंदर किसी अन्य पंजीकृत बीमा दलाल द्वारा उन संविदाओं की देखभाल करने के लिए उसके द्वारा उपयुक्त व्यवस्थाएँ की जाएँगी।

(4) सूचना की प्राप्ति पर उक्त व्यवस्थाओं का व्योरा प्राधिकरण को प्रकट किया जाएगा।

भाग - ग

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट)

17. पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम -

(1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने की स्थिति में बीमा दलाल प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करने का अनुरोध करते हुए एक हजार रुपये के शुल्क के साथ अनुसूची I - फार्म पी में दिये गये फार्मेट में आवेदन पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम और उसके खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने के संबंध में पूरा विवरण देते हुए एक घोषणा सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण इस बात से स्वयं संतुष्ट होने पर कि मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र खो गया है, नष्ट किया गया है अथवा कटा-फटा है, अनुसूची I - फार्म क्यू में पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) उस पर पृष्ठांकन करते हुए कि यह अनुलिपि है, जारी करेगा।

अध्याय – III
कॉरपोरेट अभिशासन

18. बीमा दलालों के नाम

(1) बीमा दलालों के पास बीमा दलाल के नाम में शब्द 'बीमा दलाल'/'बीमा दलाली' होगा जिससे उनके कार्यकलाप की दिशा प्रतिबिंबित हो सके तथा अन्य अपंजीकृत बीमा संबंधी संस्थाओं से आईआरडीए द्वारा पंजीकृत बीमा दलालों का अंतर जनसाधारण के लिए स्पष्ट हो सके।

(2) बीमा दलाल के रूप में पंजीकरण की अपेक्षा करनेवाले नये आवेदकों के आवेदन पर नाम संबंधी अपेक्षा के पालन के अभाव में विचार नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक बीमा दलाल हितधारकों के साथ अपने समस्त पत्र-व्यवहार में प्राधिकरण के पास पंजीकृत अपना नाम, पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय का पता, आईआरडीए से प्राप्त पंजीकरण संख्या, वह श्रेणी जिसके लिए बीमा दलाल को पंजीकृत किया गया है, पंजीकरण की वैधता अवधि प्रदर्शित करेगा।

(4) बीमा दलालों को प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने पत्र-व्यवहार/साहित्य/पत्र-शीर्षों में किसी अन्य नाम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

19. पूँजीगत अपेक्षा:

(1) इन विनियमों के अंतर्गत बीमा दलाल बनने की अपेक्षा करने वाले किसी भी आवेदक के लिए नीचे उल्लिखित रूप में न्यूनतम चुकता पूँजी/अंशदान रखना होगा :

श्रेणी	न्यूनतम पूँजी/अंशदान (रुपये)
प्रत्यक्ष दलाल	पचहत्तर लाख
पुनर्बीमा दलाल	चार करोड़
सम्मिश्र दलाल	पाँच करोड़

(2) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के मामले में तथा सहकारी समिति के मामले में पूँजी ईक्विटी शेयरों के रूप में होगी;

(3) एलएलपी के मामले में भागीदारों का अंशदान केवल नकदी में होगा;

(4) आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में केवल बीमा दलाल का कारोबार ही संचालित करेगा;

(5) संविभाग निवेशकों सहित, विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयरों की कुल धारिता अथवा अंशदान, समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में होगा;

(6) पूँजी के रूप में धारित बीमा दलाल के शेयर अथवा एलएलपी या समकक्ष के मामले में अंशदान, ऋण अथवा किसी अन्य सुविधा को प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में गिरवी नहीं रखे जाएँगे तथा हर समय भार-रहित होंगे।

(7) इसके अलावा, प्रवर्तकों/शेयरधारकों/भागीदारों द्वारा आवेदक संस्था में निवेश उनकी अपनी स्वाधिकृत निधियों से होगा और किन्हीं अन्य स्रोतों से नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए स्वाधिकृत निधियों में उधार अथवा ऋणों से व्यवस्थित निधियाँ शामिल नहीं हैं।

20. विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ईक्विटी पूँजी के परिकलन की विधि

(1) संविभाग निवेशकों सहित, विदेशी निवेशकों द्वारा बीमा दलाल संस्था में ईक्विटी शेयरों अथवा अंशदान अथवा समकक्ष की कुल धारिताएँ केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित सीमाओं के प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

(2) अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए आवेदक कंपनी में एक या उससे अधिक विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयरों की धारिता का परिकलन अनुसूची II – फार्म आर में दिये गये विवरण के अनुसार होगा।

21. भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और भारतीय नियंत्रित

(1) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त प्रत्येक बीमा दलाल, अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट रूप में "भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित" अपेक्षाओं द्वारा नियंत्रित होगा।

22. निवल मालियत (नेट वर्थ) की अपेक्षाएँ

(1) बीमा दलाल की निवल मालियत पंजीकरण प्रमाणपत्र की अवधि के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित से कम नहीं होगी:

- i. प्रत्यक्ष दलाल के लिए पचास लाख रुपये;
- ii. पुनर्बीमा / सम्मिश्र दलाल के लिए विनियम 19(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं अथवा अंशदान अथवा समकक्ष का 50%.

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, "निवल मालियत" (नेट वर्थ) का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 में उसके लिए निर्धारित रूप में होगा।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) का अनुपालन न करने की स्थिति में बीमा दलाल तत्काल ऊपर (1) में दी गई सीमाओं तक निवल मालियत को बहाल रखेगा तथा उसका अनुपालन सूचित करेगा।

(3) बीमा दलाल प्रत्येक छमाही में लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित निवल मालियत (नेट वर्थ) प्रमाणपत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

23. जमा संबंधी अपेक्षाएँ –

(1) प्रत्येक बीमा दलाल अपना व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले किसी भी अनुसूचित बैंक के पास निम्नलिखित की समतुल्य राशि मीयादी जमाराशि के रूप में जमा करेगा और इतनी जमाराशि को बनाये रखेगा जो प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उन्हें अदा नहीं की जाएगी।

- i. प्रत्यक्ष दलाल के लिए दस लाख रुपये
- ii. पुनर्बीमा दलाल / सम्मिश्र दलाल के लिए विनियम 19(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी / अंशदान का 10%

बशर्ते कि प्राधिकरण विनियम 2(1)(ड)(iv) द्वारा सम्मिलित व्यक्ति के लिए, किसी भी स्थिति में एक सौ लाख रुपये से अनधिक जमाराशि की एक अलग सीमा लागू कर सकता है।

(2) प्राधिकरण के पास इस जमाराशि का ग्रहणाधिकार (लियन) होगा।

(3) ऐसी जमाराशि बीमा दलाल द्वारा कोई ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी नहीं रखी जाएगी।

(4) जब भी माँगा जाएगा तब प्रत्येक बीमा दलाल प्राधिकरण को उस अनुसूचित बैंक से प्राप्त भार-रहितता विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसी मीयादी जमाराशि रखी गई है।

(5) उक्त जमाराशि पर अर्जित ब्याज प्राधिकरण के पास ग्रहणाधिकार (लियन) के अधीन नहीं होगा।

24. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा –

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची II – फार्म एस में विनिर्दिष्ट रूप में एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा प्राप्त करेगा तथा उसे प्राधिकरण द्वारा उन्हें जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की सारी अवधि के दौरान हर समय बनाये रखेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण उपयुक्त मामलों में नये पंजीकृत बीमा दलाल को इस बात की अनुमति देगा कि वह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से बारह महीने के अंदर ऐसी पॉलिसी प्रस्तुत करे।

25. शेयरों का स्वामित्व और नियंत्रण

- (1) बीमा दलाल के मामले में शेयरों अथवा अंशदान अथवा समतुल्य राशि का लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण कुल मिलाकर और पूर्णतः प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित संस्था/ व्यक्ति के पास रहेगा।
- (2) बीमा दलाल के मामले में शेयरों अथवा अंशदान अथवा समतुल्य राशि के अंतरण की प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची II – फार्म टी में दी गई है।

26. बीमाकर्ता से बीमा दलाल के द्वारा प्राप्त किया जानेवाला पारिश्रमिक और प्रतिफल—

- (1) प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के लिए:

(क) बीमाकर्ता द्वारा बीमा दलाल को पारिश्रमिक और / प्रतिफल का भुगतान इस आशय के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के अनुसार होगा;

स्पष्टीकरण : बीमे के संबंध में कोई पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल अदा नहीं किया जा सकता जहाँ एजेंसी कमीशन देय हो और इसी प्रकार जहाँ पारिश्रमिक देय हो वहाँ बीमे के संबंध में किसी एजेंसी कमीशन का भुगतान नहीं किया जा सकता ।

- (2) पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए-

(क) समय-समय पर प्रचलित बाजार-प्रथाओं के अनुसार।

(ख) बीमा दलालों के पारिश्रमिक के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा खातों का निपटान मासिक आधार पर किया जाएगा तथा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा कि बकाया शेष राशियों का कोई प्रति-निपटान (क्रॉस-सेटलमेंट) न किया जाए।

27. जोखिम प्रबंध सेवाएँ –

- (1) बीमा दलाल इन विनियमों के अंतर्गत परिभाषित कार्यों के अनुसार जोखिम प्रबंध सेवाओं अथवा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं के लिए अपने द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं हेतु ग्राहक शुल्क वसूल कर सकता है।
- (2) बीमा दलाल यह गतिविधि उन शुल्कों के लिए ग्राहक से लिखित सूचना के आधार पर केवल वाणिज्यिक जोखिमों के लिए ही कर सकता है।
- (3) बीमा दलाल विनियम 2 (1)(थ) में दिये गये रूप में उन्हीं जोखिम प्रबंध सेवाओं के लिए आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित किये अनुसार दोनों पारिश्रमिक और प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकता।
- (4) बीमा दलाल जोखिम प्रबंध सेवाएँ प्रदान करने के लिए ग्राहक से लिखित अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त करेगा तथा ग्राहक को प्रदान की गई जोखिम प्रबंध सेवाओं का अभिलेख रखेगा जिसमें ग्राहक का नाम, जोखिम का स्थान, की गई जोखिम प्रबंध सेवाओं का स्वरूप और प्रकार, ग्राहक से प्रभारित किये गये शुल्क की राशि, प्रभारित शुल्क का आधार, आदि का ब्योरा शामिल होगा।
- (5) बीमा दलाल इसी प्रकार की अन्य सेवाओं के लिए शुल्क वसूल कर सकता है जैसा कि पारस्परिक रूप से दलाल और ग्राहक के बीच निर्णय किया जा सकता है।
- (6) यदि बीमा दलाल के पास आवश्यक कौशल और संसाधन नहीं हों, तो वह जोखिम प्रबंध सेवाएँ अथवा इसी प्रकार की अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए बाहरी सुविज्ञ व्यक्तियों और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है।
- (7) ऐसी स्थिति में बीमा दलाल ग्राहक को सूचित करेगा तथा ग्राहक को प्रदान की गई जोखिम प्रबंध सेवाओं और इसी प्रकार की अन्य सेवाओं का अभिलेख रखेगा जिसमें विशेषज्ञ का नाम, प्रदान की गई सेवा, अदा किया गया शुल्क, प्रदत्त शुल्क का आधार, आदि शामिल हैं।

(8) जोखिम प्रबंध सेवाएँ प्रदान करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों के सभी कार्यों के लिए बीमा दलाल उत्तरदायी होगा।

28. दावा परामर्श कार्य

(1) बीमा दलाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन केवल साधारण बीमा व्यवसाय की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए ही दावा परामर्श कार्य कर सकते हैं :

- (क) 10 करोड़ रुपये से अनधिक दावों के लिए बीमा दलाल दावा परामर्श कार्य कर सकता है बशर्ते कि इस प्रकार का दावा ऐसी पॉलिसी से उत्पन्न नहीं होता, जिसका स्थापन उसी बीमा दलाल द्वारा किया गया हो।
- (ख) बीमा दलाल ग्राहक का नाम, जोखिम का स्थान, बीमाकर्ता का नाम, वितरण माध्यम का नाम, यदि कोई हो, दावे की राशि, हानि घटित होने की तारीख, दावा परामर्श कार्य के लिए ग्राहक से प्राप्त अधिदेश (मैंडेट) जैसा विवरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार के दावा परामर्श कार्य की स्वीकृति से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को सूचित करेगा;
- (ग) 10 करोड़ रुपये से अधिक के दावों के लिए बीमा दलाल दावा परामर्श कार्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से कर सकता है।
- (घ) विनियम 28(1)(ग) के अधीन पूर्व अनुमोदन माँगने के लिए आवेदन के साथ ग्राहक का नाम, जोखिम का स्थान, बीमाकर्ता का नाम, बीमा मध्यवर्ती का नाम जिसके माध्यम से पॉलिसी का स्थापन मूल रूप से किया गया, अन्य मध्यवर्ती के द्वारा ग्राहक को दावा संबंधी सहायता प्रदान न करने के लिए कारण, हानि घटित होने की तारीख, दावा परामर्श कार्य के लिए ग्राहक से प्राप्त अधिदेश (मैंडेट) जैसे ब्योरे प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- (ङ) परामर्श कार्य प्रदान करने से पहले बीमा दलाल उस दावे के लिए संबंधित बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से एक लिखित अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त करेगा, जिसके लिए ग्राहक द्वारा परामर्श माँगा गया है और बीमा दलाल द्वारा परामर्श दिया जा रहा है।
- (च) बीमा दलाल ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार वसूल कर सकता है जैसा कि बीमा दलाल और ग्राहक के बीच आपस में तय किया जा सकता है। तथापि, ऐसा शुल्क दावे के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जाएगा।
- (छ) बीमा दलाल ऐसे ग्राहकों के साथ अपने सभी लेनदेनों में इन विनियमों की अनुसूची I – फार्म एच और अनुसूची I – फार्म आई, जैसा लागू हो, में यथाविनिर्दिष्ट आचरण संहिता के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होगा।
- (ज) इस प्रकार के दावा परामर्श कार्य की व्यवस्थाओं से दो या उससे अधिक बीमा दलालों के बीच उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद पर पहले भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) द्वारा विचार किया जाएगा तथा उसके बाद आईबीएआई ऐसे विवाद अपनी सिफारिश के साथ अंतिम निपटान के लिए प्राधिकरण के पास प्रेषित करेगा।
- (झ) प्राधिकरण समय-समय पर दावा परामर्श कार्य के संबंध में मानदंडों की समीक्षा करेगा और उनका निर्धारण करेगा।

29. बीमा उत्पादों की तुलना और वितरण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति –

(1) प्रत्येक बीमा दलाल के पास बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा करने के तरीके के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित उक्त नीति के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ बहुविध संबद्धताएँ रखने में बीमा दलाल के द्वारा अनुसरण

किया जानेवाला दृष्टिकोण, बेचे गये उत्पादों का प्रकार, अपेक्षा की विधि, शिकायत निवारणव्यवस्था, सूचना- प्रणाली की आवश्यकताएँ और विभिन्न व्यावसायिक खंडों से संबंधित अन्य कोई मद शामिल होगी।

(2) बीमा दलाल का बोर्ड इसकी समीक्षा कम से कम तीन वर्ष में एक बार करेगी।

30. बीमा दलालों के लिए आचरण संहिता -

(1) प्रत्येक बीमा दलाल इन विनियमों की अनुसूची I - फार्म एच में यथाविनिर्दिष्ट आचरण संहिता का पालन करेगा।

(2) सम्मिश्र दलाल अथवा पुनर्बीमा दलाल के मामले में वह इन विनियमों की अनुसूची I - फार्म आई में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आचरण संहिता का पालन करेगा।

31. आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ -

(1) प्रत्येक बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक लेखा-परीक्षा की उपयुक्त प्रणाली लागू है तथा उसके आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ उसके व्यवसाय के आकार, स्वरूप और जटिलता के लिए पर्याप्त हैं।

(2) पुनर्बीमा और सम्मिश्र दलालों के मामले में यह अनिवार्य है कि बीमा दलाल के पास आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणालियाँ होंगी तथा वह एक अनुपालन अधिकारी को पदनामित करेगा जो बीमा दलाल का एक कर्मचारी होगा।

(3) उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसे बीमा दलाल के लिए, जो एक वित्तीय वर्ष में पाँच करोड़ रुपये से अधिक पारिश्रमिक (प्रतिफल सहित) अर्जित करता है, यह अनिवार्य है कि वह अपने पास एक पदनामित अनुपालन अधिकारी रखेगा जो आंतरिक नियंत्रणों और प्रणालियों के लिए उत्तरदायी होगा।

32. सह-दलाली

(1) दो या उससे अधिक पंजीकृत बीमा दलाल ग्राहक की लिखित सहमति के साथ किसी भी ग्राहक की बीमा संबंधी आवश्यकताओं की दलाली को संयुक्त रूप से संभाल सकते हैं।

(2) ग्राहक इस बात के लिए मुक्त है कि वह कार्यकलाप में प्रयुक्त किये जानेवाले बीमा दलालों के कौशल के आधार पर अपनी बीमा संबंधी आवश्यकताओं की दलाली का कार्य संयुक्त रूप से करने के लिए एक से अधिक बीमा दलालों को लिखित रूप में नियुक्त करे तथा उनके बीच उक्त व्यवसाय के विषय में देय पारिश्रमिक अथवा शुल्क को बाँटने का तरीका निर्धारित करे।

(3) ऐसी स्थिति में पंजीकृत बीमा दलाल विनिर्दिष्ट ग्राहक को बीमा दलाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए व्यावसायिक करार की शर्तें निर्धारित करेंगे तथा उक्त करार में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक पंजीकृत बीमा दलाल के कर्तव्य और दायित्व परिभाषित करने की विधि, उनके बीच आपस में पारिश्रमिक अथवा शुल्क की साझेदारी करने की विधि, संयुक्त रूप से बीमा दलाली प्रदान करने के लिए कारण शामिल होंगे।

(4) वह विधि जिसमें सह-दलालों के बीच पारिश्रमिक की साझेदारी की जाती है, बीमाकर्ता को प्रकट की जाएगी।

प्रत्यक्ष सह-दलाली

(5) प्रत्यक्ष बीमा सह-दलालों में से प्रत्येक दलाल ऐसा बीमा दलाल होगा जिसके पास संबंधित व्यवसाय की श्रेणी में पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा तथा प्रत्येक सह-दलाल सह-दलाली संबंधी उपबंधों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) किसी भी स्थिति में बीमा दलालों के बीच बाँटे गये पारिश्रमिक की कुल राशि विनियम 26 में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगी।

- (7) बीमाकर्ता प्रत्येक सह-दलाल को उसके अंश के लिए पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में ग्राहक के अनुदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।
- (8) बीमा व्यवसाय की वैयक्तिक और फुटकर व्यवस्थाओं के लिए सह-दलाली की अनुमति नहीं है।

पुनर्बीमा सह-दलाली

- (9) पुनर्बीमा स्थापन पर स्थित प्रत्येक सह-दलाल यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि इन विनियमों का पालन स्वयं भी करे तथा अपने द्वारा नियुक्त किन्हीं विदेशी दलालों द्वारा भी इनका पालन किया जाए।
- (10) जहाँ किसी पुनर्बीमा स्थापन की सह-दलाली किसी विदेशी पुनर्बीमा दलाल के साथ की जाती है, वहाँ भारत में पंजीकृत दलाल उन्हीं पुनर्बीमा सह-दलालों का उपयोग करेगा जो इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सहमत हैं तथा वह लागू सीमा तक विदेशी पुनर्बीमा सह-दलाल द्वारा इन विनियमों अथवा अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (11) बीमाकर्ता प्रत्येक सह-दलाल को पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में उनके अंश के लिए अथवा अग्रणी सह-दलाल को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए, जो आगे अन्य सह-दलालों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, ग्राहक के अनुदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।
- (12) विदेशी पुनर्बीमा सह-दलाल का नाम और अन्य विवरण बीमाकर्ता को प्रकट किया जाएगा।

33. बीमा राशि का वियोजन –

- (1) अधिनियम की धारा 64बीबी के उपबंध बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-ग्रहण के पत्र का निर्धारण करना जारी रखेंगे।
- (2) पुनर्बीमा संविदाओं के मामले में पक्षकारों के बीच विशिष्ट रूप से अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार प्रथाओं के भाग के रूप में यह समझौता कर लिया जाए कि पंजीकृत पुनर्बीमा दलाल अथवा सम्मिश्र दलाल प्रीमियम वसूल कर सकता है तथा पुनर्बीमाकर्ता को प्रेषित कर सकता है और/या बीमाकर्ता को आगे भेजने के लिए पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य दावों की राशि वसूल कर सकता है। इन परिस्थितियों में पंजीकृत बीमा दलाल द्वारा वसूल की गई धनराशि के संबंध में कार्रवाई इन विनियमों की अनुसूची II – फार्म यू में विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

34. खाता-बहियों, अभिलेखों, आदि का अनुरक्षण –

- (1) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित को तैयार करेगा –

(क) प्रत्येक लेखांकन अवधि की समाप्ति पर तुलन-पत्र अथवा स्थितिविवरण;

(ख) उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा;

(ग) नकदी/निधि प्रवाह का विवरण (प्रत्यक्ष पद्धति);

(घ) बीमा दलाली व्यवसाय संबंधी अतिरिक्त विवरण जैसे कि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किये जा सकते हैं।

टिप्पणी : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय वर्ष 12 महीने (अथवा कम जहाँ व्यवसाय 1 अप्रैल के बाद प्रारंभ किया गया हो) की अवधि का होगा जो वर्ष के अप्रैल के पहले दिन प्रारंभ होगा और अनुवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन समाप्त होगा, तथा खातों का अनुरक्षण उपचय के आधार पर किया जाएगा।

- (2) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम सभा के आयोजन से 30 दिन के अंदर अथवा 30 सितंबर से पहले, जो भी पहले हो, उप-विनियम (1) में बताये गये रूप में लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपि उनपर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण को कारोबार के संचालन, खातों की स्थिति आदि के संबंध में लेखा-परीक्षकों की अभ्युक्तियों अथवा टिप्पणियों, यदि कोई हों, सहित प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये ऐसे खातों के साथ इस प्रकार की टिप्पणियों पर उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक बीमा दलाल लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के अंदर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई कमियाँ यदि कोई हों तो उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएगा और तदनुसार प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(4) सभी खाता-बहियों, विवरणों, दस्तावेजों, आदि का अनुरक्षण बीमा दलाल के प्रधान कार्यालय अथवा उसके द्वारा नामित और प्राधिकरण को सूचित ऐसे किसी अन्य शाखा कार्यालय में किया जाएगा तथा उन्हें प्राधिकरण के उन अधिकारियों को सभी कार्यदिवसों पर उपलब्ध कराया जाएगा जो निरीक्षण के लिए उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किये जाएँगे।

(5) इस विनियम में उल्लिखित और बीमा दलाल द्वारा अनुरक्षित सभी बहियों और दस्तावेजों, विवरणों, संविदा नोटों आदि को उनके संबंधित वर्ष की समाप्ति से कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा। तथापि, उन मामलों से संबंधित दस्तावेज जहाँ दावे सूचित किये गये हैं और निर्णय न्यायालयों के फैसले के लिए लंबित है, यह अपेक्षित है कि ऐसे दस्तावेज न्यायालय द्वारा मामले का निपटान होने तक रखे जाएँ। पुनर्बीमा दलालों के मामले में अन्य सभी दस्तावेजों के संबंध में यह अपेक्षित है कि वे उनकी स्वाभाविक समाप्ति तक रखे जाएँ।

(6) बीमा दलाल द्वारा बीमाकर्ताओं और बीमाकर्ता की समूह कंपनियों से प्राप्त समस्त प्रकार की आय का विवरण बीमाकर्ता-वार देते हुए उनके वित्तीय विवरणों के साथ एक नोट दिया जाएगा तथा किसी भी बीमाकर्ता से बीमा दलाल की समूह कंपनियों और/या सहयोगी संस्थाओं और/या संबंधित पक्षकारों द्वारा प्राप्त भुगतानों का विवरण भी उसके ब्योरे के साथ उसमें दिया जाएगा।

(7) इन विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करनेवाला एक प्रमाणपत्र भी अनुसूची II – फार्म यूए में दिये गये फार्मेट में लेखा-परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) प्रत्येक बीमा दलाल प्राधिकरण को अपने द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों का विवरण इन विनियमों की अनुसूची II – फार्म वी के अनुसार लेखा-परीक्षित खातों के साथ प्रस्तुत करेगा। बीमा दलाल के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति 5 वर्ष तक की अधिकतम निरंतर अवधि के लिए की जाएगी।

(9) प्रत्येक बीमाकर्ता जो बीमा दलाल की सेवाएँ लेता है, ऐसे सभी बीमा दलालों के लिए एक प्रमाणपत्र अलग से प्राधिकरण के पास अनुसूची II – फार्म डब्ल्यू में दाखिल करेगा यदि बीमा दलाल को अदा किया गया पारिश्रमिक और अन्य भुगतान निर्धारित सीमाओं से अधिक हो, जिस पर बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। इसी प्रकार का एक प्रमाणपत्र बीमा दलाल के प्रधान अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) (अथवा उसके समकक्ष अधिकारी) से बीमा दलाल द्वारा बीमाकर्ता से प्राप्त पारिश्रमिक और अन्य भुगतानों को प्रमाणित करते हुए अनुसूची II – फार्म डब्ल्यू में प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाएगा।

35. एकल ग्राहक से कारोबार संबंधी उच्चतम सीमा –

(1) बीमा दलाल का कारोबार इस प्रकार से किया जाएगा कि पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक एक वित्तीय वर्ष में किसी एक ग्राहक से उत्पन्न नहीं होगा।

टिप्पणी : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राहक" शब्द में किसी फर्म अथवा कंपनी के मामले में सहयोगी अथवा सहायक संस्था अथवा एक ही प्रबंधन के अंतर्गत समूह प्रतिष्ठान शामिल होगा। "समूह" की परिभाषा का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 में परिभाषित है।

(2) उप-विनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट पारिश्रमिक के प्रतिशत में पुनर्बीमा पारिश्रमिक एवं किसी सरकारी निकाय अथवा सरकारी क्षेत्र उपक्रम से उत्पन्न होनेवाले बीमा व्यवसाय के लिए पारिश्रमिक शामिल नहीं होगा।

(3) क्या कोई कंपनी, कोई व्यवसाय अथवा कोई संगठन एक ही प्रबंधन के अधीन है अथवा नहीं, इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(4) बीमा दलाल लेखा-परीक्षित खातों के साथ प्रत्येक वर्ष इस विनियम के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

36. बीमा दलाल द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) — बीमा दलाल बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर अनुसूची II – फार्म एक्स में दिये गये कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण कर सकता है।

37. एक कारपोरेट समूह को एकल दलाली पंजीकरण तथा समूह कंपनियों के साथ व्यवहार

(1) प्राधिकरण किसी कारपोरेट समूह को प्रत्यक्ष दलाल (जीवन) और/या प्रत्यक्ष दलाल

(साधारण) और/या प्रत्यक्ष दलाल (जीवन और साधारण) और/या पुनर्बीमा दलाल या सम्मिश्र दलाल की श्रेणियों में केवल एक ही पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए समूह का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 में परिभाषित है।

(2) बीमा दलाल के प्रवर्तक यह वचनपत्र देंगे कि प्रवर्तक समूह के अंदर किसी भी ग्राहक को उनकी बीमा संबंधी आवश्यकताओं के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

(3) लेखांकन मानकों के अनुसार प्रवर्तक समूह के साथ संबंधित पक्षकार संबंधी लेनदेनों के प्रकटीकरण उनके लेखा-परीक्षित खातों और तुलन-पत्र में अनिवार्यतः होंगे।

(4) अपने समूह के अंदर बीमा कंपनी से युक्त कारपोरेट घरानों द्वारा प्रवर्तित बीमा दलालों के लिए, किसी भी वित्तीय वर्ष में बीमा दलाल द्वारा किये गये बीमा प्रीमियमों [जीवन और साधारण (स्वास्थ्य सहित) बीमा व्यवसाय के लिए अलग-अलग] के 25 प्रतिशत से अनधिक भाग प्रवर्तक समूह के अंदर बीमा कंपनी के पास रखा जाएगा। दलाल एक निरंतर आधार पर इसकी निगरानी करने के लिए आंतरिक व्यवस्था स्थापित करेगा।

(5) इस श्रेणी में आनेवाले बीमा दलालों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

क) बीमाकर्ता के दायित्व:

(i) समूह के अंदर बीमाकर्ता को यह वचन-पत्र देना चाहिए कि—

(क) वह एक ही वर्ग के बीमा अथवा बीमा उत्पाद के लिए अन्य बीमा दलालों को देय पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल की तुलना में समूह के अंदर बीमा दलाल को अधिक पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल अदा नहीं करेगा;

(ख) वह समूह के अंदर बीमा दलाल को ऐसी शर्तें नहीं बतायेगा, जो बीमा के लिए एक ही प्रस्ताव पर अन्य बीमा दलालों को बताई गई (कोट की गई) शर्तों से अधिक अनुकूल हों; तथा

(ग) वह केवल बीमा दलाल के माध्यम से ही विक्रय के लिए विशेष बीमा उत्पाद अभिकल्पित नहीं करेगा।

(घ) वह इस वचन-पत्र के अनुपालन के संबंध में एक लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र बीमाकर्ता के लेखा-परीक्षित खातों के साथ वार्षिक तौर पर दाखिल करेगा।

ख) बीमा दलाल के दायित्व:

(i) दलाल ग्राहकों के साथ पत्रादि के लिए तथा सभी प्रचार सामग्री में और दलाल के कार्यालयों में प्रयुक्त अपनी समस्त स्टेशनरी में, एक ही प्रवर्तक समूह में अपने बीमाकर्ता की सहयोगी कंपनी होने का सुस्पष्ट प्रकटीकरण करेगा।

(ii) जहाँ बीमा दलाल किसी उत्पाद की सिफारिश करता है और एक ही प्रवर्तक समूह के अंदर बीमाकर्ता के द्वारा प्रस्तावित दरें और शर्तें बताता है, वहाँ बीमा दलाल अपनी सिफारिश के समर्थन में विद्यमान तर्क के बारे में ग्राहक को सूचित करेगा तथा ग्राहक को अगले सर्वोत्तम उत्पाद एवं ऐसे बीमाकर्ता जो प्रवर्तक समूह का भाग नहीं है, के द्वारा प्रस्तावित दरों और शर्तों के बारे में भी सूचित करेगा।

- (iii) बीमा दलाल के लिए यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) होगा कि वह लेखा मानकों में वर्णित रूप में अपने लेखा-परीक्षित खातों और तुलन-पत्र में प्रवर्तक समूह से संबंधित बीमा कंपनी के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेनों को प्रकट करेगा।

ग) दोनों बीमाकर्ता और बीमा दलाल के दायित्व:

- (i) बीमा कंपनी और बीमा दलाल आपस में स्वतंत्र संव्यवहार (आर्म्स लेंग्थ) की दूरी रखेंगे। अधिक सुस्पष्ट रूप से, बीमा दलाल का कोई भी कर्मचारी या निदेशक बीमा कंपनी का निदेशक, कर्मचारी अथवा एजेंट नहीं होगा।
- (ii) बीमा दलाल समूह के अंदर बीमाकर्ता के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को ऋण या अन्य सुविधाएँ अथवा प्रोत्साहन नहीं देगा तथा बीमाकर्ता की ओर से भी बीमा दलाल के अधिकारियों और कर्मचारियों के विषय में ऐसा नहीं किया जाएगा।

[इस प्रयोजन के लिए, "समूह" आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 और उनके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों में परिभाषित रूप में होगा।]

38. जोखिमों के स्थापन के लिए विदेशी दलाल के साथ पुनर्बीमा / सम्मिश्र दलालों द्वारा

दलाली की हिस्सेदारी –

- 1) यदि भारत में पंजीकृत कोई बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता विदेश में पुनर्बीमे के स्थापन के लिए किसी पुनर्बीमा दलाल की सेवाओं का उपयोग करता है, तो ऐसा स्थापन केवल प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत पुनर्बीमा अथवा सम्मिश्र दलाल के माध्यम से ही होगा।
- 2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत पुनर्बीमा अथवा सम्मिश्र दलाल भारत के बाहर बीमाकर्ताओं अथवा पुनर्बीमाकर्ताओं के पास पुनर्बीमे के स्थापन के लिए किसी विदेशी दलाल की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
- 3) उपर्युक्त उप-विनियम (2) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत पुनर्बीमा/ सम्मिश्र दलाल विदेशी दलाल से प्राप्त सेवाओं के लिए उनके साथ पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत (%) से अधिक हिस्से का साझा नहीं करेगा।

39. विवरणियाँ फाइल करना—

- (1) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर और 30 अप्रैल से पहले प्राधिकरण को

लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

- (क) इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि बीमा दलाल अपेक्षित पूँजी रख रहा है, बीमा दलाल बीमा दलाली के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त नहीं है तथा इन विनियमों के अनुबंध I-ए के अनुसार, विनियम 19 और 22 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में आवश्यक निवल मालियत (नेट वर्थ) भी रखता है;
- (ख) इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि बीमा दलाल इन विनियमों के अनुबंध I-बी के अनुसार, विनियम 23 के अनुपालन में जमाराशि का अनुरक्षण कर रहा है;
- (ग) इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि इन विनियमों के अनुबंध I-सी के अनुसार, विनियम 24 के अनुपालन में एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी प्रचलन में है;

- (घ) यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाणपत्र कि बीमा दलाल ने इन विनियमों के अनुबंध I-डी के अनुसार, विनियम 26 में निर्धारित सीमाओं के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त किया है;
- (ङ) पुनर्बीमा दलाल अथवा सम्मिश्र दलाल के मामले में इस आशय का प्रमाणपत्र कि बीमा दलाल विनियम 33 के उपबंधों का अनुपालन कर रहा है तथा एक अलग बीमा बैंक खाते का अनुरक्षण कर रहा है और उपर्युक्त खाते में निहित धनराशियों का उपयोग इन विनियमों के अनुबंध I-ई के अनुसार, उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है;
- (च) पुनर्बीमा दलाल अथवा सम्मिश्र दलाल के मामले में इन विनियमों के अनुबंध I-एफ के अनुसार उक्त अवधि में अर्जित पारिश्रमिक या शुल्क की राशि एवं किसी अन्य खाते में किये गये अंतरणों के संबंध में एक प्रमाणपत्र।

- (2) बीमा दलाल प्राधिकरण की व्यवसाय विश्लेषण परियोजना के अंतर्गत निर्धारित फार्मेटों / विवरणियों के अनुसार, निर्धारित समय के अंदर अवश्य आवधिक विवरणियाँ फाइल करेंगे। पर्याप्त कारण के बिना 15 दिन से आगे इस विनियम का अनुपालन नहीं करने से इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी;
- (3) प्राधिकरण को प्रस्तुत प्रमाणपत्रों में कोई भी झूठा प्रमाणीकरण अथवा तथ्यों का छिपाव होने पर इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

40. प्राधिकरण को प्रकटीकरण –

- (1) बीमा दलाल प्राधिकरण को ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण, जिसका संबंध उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र से हो, स्वयं ही ऐसा परिवर्तन होने के 30 दिन के अंदर करेगा;
- (2) बीमा दलाल प्राधिकरण को जब भी उसके द्वारा अपेक्षित किया जाता है तब ऐसी अपेक्षा करने से लेकर किसी भी स्थिति में तीस दिन से अनधिक अवधि में निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा, अर्थात्-

- (क) किसी बीमा अथवा पुनर्बीमा संविदा के स्थापन के संबंध में उनकी जिम्मेदारियाँ;
- (ख) पूर्व में प्रस्तुत की गई सूचना अथवा विवरण में कोई भी परिवर्तन, जिसका संबंध उन्हें प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र से हो;
- (ग) उन ग्राहकों के नाम जिनके बीमा संविभाग का प्रबंध वे कर रहे हैं अथवा पहले कर चुके हैं;
- (घ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य अपेक्षा अथवा सूचना।

बशर्ते कि विनियम 2(1)(ङ)(iv) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण ऐसी सूचना माँग सकता है और प्राप्त कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।

- (3) किसी भी स्थिति में, बीमा दलाल को निम्नलिखित के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा:

- (क) प्रधान अधिकारी का परिवर्तन;
- (ख) निदेशक (निदेशकों)/ भागीदार (भागीदारों) का परिवर्तन बशर्ते कि निदेशक/ भागीदार द्वारा त्याग-पत्र देने की स्थिति में प्राधिकरण को सूचित किया जाए;
- (ग) कंपनी के नाम में परिवर्तन;
- (घ) कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन, यदि ऐसा परिवर्तन उसी नगर के अंदर न हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी सूचना दी जाए;

(4) बीमा दलाल प्राधिकरण को पूर्व में प्रस्तुत सूचना में जब भी कोई परिवर्तन/संवर्धन हो तब प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा।

- (क) शाखा कार्यालयों का प्रारंभ/समापन;
- (ख) दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों और विक्री केन्द्र विक्रेताओं की सूची;
- (ग) व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अंतर्गत दावा;
- (घ) अचल संपत्ति का अभिग्रहण;
- (ड.) एक ही शहर के भीतर कारोबार के प्रधान स्थान में परिवर्तन;

(5) प्राधिकरण समय-समय पर बीमा दलाल से अपेक्षा कर सकता है कि वह संबंधित विषय में विनिर्दिष्ट तरीके से सूचना/डेटा/दस्तावेज प्रस्तुत करे।

(6) इस विनियम का पालन न करने पर इसके परिणामस्वरूप बीमा दलाल के विरुद्ध विनियम 48 के उपबंधों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्पष्टीकरण : (1) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' से ऐसा कोई परिवर्तन अभिप्रेत है जिसका संबंध इन विनियमों के विनियम 8 के अंतर्गत उनके आवेदन पर विचार करने से है।

(2) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, 'कारोबार के प्रधान स्थान' से व्यवसाय के प्रधान कार्यालय का स्थान अभिप्रेत है जहाँ खाता बहियाँ और दस्तावेज रखे जाते हैं और/या प्रबंधन कार्य करता है।

41. व्यवसाय का समामेलन और अंतरण

- 1) कोई भी बीमा दलाल इन विनियमों के अनुसार निर्धारित विधि को छोड़कर व्यवसाय के समामेलन या विलय एवं अभिग्रहण या अंतरण की किसी भी योजना से संबंध नहीं रखेगा।
- 2) बीमा दलाल द्वारा प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना समामेलन की कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की जाएगी।
- 3) व्यवसाय के अंतरण की कोई भी योजना, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से बीमा दलाल के द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जाएगी जहाँ ऐसे अंतरण के होते हुए भी अंतरणकर्ता उक्त विनियमों के अंतर्गत बीमा दलाल के रूप में कार्य करना जारी रखता है,

जब तक प्राधिकरण का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त न किया जाए। तथापि, कोई भी अंतरणकर्ता ऐसे अंतरित व्यवसाय के लिए छह महीने से अधिक समय के लिए दलाल के रूप में कार्य नहीं करेगा।

4) बीमा दलाल के द्वारा व्यवसाय के अंतरण की कोई भी योजना तब तक कार्यान्वित नहीं की जाएगी, जहाँ ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप अंतरणकर्ता के द्वारा पंजीकरण का स्वैच्छिक अभ्यर्षण किया जाएगा, जब तक प्राधिकरण का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता।

5) प्राधिकरण से अनुमोदन माँगने की प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची II - फार्म वाई में निर्दिष्ट की गई है।

42. प्राधिकरण का निरीक्षण करने का अधिकार -

(1) बीमा दलाल के परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण "निरीक्षण प्राधिकारी" के रूप में अपने एक अथवा अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है जिससे यह पता लगाया जा सके और देखा जा सके कि कारोबार कैसे संचालित किया जा रहा है तथा उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए बीमा दलाल की खाता-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सके।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित प्रयोजन निम्नानुसार हो सकते हैं, अर्थात्: -

- (क) यह सुनिश्चित करना कि खाता-बहियों का अनुरक्षण अपेक्षित तरीके से किया जा रहा है;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है;

(ग) बीमा दलाल के कार्यकलापों से संबंध रखनेवाले किसी भी विषय पर किसी बीमाकृत व्यक्ति, किसी बीमाकर्ता, अन्य बीमा दलालों अथवा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना; तथा

(घ) बीमा व्यवसाय के समुचित विकास के हित में अथवा पॉलिसीधारकों के हित में *अपने आप* बीमा दलाल के कार्यों की जाँच-पड़ताल करना।

(3) जिस तरीके से निरीक्षण संचालित किया जाएगा, वह इन विनियमों की अनुसूची II - फार्म जेड में विनिर्दिष्ट है।

(4) बीमा दलाल द्वारा अनुरक्षण किये जाने के लिए निरीक्षण हेतु तथा निरीक्षण के समय उपलब्ध कराये जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

43. प्राधिकरण द्वारा अन्वेषक की नियुक्ति –

(1) प्राधिकरण बीमा दलाल की खाता-बहियों अथवा उसके कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल करने के लिए किसी सनदी लेखाकार अथवा बीमांकक अथवा बीमे के क्षेत्र में अर्हताप्राप्त और अनुभव रखनेवाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, यदि प्राधिकरण के विचार में बीमा दलाल के कार्य पॉलिसीधारकों के हित में नहीं हैं अथवा बीमा अधिनियम, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों आदि के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के पास निरीक्षण अधिकारी के वही अधिकार होंगे जो विनियम 42 में उल्लिखित हैं तथा विनियम 42 में बताये गये बीमा दलाल के दायित्व इस विनियम के अधीन जाँच-पड़ताल के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "सनदी लेखाकार" (चार्टर्ड अकाउंटेंट) का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 में दिया गया है, तथा अभिव्यक्ति 'बीमांकक' का अर्थ वही होगा जो बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 2(1)(क) में दिया गया है।

(3) ऐसी जाँच-पड़ताल के व्ययों और लागतों की वसूली प्राधिकरण द्वारा उस बीमा दलाल से की जाएगी जिसके कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी।

अध्याय – IV

ऑनलाइन बिक्री, दूरविपणन और दूरस्थ विपणन

44. बीमे की ऑनलाइन बिक्री –

(1) बीमा दलाल बीमाकर्ताओं के वेब पोर्टलों के साथ संबद्ध होने के द्वारा बीमा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए बीमाकर्ताओं के साथ करार कर सकते हैं।

(2) बीमा दलालों के द्वारा बीमे की ऑनलाइन बिक्री आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 और प्रयोज्य सीमा तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये बीमा ई-कॉमर्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

45. दूर-विपणन (टेली-मार्केटिंग) पद्धति से बीमे की बिक्री –

(1) जहाँ ऑनलाइन और ऑफ़लाइन पद्धति के माध्यम से अग्रताएँ उत्पन्न की जाती हैं और बीमाकर्ताओं द्वारा दूर-विपणन (टेली-मार्केटिंग) पद्धति के माध्यम से पूरी की जाती हैं, वहाँ बीमे की बिक्री प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 के अनुसार होगी तथा बीमा दलाल बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) कार्यकलाप केवल टेली-मार्केटिंग की सीमा तक कर सकता है जैसी कि प्रयोज्य सीमा तक आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 के अंतर्गत अनुमति दी गई है।

46. दूरस्थ विपणन (डिस्टैंस मार्केटिंग) पद्धति द्वारा बीमे की बिक्री -

(1) जहाँ ऑनलाइन और ऑफ़लाइन द्वारा अग्रताएँ उत्पन्न की जाती हैं तथा बीमा दलालों द्वारा दूरस्थ विपणन (डिस्टैंस मार्केटिंग) पद्धति के माध्यम से पूरी की जाती हैं, वहाँ बीमे की बिक्री प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 के अनुसार होगी तथा बीमा दलाल बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) कार्यकलाप केवल टेली-कॉलिंग की सीमा तक कर सकता है, जैसी कि प्रयोज्य सीमा तक आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 के अंतर्गत अनुमति दी गई है।

अध्याय - V**विनियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में दृष्टिकोण****47. वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना बीमा दलाल के रूप में कार्य करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई -**

(1) ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो इन विनियमों के अधीन जारी किये गये वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र को धारण किये बिना बीमा दलाल के रूप में कार्य करता है, कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के बावजूद और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा कर सकता है।

(2) जहाँ उप-विनियम (1) के अंतर्गत आनेवाला व्यक्ति एक कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय है, वहाँ उक्त कंपनी अथवा फर्म अथवा निगमित निकाय के विरुद्ध प्राधिकरण के द्वारा की जानेवाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त कंपनी अथवा फर्म अथवा निगमित निकाय का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी और फर्म का प्रत्येक भागीदार जो इस प्रकार के उल्लंघन का जान-बूझकर पक्षकार है, भी दंड के लिए जिम्मेदार होगा जो दस लाख रुपये तक हो सकता है।

48. कुछ उल्लंघनों के लिए दंड

1) यदि कोई पंजीकृत बीमा दलाल बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के किसी भी उपबंध, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी भी परिपत्र/दिशानिर्देशों/आदेशों का उल्लंघन करता है, तो प्राधिकरण उल्लंघन के स्वरूप/गंभीरता के आधार पर उपयुक्त दंड लगाते हुए आदेश जारी कर सकता है।

2) बीमा दलाल यदि प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है, तो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील कर सकता है।

49. सूचना के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन अथवा निरस्तीकरण -

(1) किसी बीमा दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र उचित सूचना और उनको अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर देने के बाद निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है यदि वे-

- क) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये समय-समय पर यथासंशोधित नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं;
- ख) प्राधिकरण द्वारा की गई अपेक्षानुसार बीमा दलाल के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करते;
- ग) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन नहीं करते;

- घ) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता-अवधि के दौरान गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करते हैं; अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हैं अथवा प्रकट नहीं करते हैं;
- ड) प्राधिकरण की अपेक्षानुसार आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करते हैं;
- च) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी निरीक्षण अथवा जाँच में सहयोग नहीं करते हैं;
- छ) पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं अथवा इस संबंध में प्राधिकरण को संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं;
- ज) किसी ग्राहक अथवा ग्राहक के किसी भी निदेशक अथवा अन्य कर्मचारियों अथवा परिचयकर्ता के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति को छूटें अथवा नकद या वस्तु रूप में प्रलोभन देने में लिप्त हैं;
- झ) कदाचार के दोषी पाये गये हैं अथवा उनका आचरण अनुसूची I – फार्म एच और अनुसूची I – फार्म आई, जो भी लागू है, में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अनुरूप नहीं है;
- ञ) विनियमों के उपबंधों के अनुसार पूँजी, निवल मालियत और जमाराशि संबंधी अपेक्षाओं का अनुरक्षण नहीं करते हैं;
- ट) इन विनियमों के अधीन शुल्क, लागू किये गये अर्थदंड का भुगतान अथवा व्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं करते;
- ठ) पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हैं;
- ड) विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते;
- ढ) बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा और प्राप्ति के लिए बहु-स्तरीय विपणन करते हैं;
- ण) ऐसे प्रधान अधिकारी के साथ व्यवसाय का संचालन करते हैं जो विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में निर्धारित अवधि के अंदर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता;
- त) प्राधिकरण यह महसूस करता है कि बीमा दलाल की स्थापना केवल कंपनियों के समूह अथवा उनकी सहयोगी संस्थाओं के अंदर निधियों का विपथन करने के लिए है, तथा यह तथ्य प्राधिकरण द्वारा की गई उचित जाँच के बाद प्रमाणित हो चुका है।

50. सूचना दिये बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन अथवा निरस्तीकरण –

(1) बीमा दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र सूचना दिये बिना निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है, यदि वे-

- (क) अनुसूची I – फार्म एच और अनुसूची I – फार्म आई, जो भी लागू हो, में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अंतर्गत किसी एक अथवा उससे अधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं;
- (ख) धोखाधड़ी करने के दोषी पाये गये हैं अथवा दंडनीय अपराध के दोषी ठहराये गये हैं;
- (ग) ऐसी चूकें करते हैं जिनके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने निरस्तीकरण के लिए कारण लिखित में सूचित कर दिये हों;
- (घ) बीमा दलाल ने पंजीकरण प्रदान करने के बाद छह महीने के अंदर कारोबार प्रारंभ नहीं किया है।

(2) यदि बीमा दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र सूचना दिये बिना निलंबित किया गया है, तो इस प्रकार का पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक विनियम 52 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार जाँच नहीं की जाती।

51. निलंबन के आदेश का प्रकाशन -

(1) विनियम 49 अथवा विनियम 50 के अधीन जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा, ताकि निलंबित बीमा दलाल द्वारा नये कारोबार का पंजीकरण बीमाकर्ताओं द्वारा तत्काल रोका जा सके।

(2) बीमा दलाल पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा।

(3) तथापि, बीमा दलाल अपने द्वारा पहले से की गई संविदाओं के संबंध में सेवा प्रदान करना छह महीने की अवधि के लिए जारी रखेगा जिसके अंदर उक्त संविदाओं के संबंध में एक अन्य पंजीकृत बीमा दलाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

52. बीमा दलाल के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन के बाद जाँच आयोजित करने की विधि-

(1) बीमा दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक इस विनियम में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार जाँच आयोजित नहीं की जाती।

(2) इस विनियम के अधीन जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण निलंबन आदेश जारी करने के 15 दिन के अंदर एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है;

(3) जाँच अधिकारी बीमा दलाल के पंजीकृत कार्यालय अथवा व्यवसाय के प्रधान स्थान, जैसी स्थिति हो, में बीमा दलाल को ऐसी सूचना/डेटा माँगते हुए एक नोटिस जारी करेगा जो जाँच का संचालन करने के लिए वह आवश्यक समझता है तथा माँगी गई सूचना/डेटा प्रस्तुत करने के लिए बीमा दलाल को ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह (15) दिन की समय-सीमा देगा;

(4) बीमा दलाल ऐसी नोटिस प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर जाँच अधिकारी को उक्त नोटिस का उत्तर उनके लिए आधारभूत अथवा जाँच अधिकारी द्वारा माँगे गये दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकता है;

(5) जाँच अधिकारी बीमा दलाल को अपनी बात कहने के लिए एक उचित अवसर देगा ताकि वह उपर्युक्त उप-विनियम (4) के अधीन दिये गये अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुति कर सके;

(6) बीमा दलाल या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा अपने द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है, तथापि शर्त यह होगी कि उक्त 'प्राधिकृत व्यक्ति' की उपस्थिति के लिए जाँच अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;

(7) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से अपना मामला अपने एक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(8) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी जाँच के दौरान बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य संबंधित संस्था से प्रतिसूचना/जानकारी माँग सकता है;

(9) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी बीमा दलाल से अतिरिक्त कागज-पत्रों की माँग कर सकता है;

(10) जाँच अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में जाँच प्रारंभ करने से 60 दिन के अंदर कार्यवाही पूरी करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा बशर्ते कि यदि ऊपर उल्लिखित रूप में 60 दिन की निर्धारित समय-सीमा के अंदर जाँच पूरी नहीं की जा सकती; तो जाँच अधिकारी इसके लिए कारण बताते हुए प्राधिकरण से अतिरिक्त समय की अपेक्षा कर सकता है;

(11) जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और बीमा दलाल द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जाँच की कार्यवाही पूरी करने के 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

53. जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जानेवाली कार्रवाई. —

(1) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण उस रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा यदि रिपोर्ट की विषय-वस्तु से बीमा दलाल को प्रदान किये गये पंजीकरण को निरस्त करने की आवश्यकता उत्पन्न हो तो बीमा दलाल को एक कारण-बताओ नोटिस जारी करेगा;

बशर्ते कि यदि विनियम 50 के उपबंध लागू होते हैं तो ऐसी कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होगी।

(2) बीमा दलाल उक्त कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर प्रेषित करेगा।

(3) प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र, परंतु उक्त उत्तर प्राप्त करने से तीस दिन के अंदर ऐसा आदेश जारी करेगा जो वह उचित समझेगा। तथापि, शर्त यह होगी कि जहाँ बीमा दलाल इस विनियम के अंतर्गत नोटिस देने पर कथित अवधि के अंदर कोई उत्तर नहीं देता, वहाँ प्राधिकरण ऐसी समयावधि के समाप्त होने के बाद मामले में गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के लिए आगे बढ़ सकता है तथा ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

(4) प्राधिकरण उप-विनियम (3) के अंतर्गत बनाया गया 'प्राधिकरण का अंतिम आदेश' बीमा दलाल को भेजेगा।

54. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण के लिए क्रियाविधि-

(1) प्राधिकरण बीमा दलाल के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण के लिए अंतिम आदेश जारी करेगा तथा उक्त अंतिम आदेश की तारीख से वे बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेंगे।

(2) बीमा दलाल के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण की अधिसूचना की प्रक्रिया विनियम 55 में दी गई है।

(3) प्राधिकरण इस प्रकार होने की स्थिति में विनियम 23 के अधीन रखी गई बीमा दलाल की जमाराशि के निपटान के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

(4) बीमा दलाल जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया गया है, पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण के आदेश से छह महीने की अवधि के लिए उनके द्वारा पहले से की गई संविदाओं के संबंध में सेवा प्रदान करना जारी रखेगा, जिस अवधि के दौरान उक्त संविदाओं के संबंध में आवश्यक सेवा किसी अन्य पंजीकृत बीमा दलाल द्वारा प्रदान करने के लिए वे आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(5) पंजीकृत बीमा दलाल जो उस बीमा दलाल से पॉलिसी सेवा के दायित्वों का भार लेने के लिए सहमत है जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया गया है, उक्त पूरी अवधि के दौरान पॉलिसियों / संविदाओं संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ता को अपना अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(6) पंजीकृत बीमा दलाल पॉलिसी संबंधी सेवा के दायित्वों का भार लेने के लिए बीमाकर्ता से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संविदाओं की सेवा की तारीख से भावी प्रभाव के साथ प्रचलित वर्तमान संविदाओं पर पारिश्रमिक वसूल कर सकता है।

(7) बीमा दलाल, जिसे बीमाकर्ता ने प्राधिकार दिया है, को संविदाओं की सेवा के आबंटन की तारीख से भावी प्रभाव के साथ प्रचलित वर्तमान संविदाओं पर बीमाकर्ता पारिश्रमिक / पॉलिसी सेवा का भुगतान करेगा।

55. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण के आदेश का प्रकाशन – विनियम 53 के उप-विनियम (3) के अधीन दिये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण का आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त एक अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे, में प्रकाशित किया जाएगा।

56. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण का प्रभाव –

- (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल, एक बीमा दलाल के रूप में कार्य करना बंद करेगा।
- (2) तथापि, बीमा दलाल पहले से अपने माध्यम से की गई संविदाओं की सर्विसिंग छह महीने की अवधि के लिए जारी रखेगा जिसके अंदर उसके द्वारा उक्त संविदाओं के संबंध में अन्य पंजीकृत बीमा दलाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
- (3) अन्य पंजीकृत बीमा दलाल जो पॉलिसी सेवा के दायित्वों का भार ग्रहण करने के लिए सहमत है, वर्तमान संविदाओं पर पारिश्रमिक वसूल कर सकता है जो पूर्व में बीमाकर्ताओं से वसूल नहीं की गई हो, बशर्ते कि बीमा दलाल पॉलिसियों की सेवा उसकी पूरी अवधि के दौरान करने के लिए वचन देता हो।

अध्याय – VI

विविध

57. पंजीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण –

- (1) इन विनियमों के अधीन पंजीकृत बीमा दलाल अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।
- (2) अभ्यर्पण के लिए बीमा दलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन को स्वीकार करने पर प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए एक आदेश पारित कर सकता है।
- (3) बीमा दलाल, जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित किया गया है तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है, को विनियम 56 में विनिर्दिष्ट रूप में व्यवस्था करनी होगी।
- (4) पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण हेतु प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज/सूचना इन विनियमों की अनुसूची III – फार्म एए के अनुसार है।

58. निरसन और बचत:

- (1) पूर्व के विनियमों के अधीन बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया प्रत्येक बीमा दलाल इन विनियमों के अधीन विधिमान्य होगा।
- (2) वर्तमान बीमा दलाल प्रदत्त ईक्विटी पूँजी और निवल मालियत की अपेक्षाओं का अनुपालन इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अंदर सुनिश्चित करेंगे तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने के अंदर सुनिश्चित करेंगे।
- (3) तथापि, प्राधिकरण वर्तमान बीमा दलाल द्वारा उसे प्रस्तुत आवेदन पर विधिमान्य कारणों के लिए विनियमों का अनुपालन करने के लिए छह महीने की अतिरिक्त अवधि प्रदान कर सकता है।
- (4) इस आशय का एक वचन-पत्र कि विनियम के अंतर्गत अपेक्षित रूप में "भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित" का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, प्रधान अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित रूप में निदेशक बोर्ड की बैठक, जिसमें ऐसे अनुपालन की पुष्टि की गई हो, की तारीख से 45 दिन के अंदर सभी बीमा दलालों के द्वारा फाइल किया जाएगा।

(5) प्रत्येक वचन-पत्र के साथ: (1) उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अनुपालन की पुष्टि करते हुए निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित प्रति; (2) जहाँ अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए करार / संयुक्त उद्यम करार में संशोधन किये गये हों, वहाँ उक्त करार / संयुक्त उद्यम करार की प्रमाणित प्रति, जहाँ लागू हो, प्रस्तुत की जाएँगी।

59. सामान्य –

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से कोई भी व्यक्ति बीमा दलाल के रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता, जब तक इन विनियमों के अधीन अथवा प्रचलित किसी अन्य विनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसको पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता।

(क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत बीमा दलालों सहित बीमा दलाल इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के उपबंधों से नियंत्रित होंगे।

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन जारी किये गये लाइसेंस, लाइसेंस की समाप्ति तक निरंतर वैध होंगे, बशर्ते कि विनियमों की अधिसूचना की तारीख से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के किसी भी उपबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया जाए।

(ग) इन विनियमों की अधिसूचना से पहले लाइसेंस प्रदान करने के लिए अथवा लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन तब तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे जब तक ऐसे आवेदनों पर अंतिम रूप से विचार नहीं किया जाता/उनका निपटान नहीं किया जाता।

(घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन बीमा दलाल के विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही / विभागीय जाँच / विभागीय निरीक्षण उनका अंतिम निपटान किये जाने तक संबंधित विनियमों के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(2) बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद को इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के पास भेजा जा सकता है; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण शिकायत की जाँच कर सकता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए प्राधिकरण अग्रसर हो सकता है।

(3) कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति: इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थ लगाने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018
अनुसूची I – फार्म ए
(विनियम 4 देखें)

प्रत्यक्ष दलाल / पुनर्बीमा दलाल / सम्मिश्र दलाल के कार्य

1. प्रत्यक्ष दलाल के कार्य – प्रत्यक्ष दलाल के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रबंध दर्शन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना;
- (ख) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम अंकन संबंधी सूचना से स्वयं परिचित होना ताकि यह बीमाकर्ता और अन्यो को स्पष्ट किया जा सके;
- (ग) उपयुक्त बीमा रक्षा और शर्तों के संबंध में परामर्श देना;
- (घ) जैसा लागू हो, उपलब्ध बीमा बाजारों की विस्तृत जानकारी का अनुरक्षण करना;
- (ङ) बीमाकर्ता/ओं से प्राप्त भाव (कोटेशन) ग्राहक के विचारार्थ प्रस्तुत करना;
- (च) रक्षा के लिए कीमत-निर्धारण की शर्तें तय करने के लिए जोखिम का निर्धारण करने में बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षित रूप में जोखिम अंकन की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना;
- (छ) ग्राहक से अनुदेश प्राप्त होने पर उनके संबंध में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना तथा उसको लिखित रूप में प्राप्ति-सूचनाएं और प्रगति की रिपोर्टें उपलब्ध कराना;
- (ज) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64वीबी के अधीन प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता करना;
- (झ) दावों के संबंध में बातचीत में सहायता करना;
- (ञ) दावों के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण करना;
- (ट) ई-बीमा खाते खोलने में सहायता करना;
- (ठ) ई-बीमा पॉलिसियाँ जारी करने में सहायता करना; तथा
- (ड) अन्य कोई कार्य जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट कर सकता है।

2. पुनर्बीमा दलाल के कार्य – पुनर्बीमा दलाल के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रतिधारण दर्शन से स्वयं परिचित होना;
- (ख) पुनर्बीमाकर्ता(ओं) अथवा अन्यो की सहायता करने के लिए बीमाकर्ता के व्यवसाय के स्पष्ट अभिलेखों का अनुरक्षण करना;
- (ग) अंतरराष्ट्रीय बीमा और पुनर्बीमा बाजारों में उपलब्ध पुनर्बीमा रक्षाओं से संबंधित तकनीकी आंकड़ों के आधार पर परामर्श देना;
- (घ) वैयक्तिक पुनर्बीमाकर्ताओं की शोधक्षमता रेटिंगों सहित, उपलब्ध पुनर्बीमा बाजारों के डेटाबेस का अनुरक्षण करना;

- (ड) पुनर्बीमा के लिए परामर्श कार्य और जोखिम प्रबंध सेवाएँ प्रदान करना;
- (च) एक पुनर्बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ताओं के समूह का चयन करना और उनकी सिफारिश करना;
- (छ) ग्राहक की ओर से पुनर्बीमाकर्ता के साथ बातचीत करना;
- (ज) उनके द्वारा रखी गई पुनर्बीमा संविदाओं के संराशीकरण की स्थिति में सहायता करना;
- (झ) ग्राहक से अनुदेश प्राप्त होने पर उनके संबंध में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना तथा उसको लिखित रूप में प्राप्ति-सूचनाएँ और प्रगति रिपोर्टें उपलब्ध कराना;
- (ञ) सहमत समय के अंदर प्रीमियम और दावे/धन वापसी प्राप्त करना तथा प्रेषित करना;
- (ट) दावों के संबंध में वार्ता और निपटान में सहायता करना;
- (ठ) दावों के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण करना;
- (ड) पुनर्बीमाकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय बीमा दलालों का चयन उनकी संबंधित सुरक्षा रेटिंग को ध्यान में रखते हुए करते समय एवं उनकी सेवाओं का निर्धारण करते हुए संबंधित दायित्व स्थापित करते समय उचित सावधानी और सतर्कता बरतना;
- (ढ) दोनों प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए तथा उनसे नये, दबावग्रस्त, उभरते और वर्तमान व्यवसाय व परिसंपत्ति वर्ग हेतु बाजार क्षमता और सुविधा का निर्माण करना;
- (ण) उचित समय के अंदर प्रारंभिक हानि सूचना (पीएलए) देना;
- (त) व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए आवक और जावक व्यवसाय के लिए अलग-अलग मानदंडों का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी;

क. आवक व्यवसाय

- i. दलाल को उस देश की पर्याप्त विशिष्ट जानकारी रखनी होगी जिसका व्यवसाय प्रस्तावित किया जा रहा हो, जैसे :
- राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिति, स्थानीय विनियम, कर संबंधी कानून, आदि।
- ii. पुनर्बीमाकर्ताओं की व्यावसायिक योजना और जोखिम-वहन क्षमता के आधार पर नये व्यवसाय/ उत्पाद आरंभ करना

ख. जावक व्यवसाय

- i. पुनर्बीमाकर्ता की रेटिंग और बाजार संबंधी विश्वसनीयता
- (थ) निधियों के तत्परतापूर्वक संग्रहण और विप्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए निधियों के लिए अनुवर्तन, जैसा संगत हो, अध्यर्पणकर्ता से पुनर्बीमाकर्ता को तथा पुनर्बीमाकर्ता से अध्यर्पणकर्ता को निपटान के लिए नियत तारीखों से पर्याप्त समय पहले प्रारंभ करना होगा;
- (द) भारत के बाहर स्थित ग्राहकों / बीमा कंपनियों के लिए बीमा / पुनर्बीमा की व्यवस्था करते समय स्थानीय अधिकार-क्षेत्र की विधियों और अन्य अपेक्षाओं का पालन करना; तथा
- (ध) कोई अन्य कार्य जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट कर सकता है।

3. सम्मिश्र दलाल के कार्य – (1) सम्मिश्र दलाल उपर्युक्त खंड 1 और 2 में उल्लिखित कार्य करेगा।

(2) यदि ग्राहक द्वारा किसी सम्मिश्र दलाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए की गई हो, तो वह उसी संविदा के संबंध में पुनर्बीमा व्यवस्था करने के लिए पुनर्बीमा दलाल के रूप में उसे नियुक्त करने के लिए संबंधित बीमाकर्ता को प्रभावित नहीं करेगा। तथापि, एक उचित और पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद यदि बीमाकर्ता सम्मिश्र दलाल की नियुक्ति उसी जोखिम के संबंध में जिसपर सम्मिश्र दलाल ने एक प्रत्यक्ष दलाल के रूप में कार्य किया हो, पुनर्बीमा की व्यवस्था करने के लिए एक पुनर्बीमा दलाल के रूप में नियुक्त करता है, तो सम्मिश्र दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि यह देखने के लिए उचित प्रणालियाँ और नियंत्रण विद्यमान हों कि ग्राहक और बीमाकर्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018

अनुसूची I – फार्म बी

[विनियम 5(1) देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

आवेदक का नाम :

आवेदित श्रेणी:

बीमा दलाल - _____

(जैसा लागू हो, श्रेणी का उल्लेख करें)

प्रत्यक्ष (जीवन)

प्रत्यक्ष (साधारण)

प्रत्यक्ष (जीवन और साधारण)

पुनर्बीमा

सम्मिश्र

फार्म भरने के लिए अनुदेश :

1. यह महत्वपूर्ण है कि इस आवेदन फार्म को भरने से पहले प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए।
2. यह आवश्यक है कि आवेदक प्राधिकरण को विधिवत् भरा गया आवेदन सभी उपयुक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करे।
3. पंजीकरण के लिए आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह हर प्रकार से पूर्ण हो।
4. आवेदकों को चाहिए कि वे आवेदनों पर स्वयं हस्ताक्षर करें।
5. जो सूचना अधिक विवरण के साथ देने की आवश्यकता हो, वह अलग पत्रकों पर दी जाए जिन्हें आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना चाहिए।
6. यदि आवेदक कोई कंपनी नहीं है, तो इस फार्म में माँगी गई सूचना अपेक्षाओं को उपयुक्त रूप में अनुकूल बनाकर दी जाएगी।

1. आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम :

.....

1.2 (क) पता – व्यवसाय का प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय:

.....

.....

.....पिन कोड:

टेलीफोन सं.

ई-मेल : फैक्स सं. :

(ख) पत्राचार के लिए पता:

.....

.....

पिन कोड : टेलीफोन सं.

ई-मेल : फैक्स सं. :

(ग) शाखा कार्यालयों के पते:

.....

.....

.....

.....

.....

(घ) प्रधान अधिकारी का नाम और विवरण

नाम	पता और संपर्क का ब्योरा	योग्यता	बीमा दलाली सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव	आवेदक फर्म/कंपनी में अंश	अन्य कंपनियों में निर्देशन	डीआईएन सं. (यदि लागू हो)	आधार सं.

2. संगठन – संरचना

2.1 आवेदक की स्थिति : (उदा. लिमिटेड कंपनी – निजी/सरकारी, भागीदारी, अन्या। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम तथा नवीनतम शेयर भाव दिया जाए)

2.8 सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं का नाम और कार्यकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी का स्वरूप और हित

क्या सहयोगी कंपनियों / संस्थाओं के किसी एक अथवा उससे अधिक व्यक्तियों का आवेदक के व्यवसाय में हित निहित है ?

2.9 आवेदक के प्रधान बैंकरों का नाम और पता :

2.10 सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम और पता :

3. व्यवसाय संबंधी सूचना

3.1 कार्यकलापों की अनुमानित मात्रा और आय के साथ व्यवसाय की तीन वर्षीय योजना का दस्तावेज जिसके लिए पंजीकरण की अपेक्षा की गई है, विशेष रूप से दी जानी चाहिए।

3.2 कार्यात्मक दायित्वों को अलग से दशनिवाला संगठन चार्ट संलग्न किया जाना चाहिए।

3.3 प्रमुख प्रबंध कार्मिकों संबंधी विवरण

नाम	पता और संपर्क का ब्योरा	योग्यता	बीमा दलाली सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव	आवेदक फर्म/कंपनी में अंश	अन्य कंपनियों में निर्देशन	प्रमुख प्रबंधन स्थिति	आधार सं.

3.4 आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय स्थान, उपस्कर और श्रमशक्ति जैसी मूलभूत संरचना का विवरण

3.5 आवेदक के पास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, आपदा समुत्थान (डिजास्टर रिकवरी), व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ, साइबर-सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता, वाइरस और हैकिंग से संरक्षण, सुरक्षा प्रमाणीकरण, आदि का विवरण

3.6 बीमा दलाली/परामर्श/जोखिम प्रबंध और अन्य सेवाओं में अनुभव का विवरण (इतिहास, प्रमुख घटनाएँ और वर्तमान गतिविधियाँ) (भारत के बाहर का अनुभव भी निर्दिष्ट किया जाए) :

3.7 आवेदक द्वारा की जानेवाली सेवाओं के स्वरूप से संबंधित समझी गई कोई अन्य सूचना

4. वित्तीय सूचना

4.1 पूँजी-विन्यास

(लाख रुपये)

पूँजी-विन्यास	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
क) प्राधिकृत पूँजी			
ख) निर्गत पूँजी			
ग) प्रदत्त पूँजी			

घ) निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर)

ड) कुल योग (ग) + (घ)

टिप्पणी 1: एलएलपी के मामले में कृपया पूँजी में से आहरण और/या भागीदारों को ऋण घटाकर निर्दिष्ट करें।

2. एलएलपी के मामले में कृपया भागीदारों की वित्तीय स्थिति, साधन और निवल मालियत (नेट वर्थ) निर्दिष्ट करें।

4.2 संसाधनों का अभिनियोजन

(लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
क) अचल परिसंपत्तियाँ ख) संयंत्र और मशीनरी ग) कार्यालयीन उपस्कर घ) निर्दिष्ट भाव वाले निवेश ड) अनिर्दिष्ट भाव वाले निवेश च) चल परिसंपत्तियों का ब्योरा छ) अन्य			

(निवेशों, सहयोगी कंपनियों/फर्मों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों का विवरण जहाँ प्रवर्तकों/निदेशकों का हित हो, अलग से दिया जाए)।

4.3 कर से पहले आय और लाभ (पीबीटी)

(लाख रुपये)

विवरण कर से पहले आय और लाभ	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)

4.4 लाभांश

(लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
राशि प्रतिशत			

टिप्पणी : कृपया तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे संलग्न करें। जहाँ लेखा-परीक्षा न की गई रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, वहाँ कारण बताएँ। यदि पिछले लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों के बाद न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा पूरी की गई है, तो बाद की तारीख को समाप्त अवधि के लिए लेखा-परीक्षित लेखों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. अन्य सूचना, यदि कोई हो

5.1 सभी निपटायें गये और लंबित विवादों का विवरण:

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटायी गया	निपटान की तारीख

5.2 पिछले तीन वर्षों में यदि आवेदक अथवा किसी भी भागीदार/निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों- तो उनका ब्योरा।

6. संलग्न दस्तावेज:

7. शुल्क का भुगतान:

टिप्पणी : वापस न करने योग्य शुल्क (आवेदित श्रेणी के आधार पर) तथा इन विनियमों के विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट

भुगतान का विवरण : माँग ड्राफ्ट (डीडी) सं.: दिनांक :

बैंक का नाम :

भुगतान के अन्य प्रकार :

8.: वचन-पत्र

8.1 क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति को पूर्व में लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार किया गया है अथवा नहीं

व्यक्तियों का नाम	आवेदक के साथ संबंध

इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित" से किसी व्यक्ति के मामले में आवेदक का कोई रिश्तेदार, तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनी निकाय के मामले में सहयोगी संस्था, सहायक संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी अभिप्रेत है।

9. घोषणा

इस घोषणा पर जैसी स्थिति हो, दो निदेशकों, दो भागीदारों के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

- 1) हम इसके द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
- 2) हमने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 का अवलोकन किया है तथा हम इस बात से संतुष्ट हैं कि:
 - क. हम बीमा दलाल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
 - ख. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना उपलब्ध कराई है जो हमारे पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संबंधित मानी जा सकती है।
 - ग. हम घोषणा करते हैं कि आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।

- घ. हम वचन देते हैं कि हम पंजीकरण की अवधि के दौरान हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करेंगे।
- ङ. हम वचन देते हैं कि पंजीकरण का निरस्तीकरण होने अथवा उसका नवीकरण न होने के समय लागू मानदंडों के अधीन बहियों पर व्यवसाय से हट जाने (रन-ऑफ बिजनेस) का अंकन करेंगे।
- च. हम घोषणा करते हैं कि हमें अधिनियम की धारा 42 के अधीन बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

के लिए और उनकी ओर से

 (नाम और हस्ताक्षर)
 {स्पष्ट अक्षरों में}
 निदेशक
 आवेदक का नाम
 स्थान :
 दिनांक :

 (नाम और हस्ताक्षर)
 {स्पष्ट अक्षरों में}
 निदेशक
 आवेदक का नाम
 स्थान:
 दिनांक:

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
 (बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची I – फार्म सी
 (विनियम 5(3) देखें)**

नया बीमा दलाल पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रलेखीकरण और प्रक्रियागत अपेक्षाएँ

क. पूर्ण आवेदनपत्र की प्रस्तुति।

क) अनुसूची I - फार्म बी में की गई अपेक्षानुसार संबंधित सूचना प्रस्तुत करना।

ख) इन विनियमों के विनियम 9 के अधीन निर्धारित रूप में हैदराबाद में देय माँग ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक विधि से आवेदित बीमा दलाल की श्रेणी के अनुसार आवश्यक शुल्क का विप्रेषण।

ग) आवेदक की संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों की मुद्रित प्रति प्रस्तुत करना। संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के मुख्य उद्देश्य विनियमों के अनुसार होने चाहिए।

घ) इन विनियमों के विनियम 8 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार किया जा सके, इसके पहले यह आवश्यक है कि इस अपेक्षा का अनुपालन किया जाए।

ङ) प्रधान अधिकारी : अनुसूची I – फार्म जी में यथाउल्लिखित योग्यता और उपयुक्तता मानदंड के फार्मेट के साथ अनुसूची I – फार्म एफ में उल्लिखित रूप में प्रधान अधिकारी से संबंधित डेटा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विवरण के लिए विनियम 8 देखें।

च) प्रधान अधिकारी को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि अधिनियम की धारा 42डी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से आवेदक (कंपनी के निदेशक/भागीदार, प्रधान अधिकारी और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक) ग्रस्त नहीं हैं।

- छ) अनुसूची I – फार्म जी में उल्लिखित रूप में योग्यता और उपयुक्तता फार्मेट के साथ अनुसूची I – फार्म एफ में निर्धारित फार्म में निदेशकों/भागीदारों, प्रवर्तक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों का ब्योरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ज) अनुसूची I – फार्म एफ में निर्धारित फार्म में उन दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों की सूची उनकी योग्यताओं के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए जो बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- झ) आवेदक के बैंक खाते की संख्या के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षकों और प्रधान बैंकरों का विवरण।
- ञ) मूलभूत संरचना के समर्थक साक्ष्य, जैसे परिसर के फोटोग्राफों सहित पंजीकृत कार्यालय के लिए कार्यालय स्थान/उपस्कर/प्रशिक्षित श्रमशक्ति, आदि के संबंध में स्वामित्व/ पट्टा करार संबंधी कागजात के साथ आईटी मूलभूत सुविधाओं के साथ मूलभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का ब्योरा तथा देश में विभिन्न स्थानों पर शाखा कार्यालय खोलने के लिए भावी आयोजना एवं अनुमानित समय-सीमा का विवरण।
- ट) प्रशासनिक व्यय, वेतन और मजदूरी तथा अन्य व्यय, राजस्व खाते से आहरण, लाभ-हानि खाते के पूर्वानुमान एवं पूर्वानुमानित 3 वर्ष के लिए तुलन-पत्र।
- ठ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जोखिम अंकन, जोखिम निर्धारण, दावों का निपटान, विपणन, लेखे, बैंक ऑफिस आदि जैसे कंपनी के कार्यकलापों का पूरा चित्र देते हुए संगठन का चार्ट।
- ड) जोखिम निर्धारण, जोखिम अंकन और दावों का प्रबंध आदि क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान और इन क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव रखनेवाले, बीमे की पृष्ठभूमि से युक्त और इस क्षेत्र से भरती किये गये अनुभवी कार्मिकों की सूची। इस प्रकार चयन किये गये लोगों के नियुक्ति-पत्रों/कार्यग्रहण पत्रों के साथ उनकी विस्तृत सीवी, शैक्षिक योग्यताओं की प्रतियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
- ढ) बीमा व्यवसाय की संवृद्धि और संवर्धन के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के स्वरूप से संबंधित कोई अन्य सूचना।
- ण) प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली कोई भी अन्य अपेक्षाएँ।

ख. हस्ताक्षरकर्ता

- क) उपर्युक्त आवेदन फार्म और विभिन्न फार्मेटों पर दो निदेशकों और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

दस्तावेजों/अपेक्षाओं की उपर्युक्त सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं। अतिरिक्त दस्तावेजों की सूचना आवेदित पंजीकरण की श्रेणी, शेयरधारिता के स्वरूप, इन विनियमों के अनुसार अपेक्षित किसी अन्य अनुपालन के मामले के आधार पर दी जाएगी।

ग. वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण

प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप निर्दिष्ट आवश्यकताएँ पूरी करने के बाद आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि वह आवेदन के संबंध में व्यवसाय की योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018
अनुसूची I – फार्म डी
(विनियम 5(4) और 9 देखें)

शुल्क और नवीकरण शुल्क

1. प्रत्येक बीमा दलाल पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय नीचे दर्शाये अनुसार वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क अदा करेगा :

बीमा दलाल की श्रेणी	देय आवेदन प्रसंस्करण शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	25,000 रुपये
पुनर्बीमा दलाल	50,000 रुपये
सम्मिश्र दलाल	75,000 रुपये

2. प्रत्येक बीमा दलाल नीचे निर्धारित किये अनुसार शुल्क का भुगतान करेगा :

बीमा दलाल की श्रेणी	देय शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	नये आवेदक के मामले में सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करने के बाद 50,000/- रुपये। पंजीकरण के नवीकरण के मामले में शुल्क 3 वर्ष की अवधि के लिए 1,00,000/- रुपये होगा।
पुनर्बीमा दलाल	नये आवेदक के मामले में सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करने के बाद 1,50,000/- रुपये। पंजीकरण के नवीकरण के मामले में शुल्क 3 वर्ष की अवधि के लिए 3,00,000/- रुपये होगा।
सम्मिश्र दलाल	नये आवेदक के मामले में सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करने के बाद 2,50,000/- रुपये। पंजीकरण के नवीकरण के मामले में शुल्क 3 वर्ष की अवधि के लिए 5,00,000/- रुपये होगा।

3. उपर्युक्त (2) पर देय शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के लिए होगा।
4. उक्त शुल्क इलेक्ट्रॉनिक विधि से अथवा हैदराबाद में देय "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के नाम माँग ड्राफ्ट (डीडी) के द्वारा देय होगा।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018
अनुसूची I – फार्म ई
(विनियम 8(2) देखें)

प्रधान अधिकारी तथा दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों के लिए योग्यता, प्रशिक्षण और परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता
भाग I

प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षाएँ

खंड 1 : न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ

- (1) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/ विश्वविद्यालय से प्राप्त कला, विज्ञान, अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य अथवा इंजीनियरिंग अथवा विधि में स्नातक उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा
- (2) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/ विश्वविद्यालय से प्राप्त व्यवसाय-प्रशासन (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) में मास्टर की उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा

- (3) भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
- (4) जोखिम प्रबंध संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
- (5) बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर अर्हता; अथवा
- (6) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
- (7) इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
- (8) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
- (9) भारतीय बीमांकक संस्थान का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
- (10) चार्टर्ड इंश्योरेंस इन्स्टीट्यूट, लंदन का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
- (11) भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान का सनदी वित्तीय विश्लेषक; अथवा
- (12) भारतीय बैंकर संस्थान, मुंबई का सर्टिफाइड एसोसिएटशिप; अथवा
- (13) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य योग्यता;

खंड 2 : व्यावसायिक प्रशिक्षण और परीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण :

- (क) आवेदक के प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से निर्धारित पचास घंटों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लेना चाहिए तथा प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षक निकाय द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।
- (ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित रूप में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण निम्न स्थितियों में पच्चीस घंटे का होगा जहाँ आवेदक का प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति:
 - (i) भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा जोखिम प्रबंध संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा भारतीय बीमांकक संस्थान का एसोसिएट/ फेलो; अथवा बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त; अथवा चार्टर्ड इंश्योरेंस इन्स्टीट्यूट, लंदन का एसोसिएट/ फेलो/ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स एण्ड वर्क्स ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान -का एसोसिएट/फेलो है अथवा आईसीएफएआई का सनदी वित्तीय विश्लेषक अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त कोई अन्य योग्यताएँ प्राप्त है;
- (ग) जो उम्मीदवार उपर्युक्त (ख) के अंतर्गत आता है, उससे यह अपेक्षित होगा कि वह प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति के बाद एक वर्ष के अंदर राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षक निकाय द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करे।

भाग II

प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति के लिए प्रमाणपत्र

आवेदक का प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करेंगे—

- क. आवेदक के प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति के पास एनआईए, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य निकाय द्वारा जारी किया गया विधिमान्य प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- ख. उक्त प्रमाणपत्र निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होना चाहिए।
- ग. प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति को जारी किये गये प्रमाणपत्र पर उस दलाल का नाम जिसने उस व्यक्ति को प्रायोजित किया हो, एवं व्यक्ति की आधार कार्ड संख्या तथा प्राधिकरण द्वारा अधिदेशात्मक किया जानेवाला कोई अन्य विषय-क्षेत्र होना चाहिए।
- घ. यदि किसी बीमा दलाल का प्रधान अधिकारी अथवा दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति किसी अन्य बीमा दलाल के लिए कार्य करना चाहता है, तो वह वर्तमान बीमा दलाल द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के साथ प्रस्तावित बीमा दलाल के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त निकाय को आवेदन करने के द्वारा ऐसा करेगा।
- ङ. यदि वर्तमान बीमा दलाल 30 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि बीमा दलाल को उसके परिवर्तन करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।
- च. बीमा दलाल से अनुरोध प्राप्त होने पर बीमा दलाल का नाम परिवर्तित करते हुए एक संशोधित प्रमाणपत्र एनआईए, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य निकाय द्वारा जारी किया जाएगा।
- छ. बीमा दलालों के प्रधान अधिकारियों और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों का डेटा एनआईए, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य निकाय द्वारा प्राधिकरण के साथ, विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से और विनिर्दिष्ट फार्म में साझा किया जाएगा।
- ज. प्रधान अधिकारी अथवा दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति के मामले में जो अर्हता-प्राप्त हैं तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) अधिनियम, 2013 के अधीन लाइसेंस-प्राप्त बीमा दलाल के पास पहले से ही कार्य कर रहे हैं, वे इन विनियमों के अधीन पंजीकृत बीमा दलालों के पास कार्य करना जारी रख सकते हैं।
- झ. तथापि, ऐसे प्रधान अधिकारियों और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों का विवरण एनआईए, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य निकाय को उक्त विधि से पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अथवा उनके पंजीकरण की तारीख से छह महीने के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा।
- ञ. उक्त विवरण प्राप्त होने के बाद एनआईए, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य निकाय ऐसे प्रधान अधिकारियों अथवा दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2018

अनुसूची I – फार्म एफ

(विनियम 8(2) देखें)

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों का विवरण

प्रधान अधिकारी/ निदेशकों/ भागीदारों/ प्रवर्तकों/ प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों का वैयक्तिक विवरण	
पूरा नाम	उल्लेख करें श्री/श्रीमती
पता	
जन्मतिथि	फोन सं.
राष्ट्रीयता	सेल सं.

संगठन में स्थिति		फैक्स सं.	
डीआईएन सं. (यदि लागू हो):		आधार सं. :	
वर्तमान स्थिति में कब से हैं		ईमेल आईडी	
		वेब पता:	
कर्तव्यों/जिम्मेदारियों का विवरण			
योग्यताएँ, अनुभव और उपलब्धियाँ			
संस्थान का नाम	देश	योग्यता	अध्ययन/उपाधिग्रहण का वर्ष
व्यावसायिक योग्यता (अनिवार्य व्यावसायिक अर्हताओं के लिए नीचे खंड 1 देखें)			
इस कंपनी में वर्तमान शेयरधारिता - _____ को स्थिति			
कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी में धारित शेयरों का प्रतिशत	
अन्य कंपनियों में ईक्विटी हित / अन्य कंपनियों में शेयरधारिता			
कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी में धारित शेयरों का प्रतिशत	
अन्य कंपनियों में धारित निदेशन/ भागीदारी/ स्वामित्व की स्थितियाँ			
कंपनी का नाम	संगठन में धारित स्थिति	अवधि (_____ से _____ तक)	

कार्य करने का अनुभव				
नियोजक का नाम	व्यवसाय का स्वरूप	पदनाम	कर्तव्यों का विवरण	अवधि

- 1) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर इस आवेदन में दी गई समस्त जानकारी वास्तविक और सही है।
- 2) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने योग्यता और उपयुक्तता का विवरण भर दिया है तथा इस फार्म के साथ संलग्न कर दिया है।

हस्ताक्षर
नाम
दिनांक

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018
अनुसूची I – फार्म जी
(विनियम 8(2) देखें)
योग्य और उपयुक्त के मानदंड

आवेदक प्राधिकरण को इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहिए कि –

- क) प्रधान अधिकारी पंजीकृत किये जाने के लिए योग्य और उपयुक्त है;
- ख) प्रधान अधिकारी इन विनियमों के विनियम 2 में परिभाषित रूप में पदभार का निर्वाह करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है;
- ग) उसके सभी प्रवर्तक/भागीदार/निदेशक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
- घ) आवेदक पर प्रभावी नियंत्रण रखनेवाले सभी व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
- ङ) आवेदक के प्रबंधन के सभी प्रमुख कार्मिक योग्य और उपयुक्त हैं।

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के लिए घोषणा और वचन-पत्र

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की 'योग्य और उपयुक्त' स्थिति तय करने के लिए उचित सावधानी बरतने के प्रयोजन के लिए निर्धारित 'घोषणा और वचन-पत्र' नीचे दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग फार्म प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

आवेदक/बीमा दलाल का नाम : _____		
	वैयक्तिक विवरण	
	पूरा नाम	
	संस्था में स्थिति	
	जन्मतिथि	
	शैक्षिक योग्यताएँ	
	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव	
	स्थायी पता	
	वर्तमान पता	

	ई-मेल पता/ टेलीफोन संख्या	
	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन आयकर मंडल का नाम और पता	
	आधार सं.	
	बीमे में संबंधित ज्ञान और अनुभव	
	स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना	
संबंधित योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) के मानदंड यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर 'हाँ' है, तो कृपया पूरा विवरण दें।		
	क्या आपने कभी किसी कानून के अंतर्गत सेबी, रिज़र्व बैंक, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, एफएमसी आदि जैसे किसी विनियामक प्राधिकरण से पंजीकृत हैं अथवा लाइसेंस प्राप्त किया है	
	क्या आपने इस आवेदन में बताये गये नाम के अलावा किसी अन्य नाम से कारोबार किया है	
	क्या आपको कोई कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय, जिसके लिए कानून के अंतर्गत विशिष्ट लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अन्य प्राधिकार अपेक्षित है, करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कभी अस्वीकार अथवा प्रतिबंधित किया गया है	
	क्या कभी आपको कोई व्यावसायिक कार्यकलाप करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा निंदित अथवा अनुशासित अथवा निलंबित किया गया है अथवा अनुमति या लाइसेंस या पंजीकरण देने से इनकार किया गया है	
	क्या आप कभी किसी जाँच-पड़ताल अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन रहे हैं अथवा आपको कभी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई चेतावनी या फटकार दी गई है	
	क्या कभी आपको किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा आप किसी लंबित कार्यवाही के अधीन रहे हैं	
	क्या कभी आपको किसी भी समय किसी व्यवसाय / पेशे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है	
	आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए लंबित, प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि के परिणामी अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
	आपके विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि के परिणामी आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
	क्या आप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी अनर्हता से ग्रस्त हैं?	
	क्या आप सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के आदेश पर किसी जाँच के अधीन रहे हैं?	
	क्या कभी आप सीमाशुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाये गये हैं, यदि हाँ तो विवरण दें।	
	क्या कभी आप सेबी, आईआरडीएआई, डीसीए जैसे विनियामक की सूचना में प्रतिकूल रूप से आये हैं। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस स्तंभ में विनियामकों द्वारा दिये गये ऐसे आदेशों अथवा निष्कर्षों का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पूर्णतः उलट दिया गया हो / रद्द किया गया हो, तथापि इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, यदि इस प्रकार उलट देना / रद्द करना गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकार की परिसीमा अथवा उसके अभाव	

	जैसे तकनीकी कारणों से हुआ हो। यदि विनियामक का आदेश अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया है तथा अपीलिय / अदालती कार्यवाही अनिर्णीत है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।	
	क्या आपकी किसी समूह कंपनी/सहयोगी कंपनी/संबंधित पक्षकार के पास आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया कोई लाइसेंस है	
	मद I और II के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) का निर्णय करने के लिए सुसंगत समझी गई कोई अन्य जानकारी	
	वचन-पत्र	
	मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद घटित होनेवाली सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र प्राधिकरण को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ, जो ऊपर उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित हों।	
	स्थान :	हस्ताक्षर
	दिनांक :	नाम

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची I – फार्म एच
(विनियम 30 और विनियम 8(2) देखें)**

आचरण संहिता – बीमा दलाल

1. प्रत्येक बीमा दलाल व्यावसायिक आचरण के मान्यताप्राप्त मानकों का अनुसरण करेगा तथा ग्राहकों अथवा पॉलिसीधारकों के हित में अपने कार्यों का निर्वाह करेगा।
2. **ग्राहक-संबंध से संबंधित मामलों में आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :**
 - (क) हर समय अपने ग्राहकों से सर्वाधिक सद्भावना और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;
 - (ख) सावधानी और कर्मठता के साथ कार्य करेगा;
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक यह समझे कि बीमा दलाल के साथ उसका क्या संबंध है और बीमा दलाल किसकी ओर से कार्य कर रहा है;
 - (घ) भावी ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी सूचना को पूर्णतः अपने तक और बीमाकर्ता(ओं) तक गोपनीय रखेगा जिन्हें व्यवसाय का प्रस्ताव किया जा रहा हो;
 - (ङ) अपने कब्जे में स्थित गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा;
 - (च) संबंध विकसित करने के लिए ग्राहक के विशिष्ट अधिकार को सुरक्षित रखेगा;
 - (छ) जिस ग्राहक के साथ वह व्यवहार कर रहा है, उसके प्रकार को तथा जोखिम और बीमे के संबंध में ग्राहक की जानकारी की सीमा को समझेगा;

- (ज) बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त करेगा तथा बीमे को लागू करने के बाद ग्राहक को रक्षा प्रदान करने की सूचना देगा। जब तक अन्यथा विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो, तब तक ग्राहक से प्राप्त लिखित अधिदेश एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, यदि अधिदेश में वैधता अवधि का उल्लेख नहीं किया गया हो। तथापि, पूर्व-जोखिम-अंकित पॉलिसियों अथवा फुटकर/ वैयक्तिक पॉलिसियों के मामले में ग्राहक से अधिदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है;
- (झ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त करेगा; तथा पुनर्बीमे को लागू करने के बाद बीमाकर्ता को रक्षा की पुष्टि करेगा, एवं संबंधित पुनर्बीमा स्वीकृति और स्थापन की पर्चियाँ प्रस्तुत करेगा;
- (ञ) हितों के संघर्ष से बचेगा;
- (ट) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगा तथा बीमा कंपनी के साथ साझा करेगा।
- (ठ) ई-बीमा खाता खोलने में ग्राहक की सहायता करेगा।

3. विक्रय प्रथाओं से संबंधित मामलों में आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) इस बात की पुष्टि करेगा कि वह भारतीय बीमा दलाल संघ अथवा प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे दलालों के निकाय का सदस्य है जिसका प्राधिकरण के साथ सहमति ज्ञापन है;
- (ख) यह पुष्टि करेगा कि वह व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए एजेंटों अथवा अनुयाचकों को नियुक्त नहीं करेगा;
- (ग) स्वयं की पहचान स्थापित करेगा तथा प्रस्ताव पर स्थित उत्पादों में विकल्प की श्रेणी को यथाशीघ्र स्पष्ट करेगा;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि वह जिस सेवा का प्रस्ताव कर सकता है उसके प्रकार को ग्राहक समझता है;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित पॉलिसी भावी ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है;
- (च) केवल उन्हीं विषयों में सलाह देगा जिनका वह जानकार है तथा जब आवश्यकता होगी तब परामर्श के लिए अन्य विशेषज्ञ से अपेक्षा करेगा अथवा उसकी सिफारिश करेगा;
- (छ) किसी बीमाकर्ता अथवा भारतीय बीमा दलाल संघ के किसी सदस्य अथवा प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित बीमा दलालों के ऐसे निकाय के सदस्य की अयथार्थ या अनुचित आलोचना नहीं करेगा;
- (ज) यह स्पष्ट करेगा कि किसी पॉलिसी अथवा पॉलिसियों का प्रस्ताव क्यों किया गया है तथा जहाँ उत्पादों का विकल्प है वहाँ मूल्य, रक्षा अथवा सेवा के तौर पर तुलना उपलब्ध कराएगा;
- (झ) यदि प्रस्तावित रक्षा तुरंत लागू नहीं की गई हो तो रक्षा की वह अवधि स्पष्ट करेगा जब तक भाव (कोटेशन) वैध रहेगा;
- (ञ) यह स्पष्ट करेगा कि प्रीमियम कब और कैसे देय है तथा ऐसे प्रीमियम का संग्रहण कैसे किया जाएगा, जहाँ प्रीमियम का पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषण दूसरा पक्षकार कर रहा है वहाँ उस पक्षकार के प्रति ग्राहक की संभावित देनदारी सहित ग्राहक को पूरा विवरण दिया जाएगा;
- (ट) हानि होने की स्थिति में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रियाएँ स्पष्ट करेगा।
- (ठ) धन शोधन (मनी लांडरिंग) की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
- (ड) यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा दलाल भ्रमजनक कॉलों या अप्रामाणिक कॉलों द्वारा स्वयं अथवा कॉल सेंटरों के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त करने में लिप्त नहीं है।

4. सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल –

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकटीकरण न करने और अयथार्थताओं के परिणाम भावी ग्राहक को बताये जाएँगे;
- (ख) भावी ग्राहक को प्रभावित करने से बचेगा तथा यह स्पष्ट कर देगा कि दिये गये सभी उत्तरों अथवा वक्तव्यों की जिम्मेदारी ग्राहक की स्वयं की होगी।
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, जिसके आधार पर बीमाकर्ता द्वारा जोखिम को स्वीकार किया गया है, प्रस्ताव फार्म का भाग बनाई जाएगी तथा उसका साझा ग्राहक और बीमाकर्ता के साथ किया जाएगा। सूचना की किसी गलत प्रस्तुति के संबंध में बीमा संविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (घ) दस्तावेजों में दी गई सूचना के व्योरे की जाँच सावधानीपूर्वक करने के लिए ग्राहक से कहेगा तथा उस स्थिति में ग्राहक से निवेदन करेगा कि वह सही, उचित और पूरा प्रकटीकरण करे जहाँ उसे यकीन है कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है एवं यदि आगे का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो उसे आगे की कार्रवाई करने से इनकार करने पर विचार करना चाहिए;
- (ङ) पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान बीमे को प्रभावित कर सकने वाले सभी परिवर्तनों के प्रकटीकरण का महत्व ग्राहक को स्पष्ट करेगा; तथा
- (च) अपनी जानकारी में स्थित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण ग्राहक की ओर से करेगा तथा जोखिम का एक उचित प्रस्तुतीकरण करेगा।

5. बीमा संविदा के स्पष्टीकरण से संबंधित आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :

- (क) बीमा संविदा के अंतर्गत सहभागिता करनेवाले बीमाकर्ता(ओं) की सूची उपलब्ध कराएगा तथा उसके बाद होनेवाले किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा;
- (ख) अपने द्वारा सिफारिश की गई पॉलिसी द्वारा दी जानेवाली रक्षा के सभी आवश्यक प्रावधानों के बारे में स्पष्ट करेगा ताकि भावी ग्राहक यथासंभव समझ सके कि क्या खरीदा जा रहा है;
- (ग) बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये रूप में शर्तों को ठीक-ठीक उद्धृत करेगा;
- (घ) पॉलिसी के अंतर्गत लगाई गई किसी भी वारंटी, प्रमुख अथवा असाधारण प्रतिबंधों, पॉलिसी के अंतर्गत अपवर्जनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि संविदा को कैसे निरस्त किया जा सकता है;
- (ङ) तत्परतापूर्वक लिखित रूप में ग्राहक को इस बात की पुष्टि उपलब्ध कराएगा कि बीमे को लागू किया गया है। यदि इस पुष्टि के साथ अंतिम पॉलिसी वाक्यरचना सम्मिलित नहीं है तो इसे यथाशीघ्र प्रेषित किया जाएगा;
- (च) किसी भी बीमा संविदा की शर्तों में होनेवाले परिवर्तन सूचित करेगा तथा किसी परिवर्तन के लागू होने से पहले उचित रूप से नोटिस देगा;
- (छ) अपने ग्राहकों को उनकी ओर से प्रस्तावित किसी भी बीमे की सूचना देगा जो भारत के बाहर स्थित किसी बीमाकर्ता के साथ लागू किया जाएगा जहाँ अनुमति दी गई हो, तथा यदि उचित हो तो संबद्ध संभावित जोखिमों के बारे में सूचित करेगा; तथा
- (ज) ग्राहकों के लिए बीमा संविदाओं की व्यवस्था करते समय किसी विशिष्ट बीमाकर्ता के प्रति तरफ़दारी नहीं करेगा।

6. पॉलिसियों के नवीकरण से संबंधित आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक बीमे के समाप्त होने की तारीख जानता है, भले ही वह ग्राहक को आगे और रक्षा न देने के प्रस्ताव के विकल्प का चयन करता हो;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के प्रारंभ अथवा अंतिम नवीकरण की तारीख से घटित हो चुके ऐसे परिवर्तन जो पॉलिसी को प्रभावित करते हों, सूचित करने की आवश्यकता सहित, नवीकरण की सूचनाओं में प्रकटीकरण के कर्तव्य के बारे में एक चेतावनी निहित हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि नवीकरण की सूचनाओं में संविदा के नवीकरण के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता को उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना का अभिलेख (पत्रों की प्रतियों सहित) रखने की अपेक्षा निहित हो;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को समाप्ति की तारीख से काफी पहले बीमाकर्ता की ओर से नवीकरण की नोटिस प्राप्त हो।

7. ग्राहक द्वारा दावे के संबंध में आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) अपने ग्राहकों को तत्परतापूर्वक अपने दावे सूचित करने तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करने और परवर्ती घटनाओं की सूचना यथाशीघ्र देने का उनका दायित्व स्पष्ट करेगा;
- (ख) ग्राहक से सही, उचित और पूर्ण प्रकटीकरण करने का अनुरोध करेगा जहाँ उसे विश्वास हो कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है। यदि आगे का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो वह ग्राहक के लिए आगे और कार्य करने से इनकार करने पर विचार करेगा;
- (ग) दावे से संबंधित किसी भी अपेक्षा के बारे में ग्राहक को तत्काल सूचित करेगा;
- (घ) किसी दावे अथवा दावा उत्पन्न करनेवाली किसी घटना के संबंध में ग्राहक से प्राप्त कोई भी सूचना अविलंब, तथा किसी भी स्थिति में तीन कार्यदिवसों के अंदर प्रेषित करेगा;
- (ङ) किसी दावे के संबंध में बीमाकर्ता के निर्णय अथवा अन्यथा स्थिति के संबंध में ग्राहक को अविलंब सूचित करेगा; तथा अपने दावे के संबंध में अनुसरण करने में ग्राहक की हर प्रकार से यथोचित सहायता करेगा।

8. शिकायतें प्राप्त करने से संबंधित आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदेश पत्रों, पॉलिसियों और नवीकरण दस्तावेजों में शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाएँ निहित होंगी;
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित शिकायतों सहित, फोन पर अथवा लिखित में प्राप्त शिकायतें स्वीकार करेगा;
- (ग) शिकायत प्राप्त होने की सूचना पत्राचार की प्राप्ति से चौदह दिनों के अंदर भेजेगा, तथा शिकायत के संबंध में कार्रवाई करनेवाले स्टाफ-सदस्य को उस पर कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा के साथ सूचित करेगा;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि जवाबी पत्र भेजे जाएँगे तथा शिकायतकर्ता को सूचित करेगा कि यदि जवाबी पत्र से वह असंतुष्ट है तो वह क्या कर सकता है;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों पर उचित रूप से वरिष्ठ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी;
- (च) शिकायतों को दर्ज करने और उनपर निगरानी रखने के लिए उसके पास एक प्रणाली विद्यमान होगी।

9. प्रलेखीकरण के संबंध में आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि जारी किये गये कोई भी दस्तावेज समय-समय पर प्रचलित सभी सांविधिक अथवा विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार होंगे;

- (ख) पॉलिसी प्रलेख परिहार्य विलंब के बिना भेजेगा;
- (ग) पॉलिसी प्रलेखों के साथ यह सूचना उपलब्ध कराएगा कि ग्राहक द्वारा प्रलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और उन्हें सँभालकर रखा जाएगा;
- (घ) ग्राहकों की सहमति के बिना उनसे प्राप्त प्रलेखों को रोक नहीं रखेगा जब तक कि ग्राहक को पर्याप्त और उचित कारण लिखित में और अविलंब प्रकट न किये जाएँ। जहाँ प्रलेखों को रोक रखा जाता है, वहाँ भी ग्राहक को बीमा संविदा संबंधी पूरा विवरण अवश्य प्राप्त होना चाहिए;
- (ङ) बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त सभी धनराशियों की प्राप्ति-सूचना भेजेगा;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर तत्परतापूर्वक भेजे जाएँ तथा सभी पत्रों के लिए त्वरित उत्तर प्राप्त होने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा; तथा
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लिखित शर्तें उचित विषय-वस्तु से युक्त होंगी तथा उनमें ग्राहकों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में निर्दिष्ट होंगी;
- (ज) अपने को देय किसी भी धनराशि के भुगतान के अधीन, ग्राहक द्वारा बताये गये किसी नये बीमा दलाल को वे सभी प्रलेख उपलब्ध कराएगा जिनके लिए ग्राहक हकदार है तथा ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए नये बीमा दलाल को जिनकी आवश्यकता है; तथा
- (झ) इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियाँ हासिल करने में / प्राप्त करने में ग्राहक की सहायता करेगा।
10. विज्ञापन से संबंधित मामलों में आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 के संबंधित उपबंधों के अनुरूप होगा, तथा :-
- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि दिये गये वक्तव्य भ्रमजनक और अतिरंजक नहीं हैं;
- (ख) जहाँ उपयुक्त हो वहाँ संविदागत लाभों जिन्हें प्रदान करने के लिए बीमा पॉलिसी बाध्य है तथा गैर-संविदागत लाभों जिन्हें प्रदान किया जा सकता है, के बीच भेद दिखलायेगा;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन केवल एक बीमाकर्ता की पॉलिसियों तक सीमित नहीं होंगे, उस स्थिति को छोड़कर जहाँ ऐसे प्रतिबंध के लिए कारण उस बीमाकर्ता के पूर्व-अनुमोदन से पूरी तरह स्पष्ट नहीं किये जाते हों;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापनों में ऐसा कुछ भी निहित नहीं होगा जिससे कानून का उल्लंघन होता है अथवा कानून द्वारा अपेक्षित कोई बात उनमें से नहीं छूटेगी;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन से कानून की अवज्ञा अथवा उल्लंघन को प्रोत्साहन या छूट नहीं मिलती;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि आम तौर पर औचित्य और मर्यादा के प्रचलित मानकों के आलोक में विज्ञापनों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिनके कारण गंभीर और व्यापक अपराध अथवा अव्यवस्था के उत्पन्न होने की संभावना हो;
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन इस प्रकार तैयार नहीं किये जाएँगे जिससे ग्राहकों के विश्वास का दुरुपयोग हो सके अथवा उनके पास अनुभव और जानकारी न होने का अनुचित लाभ उठाया जा सके;
- (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि वस्तुनिष्ठ रूप से जानने योग्य तथ्यों के मामलों से संबंधित सभी विवरण, दावे और तुलनाएँ प्रमाणीकरण के लिए सक्षम होंगी।

11. पारिश्रमिक की प्राप्ति से संबंधित मामलों में आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) यदि ग्राहक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो पारिश्रमिक और प्रतिफल की राशि अथवा उस ग्राहक के लिए बीमा लागू करने के परिणामस्वरूप प्राप्त की जानेवाली पारिश्रमिक और प्रतिफल की राशि का आधार प्रकट करेगा तथा यह प्रकट करेगा कि क्या उसके और बीमाकर्ता के बीच कोई संबंध है।

12. प्रशिक्षण संबंधी मामलों से संबंधित आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका स्टाफ, विशेष रूप से दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति इस संहिता द्वारा उनसे प्रत्याशित मानकों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ, विशेष रूप से दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति सक्षम और उपयुक्त हैं तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों द्वारा दिये गये परामर्श की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रणाली विद्यमान है;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ के सदस्य, खास तौर से दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति अपने कार्यकलापों को प्रभावित करनेवाली कानूनी अपेक्षाओं के जानकार हैं; तथा वे केवल उन्हीं श्रेणियों के व्यवसाय को संभालेंगे जिनमें वे सक्षम हैं;
- (ङ) अधिनियम की धारा 41 की ओर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करेगा जो कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल में छूट और साझेदारी को प्रतिबंधित करती है।

13. प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा दलालों के लिए सामान्य सूचना और शिक्षा

- (क) बीमा दलाल उद्योग की शिक्षा संबंधी पहलों को समर्थन देगा जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं और समुदाय को बीमे के विषय में स्पष्ट करना हो।
- (ख) बीमा दलाल ग्राहक के लिए निम्नलिखित को शीघ्र उपलब्ध कराएगा :
- बीमे के संबंध में अद्यतन जानकारी;
 - बीमाकृत व्यक्तियों हेतु आवश्यक बीमे के स्तर का निर्धारण करने के लिए उनके सहायतार्थ सूचना; तथा
 - बीमा उत्पादों और सेवाओं, तथा इस आचरण संहिता के बारे में सूचना।

14. प्रत्येक बीमा दलाल ऐसे प्रत्येक कार्यालय में जहाँ वह कारोबार संचालित कर रहा है और जहाँ जनसाधारण की पहुँच है, इस आशय की एक नोटिस प्रदर्शित करेगा कि अनुरोध करने पर आचरण-संहिता की प्रति उपलब्ध है तथा यदि जनता का कोई सदस्य कोई शिकायत करना चाहता है अथवा किसी विवाद का समाधान करने में प्राधिकरण से सहायता की अपेक्षा करता है तो वह प्राधिकरण को लिख सकता है।

15. इन विनियमों में यथापरिभाषित बीमा दलाल अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत किसी बीमाकर्ता के बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा।

16. प्रत्येक बीमा दलाल बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा जो बीमा दलालों के रूप में उनके द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों पर लागू हो सकते हैं और उनके लिए संगत हैं।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018
अनुसूची I – फार्म आई
(विनियम 8(2) और विनियम 30 देखें)**

पुनर्बीमा दलाल और सम्मिश्र दलाल के लिए अतिरिक्त आचरण-संहिता

पुनर्बीमा दलाल / सम्मिश्र दलाल अपने ग्राहकों के लिए पुनर्बीमा रक्षाओं की व्यवस्था करते समय (पुनर्बीमाकर्ता)बीमाकर्ता के साथ व्यावसायिक शर्तों का एक करार (टीओबीए) करेंगे। उक्त टीओबीए में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे।

- i) स्वरूप और विस्तार;
- ii) प्रकटीकरण और प्रलेखीकरण;
- iii) प्रीमियमों/ दावों के विप्रेषण के प्रत्याशित समय सहित प्रीमियम भुगतान की शर्तें;
- iv) ग्राहकों की धनराशि को संभलना;
- v) करार के प्रत्येक पक्षकार की भूमिकाएँ और दायित्व;
- vi) विनियामक अनुपालन;
- vii) पारिश्रमिक;
- viii) करों का भुगतान;
- ix) दावे;
- x) विवादों का समाधान;

पुनर्बीमाकर्ता/ सम्मिश्र दलाल निम्नलिखित अतिरिक्त आचरण संहिता का पालन करेगा –

1. सामान्य (पुनर्बीमा की सभी संविदाओं पर लागू)

- क) बीमा दलाल जोखिम का बीमा करनेवाले बीमाकर्ता अथवा उस बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता जिसे जोखिम के लिए शर्तें बताने के लिए कहा गया है, के विशिष्ट लिखित प्राधिकार के बिना किसी भी जोखिम के संबंध में पुनर्बीमा रक्षा के लिए शर्तें विकसित करने अथवा पुनर्बीमा का स्थापन करने के लिए पुनर्बीमा बाजारों में प्रवेश नहीं करेगा।
- ख) उक्त दलाल पुनर्बीमा का स्थापन करने के लिए आदेश प्राप्त करने की प्रत्याशा में पुनर्बीमा क्षमता को अवरुद्ध नहीं करेगा।

- ग) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को बाजार में प्रवेश करने से पहले, प्रयुक्त की जानेवाली पुनर्बीमा स्थापन पर्ची की एक सही और पूर्ण प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा। बीमा दलाल उक्त स्थापन पर्ची में बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी आशोधन अथवा सुधार सम्मिलित करेगा।
- घ) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को अपने द्वारा विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त सभी शर्तें (अनुमत पुनर्बीमा कमीशन और दलाली सहित) प्रस्तुत करेगा तथा वह हिस्सा जिसका अग्रणी पुनर्बीमाकर्ता उन शर्तों पर जोखिम-अंकन करना चाहता है और स्वीकार्य पुनर्बीमा सुरक्षा के साथ, बताई गई शर्तों पर अपेक्षित पुनर्बीमा के स्थापन के बारे में बीमा दलाल की प्रत्याशा निर्दिष्ट करेगा।
- ङ) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को, शर्तें बताते हुए अग्रणी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्थापन पर्ची की एक सही प्रतिलिपि उसपर पुनर्बीमाकर्ता की हस्ताक्षरित लाइन निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा।
- च) जहाँ जोखिम पर पुनर्बीमा विभिन्न शर्तों पर विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास रखने का प्रस्ताव किया जाता है, वहाँ यह तथ्य उपयुक्त रूप से पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रकट किया जाएगा कि सभी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शर्तें एकसमान नहीं हैं।
- छ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता ने जब बताई गई पुनर्बीमा शर्तें स्वीकार कर ली हैं, तब बीमा दलाल अपेक्षित पुनर्बीमा रक्षा स्थापित करेगा तथा समय-समय पर स्थापन की प्रगति के बारे में बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को सूचित करता रहेगा। जोखिम जिन पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रस्तावित किया जाता है, उनका चयन करने में बीमा दलाल केवल ऐसे ही पुनर्बीमाकर्ताओं का उपयोग करने की आवश्यकता के संबंध में सतर्क रहेगा जिनकी रेटिंग भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा – पुनर्बीमा) विनियम, 2016 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013 के द्वारा अपेक्षित रूप में है। जहाँ पुनर्बीमा का अधिस्थापन किया जाता है, वहाँ अच्छी बाजार प्रथा के अनुरूप सुसंगत तरीके से बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के साथ परामर्श करने के बाद हस्ताक्षर किये जाएँगे।
- ज) बीमाकर्ता को प्रीमियम के विप्रेषण और संबंधित पुनर्बीमाकर्ता द्वारा उसकी प्राप्ति की पुष्टि ऐसे विप्रेषण से दस दिन के अंदर करेगा।
- झ) पुनर्बीमा का स्थापन पूरा करने के तत्काल बाद बीमा दलाल रक्षा की शर्तें और पुनर्बीमाकर्ताओं के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के साथ स्थापित हिस्सों की सूचना देते हुए बीमा दलाल का रक्षा नोट जारी कर सकता है। उक्त कवर नोट के अंतर्गत पुनर्बीमा के लिए लागू सभी महत्वपूर्ण खंडों और शर्तों की सूचीबद्धता निहित हो सकती है तथा जहाँ खंडों की वाक्यरचना/शब्दावली बाजार मानक के अनुरूप नहीं है, वहाँ पुनर्बीमा संविदा में प्रयुक्त की जानेवाली वाक्यरचना/ शब्दावली बीमा दलाल के रक्षा नोट के साथ संलग्न की जाएगी।
- ञ) बीमा दलाल पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त करने के बाद एक महीने के अंदर एक औपचारिक हस्ताक्षरित पुनर्बीमा पॉलिसी प्रलेख अथवा संबंधित पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पुनर्बीमा संविदा के अन्य स्वीकार्य प्रमाण के द्वारा उक्त रक्षा नोट का अनुवर्तन करेगा।
- ट) बीमा दलाल के पास एक आंतरिक सुरक्षा जाँच प्रक्रिया होगी अथवा वह मान्यताप्राप्त साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों द्वारा दी गई साख रेटिंग का अनुसरण करेगा तथा एक या उससे अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं की साख रेटिंग के बारे में बीमाकर्ता द्वारा उठाये गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अविलंब देगा। जहाँ बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता किसी भी कारण से किसी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता को स्वीकार करने से इनकार करता है तथा जोखिम के प्रारंभ से पहले सुरक्षा को बदलने के लिए बीमा दलाल से कहता है वहाँ बीमा दलाल तत्परतापूर्वक इस प्रकार करेगा और रक्षा के संबंध में लाये गये नये पुनर्बीमाकर्ता के संबंध में उक्त बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को सूचित करेगा।

2. आनुपातिक समझौते अथवा गैर-आनुपातिक समझौते का स्थापन

- क) आनुपातिक समझौते का स्थापन करने के लिए आमंत्रित सम्मिश्र बीमा दलाल बीमाकर्ता के सहयोग से समझौता प्रस्ताव पच्ची तैयार करेगा तथा बाजार में प्रवेश करने से पहले उक्त पच्ची और सूचना के प्रति बीमाकर्ता की सहमति प्राप्त करेगा।
- ख) जहाँ पुनर्बीमा समझौते का स्थापन विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास अलग-अलग शर्तों पर किया जाता है, वहाँ इस तथ्य की जानकारी कि इस प्रकार की प्रथा विद्यमान है, सभी पुनर्बीमाकर्ताओं को उपयुक्त रूप से दी जाएगी।
- ग) जहाँ कोई पुनर्बीमाकर्ता एक हिस्सा किसी शर्त के अधीन स्वीकार करता है, वहाँ स्थापन को बाध्यकारी बनाने से पहले, अध्यर्पण करनेवाले बीमाकर्ता को इन शर्तों की जानकारी दी जाएगी और उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी।
- घ) बीमा दलाल समझौते के स्थापन की प्रगति समय-समय पर सूचित करेगा। स्थापन को पूरा करने के तत्काल बाद बीमा दलाल समझौते की शर्तें निर्धारित करनेवाला रक्षा नोट तथा पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची उनके हिस्सों के साथ जारी करेगा। जहाँ किसी समझौते का अधिस्थापन किया जाता है, वहाँ बीमा दलाल बीमाकर्ता के साथ परामर्श करने के बाद अच्छी बाजार प्रथा के अनुरूप सुसंगत तरीके से हिस्सों को कम संकेतित करेगा।
- ङ) बीमा दलाल स्थापन को पूरा करने के तीन महीने के अंदर औपचारिक समझौते की वाक्यरचना/शब्दावली अथवा अन्य औपचारिक पुनर्बीमा संविदा प्रलेखीकरण के संबंध में हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

3. विदेशी आवक पुनर्बीमा का स्थापन

- क) बीमा दलाल सुनिश्चित करेगा कि भारतीय पुनर्बीमाकर्ता विदेश स्थित बीमाकर्ता से पुनर्बीमा प्रीमियम पुनर्बीमा संविदा में निर्धारित प्रीमियम भुगतान शर्त के अनुसार प्राप्त करेगा/करेंगे।
- ख) पुनर्बीमा दलाल जोखिम का बीमा करनेवाले विदेश स्थित बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता जिसे जोखिम के लिए शर्तें बताने के लिए कहा गया है, के विशिष्ट लिखित प्राधिकार के बिना पुनर्बीमा रक्षा के लिए शर्तें विकसित करने अथवा किसी भी जोखिम पर पुनर्बीमा का स्थापन करने के लिए भारतीय पुनर्बीमा बाजारों में प्रवेश नहीं करेगा।
- ग) बीमा दलाल विदेश स्थित बीमाकर्ता के संबंध में किन्हीं भी शर्तों के लिए वचनबद्ध होने से पहले, प्रयुक्त की जानेवाली स्थापन पच्ची की एक सही और संपूर्ण प्रतिलिपि भारत में स्थित पुनर्बीमाकर्ता को उपलब्ध कराएगा। बीमा दलाल उक्त स्थापन पच्ची में पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी आशोधन अथवा सुधार शामिल करेगा।
- घ) बीमा दलाल विदेश स्थित बीमाकर्ता को, विभिन्न भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं से अपने द्वारा प्राप्त सभी शर्तें (अनुमत पुनर्बीमा कमीशन और दलाली सहित) प्रस्तुत करेगा तथा वह हिस्सा निर्दिष्ट करेगा जिसका जोखिम-अंकन पुनर्बीमाकर्ता उन शर्तों पर करना चाहता है और स्वीकार्य पुनर्बीमा सुरक्षा के साथ बताई गई शर्तों पर अपेक्षित पुनर्बीमा के स्थापन के बारे में बीमा दलाल की प्रत्याशा सूचित करेगा।
- ङ) बीमा दलाल विदेश स्थित बीमाकर्ता को शर्तें बताते हुए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्थापन पच्ची की एक सही प्रतिलिपि उस पर पुनर्बीमाकर्ता की हस्ताक्षरित लाइन निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा।
- च) जहाँ जोखिम के पुनर्बीमा का स्थापन विभिन्न शर्तों पर विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास करना प्रस्तावित है, वहाँ यह तथ्य कि सभी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शर्तें एकसमान नहीं हैं, पुनर्बीमाकर्ताओं को उपयुक्त रूप से प्रकट किया जाएगा।
- छ) बीमा दलाल किसी भी आवक व्यवसाय के कारण उत्पन्न होनेवाले दावे के संबंध में कार्रवाई करने के लिए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) द्वारा अपेक्षित रूप में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा।

4. विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के पास स्थापित पुनर्बीमा व्यवसाय

- क) बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि विदेश स्थित केवल उन्हीं पुनर्बीमाकर्ताओं के पास व्यवसाय का स्थापन किया जाता है जिनका अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन किया गया हो;

- ख) पुनर्बीमा दलाल पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थापन करते समय किसी भी कराधान, विदेशी मुद्रा, धन-शोधन निवारण अथवा किसी भी अन्य प्रयोज्य सांविधिक कानून का पालन सुनिश्चित करेगा।
- ग) पुनर्बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विदेशी बीमाकर्ता के पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थापन किसी अन्य विदेशी बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के पास करते समय वे उन अधिकार-क्षेत्रों के प्रयोज्य कानूनों का पालन करेंगे।

5. विपत्तियों और आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया

- क) बीमा दलाल बाढ़, भूकंप, चक्रवात, प्रचंड तूफान और ओला-वृष्टि जैसी विपत्तियों और आपदाओं के संबंध में जो बड़ी संख्या में दावों के लिए कारणभूत हैं, समयोचित, व्यावसायिक और व्यावहारिक रूप में तथा सहानुभूतिपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दर्शायेगा।

6. पुनर्बीमा संविदा के स्पष्टीकरण के संबंध में आचरण-

प्रत्येक पुनर्बीमा दलाल अथवा सम्मिश्र दलाल :

- क) पुनर्बीमा संविदा के अंतर्गत सहभागिता करनेवाले पुनर्बीमाकर्ता(ओं) की सूची उपलब्ध कराएगा तथा उसके बाद होनेवाले किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा;
- ख) अपने द्वारा सिफारिश की गई पॉलिसी द्वारा प्रदत्त रक्षा के सभी आवश्यक प्रावधानों को स्पष्ट करेगा ताकि यथासंभव भावी ग्राहक समझ सके कि वह क्या खरीद रहा है;
- ग) शर्तें बिलकुल उसी रूप में बतायेगा जैसी कि पुनर्बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं;
- घ) पॉलिसी के अंतर्गत लागू की गई किसी भी वारंटी, प्रमुख और असाधारण प्रतिबंधों, पॉलिसी के अंतर्गत अपवर्जनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि संविदा किस प्रकार निरस्त की जा सकती है;
- ङ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को तत्परतापूर्वक लिखित रूप में इस बात की पुष्टि उपलब्ध कराएगा कि पुनर्बीमा लागू कर दिया गया है। यदि इस पुष्टीकरण के साथ अंतिम पॉलिसी वाक्यरचना शामिल नहीं की गई है तो वह यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी; तथा
- च) किसी भी पुनर्बीमा संविदा की शर्तों में परिवर्तन सूचित करेगा तथा किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले उचित नोटिस देगा।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018

अनुसूची I – फार्म जे
(विनियम 10 देखें)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या :

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा

.....
.....को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन दलाल

(श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें)

के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

2. उक्त बीमा दलाल के लिए पंजीकरण कूट निम्नानुसार है
.....
3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र से तक वैध होगा।
4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018

अनुसूची I – फार्म के

(विनियम 14(1) देखें)

पंजीकरण का नवीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन

फार्म भरने के लिए अनुदेश :

1. यह महत्वपूर्ण है कि इस आवेदन फार्म को भरने से पहले प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए।
2. यह आवश्यक है कि आवेदक प्राधिकरण को विधिवत् भरा गया आवेदन सभी उपयुक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करे।
3. पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह हर प्रकार से पूर्ण हो।
4. आवेदक को चाहिए कि वह आवेदनों पर स्वयं हस्ताक्षर करे।
5. जो सूचना अधिक विवरण के साथ देने की आवश्यकता हो, वह अलग पत्रकों पर दी जाए जिन्हें आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना चाहिए।
6. यदि आवेदक कोई कंपनी नहीं है, तो इस फार्म में माँगी गई सूचना अपेक्षाओं को उपयुक्त रूप में अनुकूल बनाकर दी जाएगी।

1. आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम :

1.2 (क) पता – व्यवसाय का प्रधान स्थान/पंजीकृत कार्यालय (क्या कोई परिवर्तन है? यदि हाँ, तो प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ नया/ नवीनतम पता उपलब्ध कराएँ) :

.....

पिन कोड:

टेलीफोन सं.

ई-मेल : फैक्स सं. :

(ख) पत्राचार के लिए पता: (क्या कोई परिवर्तन है? यदि हाँ, तो प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ नया/ नवीनतम पता उपलब्ध कराएँ)

.....

 पिन कोड : टेलीफोन सं.
 ई-मेल : फैक्स सं. :

(ग) शाखा कार्यालयों के पते और संपर्क का विवरण:

क्रम सं.	शाखा कूट	पता	फोन नं. / ई-मेल	शाखा प्रभारी का नाम	दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति की संख्या	कुल आय

(घ) क्या प्रधान अधिकारी के नाम और विवरण में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया ब्योरा दें)

नाम	पता और संपर्क का ब्योरा	योग्यता	बीमा दलाली सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव	आवेदक फर्म/कंपनी में अंश	अन्य कंपनियों में निर्देशन	डीआईएन सं. (यदि लागू हो)	आधार सं.

2. संगठन – संरचना

2.1 क्या आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें) (उदा. लिमिटेड कंपनी- निजी/ सरकारी, भागीदारी, अन्या। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम और नवीनतम शेयर भाव दिया जाए) :

(उदा. लिमिटेड कंपनी – निजी/सरकारी, भागीदारी, अन्या। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम तथा नवीनतम शेयर भाव दिया जाए)

2.2 क्या भारतीय प्रवर्तकों के विवरण में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया ब्योरा दें)

2.6 क्या सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं के नाम और कार्यकलापों में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया ब्योरा दें)

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी का स्वरूप और हित

क्या सहयोगी कंपनियों / संस्थाओं के किसी एक अथवा उससे अधिक व्यक्तियों का आवेदक के व्यवसाय में हित निहित है ?

2.7 क्या आवेदक के प्रधान बैंकरों के नाम और पते में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया ब्योरा दें)

2.8 क्या सांविधिक लेखा-परीक्षकों के नाम और पते में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया ब्योरा दें)

3. व्यवसाय संबंधी सूचना

3.1 कार्यकलापों की अनुमानित मात्रा और आय (प्रत्याशित सहित) के साथ व्यवसाय की तीन वर्षीय योजना का दस्तावेज जिसके लिए पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा की गई है, विशेष रूप से दिया जाना चाहिए।

3.2 क्या प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया ब्योरा दें)

नाम	पता और संपर्क का ब्योरा	योग्यता	बीमा दलाली सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव	आवेदक फर्म/कंपनी में अंश	अन्य कंपनियों में निर्देशन	प्रमुख प्रबंधन स्थिति	आधार सं.

3.3 आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय स्थान, उपस्कर और श्रमशक्ति जैसी मूलभूत संरचना में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया ब्योरा दें)

3.4 आवेदक के पास उपलब्ध आईटी की बुनियादी सुविधाओं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, आपदा समुत्थान (डिजास्टर रिकवरी), व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ, साइबर-सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता, वाइरस और हैकिंग से संरक्षण, सुरक्षा प्रमाणीकरण, आदि में कोई परिवर्तन है? (यदि हाँ, तो कृपया ब्योरा दें)

3.5 आवेदक द्वारा की जानेवाली सेवाओं के स्वरूप से संबंधित समझी गई कोई अन्य सूचना।

4. वित्तीय सूचना

4.1 पूँजी-विन्यास

(लाख रुपये)

पूँजी-विन्यास	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
क) प्राधिकृत पूँजी			
ख) निर्गत पूँजी			
ग) प्रदत्त पूँजी			
घ) निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर)			
ङ) कुल योग (ग) + (घ)			
टिप्पणी : 1. एलएलपी के मामले में कृपया पूँजी में से आहरण और/या भागीदारों को ऋण घटाकर निर्दिष्ट करें।			
2. एलएलपी के मामले में कृपया भागीदारों की वित्तीय स्थिति, साधन और निवल मालियत (नेट वर्थ) निर्दिष्ट करें।			

4.2 संसाधनों का अभिनियोजन

(लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
क) अचल परिसंपत्तियाँ ख) संयंत्र और मशीनरी ग) कार्यालयीन उपस्कर घ) निर्दिष्ट भाव वाले निवेश ङ) अनिर्दिष्ट भाव वाले निवेश च) चल परिसंपत्तियों का ब्योरा छ) अन्य			

(निवेशों, सहयोगी कंपनियों/फर्मों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों का विवरण जहाँ प्रवर्तकों/निदेशकों का हित हो, अलग से दिया जाए)।

4.3 आय के प्रमुख स्रोत:

(लाख रुपये):

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
क) जीवन बीमा i) पारिश्रमिक ii) प्रतिफल iii) जोखिम प्रबंध सेवाएँ iv) दावा परामर्श सेवाएँ v) निवेश आय ख) साधारण बीमा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा सहित i) पारिश्रमिक ii) प्रतिफल iii) जोखिम प्रबंध सेवाएँ iv) दावा परामर्श सेवाएँ v) निवेश आय ग) पुनर्बीमा i) पारिश्रमिक ii) प्रतिफल iii) जोखिम प्रबंध सेवाएँ iv) दावा परामर्श सेवाएँ v) निवेश आय अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

4.4 कर से पहले आय और लाभ (पीबीटी)

(लाख रुपये)

विवरण कर से पहले आय और लाभ	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)

4.5 लाभांश

(लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
राशि प्रतिशत			

टिप्पणी : कृपया तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे संलग्न करें। जहाँ लेखा-परीक्षा न की गई रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, वहाँ कारण बताएँ। यदि पिछले लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों के बाद न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा पूरी की गई है, तो बाद की तारीख को समाप्त अवधि के लिए लेखा-परीक्षित लेखों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. अन्य सूचना, यदि कोई हो

5.1 सभी निपटायें गये और लंबित विवादों का विवरण:

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटारा गया	निपटार की तारीख

5.2 पिछले 3 वर्षों में प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंडों / चेतावनियों/ आदि का विवरण

5.3 पिछले तीन वर्षों में यदि आवेदक अथवा किसी भी भागीदार/निदेशक अथवा प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका व्योरा।

6. संलग्न दस्तावेज:

7. शुल्क का भुगतान:

टिप्पणी : वापस न करने योग्य शुल्क (आवेदित श्रेणी के आधार पर) तथा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 और अनुसूची-I – फार्म डी में यथाविनिर्दिष्ट

भुगतान का विवरण : माँग ड्राफ्ट (डीडी) सं.: दिनांक :

बैंक का नाम :

भुगतान के अन्य प्रकार : आरटीजीएस / एनईएफटी / इलेक्ट्रॉनिक विधि

8.: वचन-पत्र

8.1 क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति को पूर्व में लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार किया गया है अथवा नहीं

व्यक्तियों का नाम	आवेदक के साथ संबंध	प्रशिक्षण का विवरण

इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित" से किसी व्यक्ति के मामले में आवेदक का कोई रिश्तेदार, तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनी निकाय के मामले में सहयोगी संस्था, सहायक संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी अभिप्रेत है।

9. घोषणा

इस घोषणा पर जैसी स्थिति हो, दो निदेशकों, दो भागीदारों के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

- 1) हम इसके द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
- 2) हमने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 का अवलोकन किया है

तथा हम इस बात से संतुष्ट हैं कि:

- क. हम पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- ख. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना उपलब्ध कराई है जो हमारे पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संबंधित मानी जा सकती है।
- ग. हम घोषणा करते हैं कि आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।
- घ. हम वचन देते हैं कि हम पंजीकरण की अवधि के दौरान हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करेंगे।
- ङ. हम वचन देते हैं कि पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण होने अथवा उसका नवीकरण न होने के समय बहियों पर व्यवसाय से हट जाने (रन-ऑफ बिजनेस) का अंकन करेंगे।
- च. हम घोषणा करते हैं कि हमारे पास अधिनियम की धारा 42 और 42डी के अधीन बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती का पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है।

के लिए और उनकी ओर से

(नाम और हस्ताक्षर)

{स्पष्ट अक्षरों में}

निदेशक

आवेदक का नाम

स्थान :

दिनांक :

(नाम और हस्ताक्षर)

{स्पष्ट अक्षरों में}

निदेशक

आवेदक का नाम

स्थान :

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018

अनुसूची I – फार्म एल
(विनियम 14(8) देखें)

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या :

1. मेसर्स

.....
श्रेणी.....दलाल का पंजीकरण
प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14
तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

2. हैदराबाद में.....दिन.....(माह) दो
हजार.....को जारी किया गया।

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र से तक
विधिमान्य होगा।

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा
विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों
अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों
और निदेशों का पालन करेगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची I – फार्म ओ
(विनियम 14(9) देखें)**

वचन-पत्र

संदर्भ
दिनांक

सं.

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
हैदराबाद

महोदय,

वचन-पत्र

हम इसके द्वारा निम्नलिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा निम्नानुसार पुष्टि करते हैं कि :

1. आज की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रवर्तकों / प्रबंधन / आवेदक कंपनी के संबंध में किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है (यदि कोई हस्तक्षेप हो तो उस हस्तक्षेप का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।
2. आज की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास रोजगार में व्यक्तियों की संख्या है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदन के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान रोजगार में न्यूनतम 2 ऐसे अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिनके पास अनुसूची I – फार्म ई में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएँ हों और विनियम 8(2)(ग) के अधीन बीमा दलाल के व्यवसाय का संचालन करने के लिए आवश्यक अनुभव हो।
3. आवेदक कंपनी के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी भी निदेशक / भागीदार / प्रधान अधिकारी / कर्मचारी / व्यक्ति को पूर्व में प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान करने से इनकार नहीं किया गया है।
4. प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची I – फार्म एच और फार्म आई, जो भी लागू हो, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।
5. आवेदक कंपनी प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये संस्था के बहिर्नियमों के मुख्य उद्देश्यों तक सीमित रहते हुए विनियम 8(2)(ज) का पालन करेगी।
6. प्रधान अधिकारी आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 4 के अधीन केवल बीमा दलाल के कार्य करने के लिए ही नियुक्त किया गया है तथा वह किसी अन्य बीमा संबंधी अथवा किसी अन्य संस्था संबंधी न तो कोई निदेशन / रोजगार / समनुदेशन धारित करता है और न ही पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर उसका प्रतिनिधित्व करता है।
7. कंपनी के निदेशक / भागीदार और कर्मचारी जो किसी अन्य बीमा संबंधी संस्था में कोई निदेशन/रोजगार धारित करते हैं अथवा उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हितों का कोई संघर्ष नहीं रखते।

8. बीमा दलाल के कार्यालय परिसर और उसकी शाखाओं का उपयोग केवल बीमा दलाली व्यवसाय के लिए ही किया जाता है और किया जाएगा तथा कोई अन्य कार्यकलाप संचालित नहीं किया जाएगा।
9. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64बीबी के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता की है तथा कभी भी ग्राहकों की ओर से प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है।
10. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 का अनुपालन करते हुए देय कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल अथवा दर्शाये गये प्रीमियम के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूर्णतः या अंशतः कोई छूट नहीं दी है।
11. हम पुष्टि करते हैं कि न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा का उपयोग शेयर और प्रतिभूतियाँ खरीदने में एवं अंतर-कंपनी जमाराशियों में रखने और ऋण देने आदि के द्वारा करते हुए उसे कम नहीं किया गया है।
12. हम पुष्टि करते हैं कि पंजीकरण की अवधि के दौरान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 4 में विनिर्दिष्ट रूप में कार्यों का अनुपालन किया गया है।
13. हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी पंजीकरण की अवधि के दौरान प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित रूप में भारतीय स्वाधिकृत और भारतीय नियंत्रण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।
14. हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने पंजीकरण की अवधि के दौरान प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित रूप में प्रदत्त पूँजी और निवल मालियत (नेट वर्थ) संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
15. हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने पंजीकरण की अवधि के दौरान प्राधिकरण के द्वारा अपेक्षित रूप में एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी का अनुरक्षण किया है।
16. हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने पंजीकरण की अवधि के दौरान प्राधिकरण के द्वारा अपेक्षित रूप में अपने पुनर्बीमा संबंधी कार्यकलापों के लिए बीमा धनराशियों के वियोजन (सेग्रिगेशन) का अनुपालन किया है।

हम यह पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त विवरण हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

इसके अलावा हम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित सभी लागू विनियमों / नियमों / सूचनाओं / परिपत्रों का पालन करने का वचन देते हैं।

प्रधान अधिकारी

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

(निदेशक, प्रधान अधिकारी के अलावा)

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

टिप्पणी : जो घोषणा लागू न हो उसे काट दें तथा संबंधित सूचना अलग से संलग्न करें।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची I – फार्म पी
(विनियम 17(1) देखें)**

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के लिए आवेदन

1. मैं आपको सूचित करता हूँ/करती हूँ कि हमारा पंजीकरण प्रमाणपत्र

संख्या.....

1. खो गया है
2. नष्ट किया गया है
3. कटा-फटा है

जोकि निम्नलिखित कारणों से हुआ है

.....
.....

2. शुल्क का भुगतान :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को वापस न करने योग्य 1000/- रुपये का शुल्क अदा करने की आवश्यकता होगी।

भुगतान का विवरण :

माँग ड्राफ्ट (डीडी) संख्या.....दिनांक :.....

बैंक का नाम :

भुगतान के अन्य प्रकार :

3. घोषणा

मैं इसके द्वारा विनियम 17 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ।

अतः मैं/हम प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि कृपया ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों के आलोक में पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करें।

मैंसत्यनिष्ठापूर्वक

यह घोषित करता हूँ/करती हूँ और यह पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

निदेशक 1 के हस्ताक्षर

निदेशक 2 के हस्ताक्षर

दिनांक :

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची I - फार्म क्यू
(विनियम 17(2) देखें)**

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट)

पंजीकरण संख्या :

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद् द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के अधीनको
.....
दलाल के रूप में (श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें) कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
2. उक्त बीमा दलाल के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र कूट है
3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र से.....तक
विधिमान्य होगा।
4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अधीन है एवं इसे किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप होने के तौर पर नहीं माना जाएगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची I – फार्म आर
(विनियम 20(2) देखें)**

विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ईक्विटी पूँजी के परिकलन की पद्धति

(1) अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए,

- क. भारतीय प्रवर्तक, निवेशक, भारतीय निवेशक और विदेशी निवेशक का अर्थ वही होगा जैसा कि आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 2 में दिया गया है।
- ख. आवेदक कंपनी में एक अथवा उससे अधिक विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयरों की धारिता का परिकलन निम्नानुसार होगा तथा वह निम्नलिखित का पूर्ण योग होगा:-
- i. आवेदक कंपनी में विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों सहित, विदेशी निवेशकों द्वारा धारित प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी की मात्रा; और
- ii. इस फार्म के उप-खंड (क) में उल्लिखित रूप में भारतीय प्रवर्तक(प्रवर्तकों) अथवा भारतीय निवेशक(निवेशकों) में स्वयं अथवा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से ऐसे विदेशी निवेशक(निवेशकों) द्वारा धारित अथवा नियंत्रित प्रदत्त ईक्विटी पूँजी का अनुपात

बशर्ते कि खंड (ii) किसी भारतीय प्रवर्तक अथवा भारतीय निवेशक के लिए लागू नहीं होगा अर्थात् :

- (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धारा (ग) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी, परंतु भारत में कार्यरत कोई भी विदेशी बैंक अथवा उसकी शाखा इसमें शामिल नहीं है;
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(72) में यथापरिभाषित सरकारी वित्तीय संस्था;
स्पष्टीकरण: यदि भारतीय प्रवर्तक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित एक कंपनी है, तो वह उस अधिनियम की धारा 2(87) में परिभाषित रूप में एक सहायक संस्था नहीं होगी।
- (2) प्रत्येक बीमा दलाल जिसे इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया हो, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर प्राधिकरण को प्रवर्तक की प्रदत्त पूँजी के 10% से अधिक होनेवाले परिवर्तन निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (3) तथापि, प्रवर्तकों की प्रदत्त पूँजी के 25% से अधिक होने वाला कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को तत्काल सूचित किया जाएगा।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची I – फार्म एस
(विनियम 24(1) देखें)**

व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे का अनुरक्षण –

(1) बीमा रक्षा अवश्य निम्नलिखित के संबंध में बीमा दलाल को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी

- (क) उनकी ओर से अथवा उनके कर्मचारियों और निदेशकों की ओर से कोई भी त्रुटि अथवा चूक अथवा असावधानी;
- (ख) धन अथवा अन्य संपत्ति की कोई भी हानि जिसके लिए दलाल किसी वित्तीय अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप कानूनी तौर पर बाध्य है;
- (ग) दस्तावेजों की कोई हानि तथा इस प्रकार के दस्तावेजों को प्रतिस्थापित करने अथवा पुनःप्रचलित करने में लागतें और किये गये व्यय;
- (घ) बीमा दलाल के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा बेईमान और कपटपूर्ण कार्य अथवा चूकें।

(2) क्षतिपूर्ति रक्षा –

(क) पंजीकरण की पूरी अवधि के लिए वार्षिक आधार पर होगी;

(ख) इस आशय की किसी शर्त से युक्त नहीं होगी कि दावों के भुगतान बीमा दलाल द्वारा पहले देयता पूरी करने के आधार पर होंगे;

(ग) इस बात का विचार किये बिना बीमे की अवधि के दौरान किये गये सभी दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी कि दावा उत्पन्न करनेवाली घटना किस समय घटित हुई है।

बशर्ते कि पूर्णतः उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुरूप न होनेवाली क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमति उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए विशेष मामलों में दी जाएगी।

(3) बीमा दलालों के मामले में किसी एक दावे के लिए अथवा वर्ष के लिए कुल मिलाकर क्षतिपूर्ति की सीमा निम्नानुसार होगी:

बीमा दलाल की श्रेणी	क्षतिपूर्ति की सीमा
(क) प्रत्यक्ष दलाल	एक करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की दो गुनी राशि तथा कम से कम 50 करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन यदि पारिश्रमिक सीमा की दुगुनी राशि 50 करोड़ रुपये के समान या उससे अधिक हो
(ख) पुनर्बीमा दलाल	चार करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की दो गुनी राशि तथा कम से कम 75 करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन यदि पारिश्रमिक सीमा की दुगुनी राशि 75 करोड़ के समान अथवा उससे अधिक हो
(ग) सम्मिश्र दलाल	पाँच करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की दो गुनी राशि तथा कम से कम 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन यदि पारिश्रमिक सीमा की दुगुनी राशि 100 करोड़ रुपये के समान या उससे अधिक हो

(4) प्रत्येक दावे के संबंध में अ-बीमाकृत आधिक्य बीमा दलाल द्वारा व्यवसाय में नियोजित पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) एओए:एओवाई सीमा 1:1 होगी।

(6) पूर्वप्रभावी दिनांक लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से प्रारंभ होगा।

(7) बीमा पॉलिसी भारत में किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी जिसने निम्नलिखित के लिए सहमति दी हो

(क) इस बात के प्रमाण के रूप में कि उक्त रक्षा प्राधिकरण की अपेक्षाएँ पूरी करती है, बीमा दलाल की पंजीकरण संख्या, पॉलिसी संख्या, क्षतिपूर्ति की सीमा, आधिक्य और बीमाकर्ता के नाम सहित, नाम और पते से युक्त एक वार्षिक प्रमाणपत्र बीमा दलाल को उपलब्ध कराना;

(ख) बीमा दलाल को उक्त प्रमाणपत्र जारी करते समय प्राधिकरण को उक्त प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) प्रेषित करना; तथा

(ग) रक्षा के अमान्यकरण, उसका नवीकरण न कराने अथवा मध्यावधि में उसे निरस्त करने के किसी भी मामले की सूचना तत्काल बीमाकर्ता को देना ।

(8) प्रत्येक बीमा दलाल –

(क) यदि कोई रक्षा निरस्त की गई हो अथवा अमान्य की गई हो अथवा किसी पॉलिसी का नवीकरण नहीं किया गया हो तो प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा;

(ख) उसके द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किये गये किसी भी दावे के संबंध में बीमाकर्ता को लिखित में तत्काल सूचित करेगा;

(ग) उन सभी परिस्थितियों अथवा घटनाओं की सूचना बीमाकर्ता को तत्काल देगा जो पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न कर सकती हों; तथा

(घ) जैसे ही कोई बीमाकर्ता सूचित करता है कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति को अस्वीकार करना चाहता है, तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा ।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018

अनुसूची II – फार्म टी (विनियम 25(2) देखें)

शेयरों का अंतरण

1) अंतरण का पंजीकरण

1. बीमा दलाल शेयरों के अंतरण अथवा बीमा दलाल की ईक्रीटी पूँजी के निर्गम जो शेयरधारिता में परिवर्तन के रूप में परिणत होगा, के लिए प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करेगा, जहाँ :

क. अंतरण के बाद बीमा दलाल के शेयरों में अंतरिती की कुल प्रदत्त पूँजी धारिता के उसकी प्रदत्त पूँजी के बीस प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो; अथवा

ख. एक व्यक्ति, अथवा, समूह, एक ही प्रबंधन के अंतर्गत समूह अथवा कंपनी निकाय के घटकों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से अंतरण किये जाने के लिए उद्दिष्ट शेयरों का अंकित मूल्य बीमा दलाल की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक होता हो ।

2) अंतरण के लिए आवेदन

प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन फार्म टीए में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन के साथ फार्म टीवी में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अपेक्षित दस्तावेज और अंतरिती के ब्योरे प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

3) समुचित सावधानी

प्राधिकरण विनियमों के अधीन शेयरों के अंतरण के पंजीकरण हेतु अथवा प्रस्तावित अंतरिती को शेयरों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्रस्तावित अंतरण के संबंध में अपेक्षित समुचित सावधानी बरतेगा।

4) अनुमोदन के लिए शर्तें

भारतीय प्रवर्तक बीमा दलाल में शेयरों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में धारित करेंगे बशर्ते कि प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान करने के समय अपने द्वारा उपयुक्त समझे जानेवाले रूप में प्रवर्तकों के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

क. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा दलाल हर समय निवल मालियत (नेट वर्थ) की अपेक्षाओं का अनुपालनकर्ता है, आवधिक अंतरालों पर उसकी शेयरधारिता के अनुपात में अथवा अन्य प्रकार से अतिरिक्त पूँजी लगाना; तथा

ख. प्रवर्तकों पर लागू की गई सभी विनियामक शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन।

5) विदेशी निवेशक

विदेशी निवेशक बीमा दलाल में शेयर इस संबंध में जारी किये गये नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार धारित करेंगे।

बशर्ते कि प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करते समय अपने द्वारा उपयुक्त समझे जाने के रूप में शर्तें निर्धारित कर सकता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

क. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा दलाल हर समय निवल मालियत (नेट वर्थ) की अपेक्षाओं का अनुपालनकर्ता है, आवधिक अंतरालों पर उसकी शेयरधारिता के अनुपात में अथवा अन्य प्रकार से अतिरिक्त पूँजी लगाना; तथा

ख. प्रवर्तकों पर लागू की गई सभी विनियामक शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन।

6) भारतीय निवेशकों के संबंध में उच्चतम सीमा

विदेशी निवेशकों को छोड़कर निवेशक बीमा दलाल में शेयर निम्नलिखित शर्तों के अधीन धारित करेंगे:

क) जहाँ बीमा दलाल में एक से अधिक निवेशक हैं, वहाँ कोई भी निवेशक बीमा दलाल में इस प्रकार के बीमा दलाल की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पञ्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं करेगा।

ख) ऊपर (क) में निर्दिष्ट रूप में सभी निवेशक संयुक्त रूप से बीमा दलाल की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के पञ्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेंगे।

ग) जबकि एक बीमा दलाल में निवेशक अन्य बीमा दलालों में निवेशक हो सकता है, वह एक से अधिक बीमा दलाल में प्रवर्तक नहीं होगा।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**फार्म टीए
(विनियम (25) देखें)**

बीमा दलाल में शेयरों के अंतरण की अपेक्षा करते हुए आवेदन

1. आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अनुसार(बीमा दलाल का नाम) को बीमा दलाली व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. दिनांक..... को प्रदान किया गया है।
2. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय उक्त बीमा दलाल की शेयरधारिता निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	प्रवर्तक / शेयरधारक	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरधारिता का प्रतिशत
	1.		
	2.		
	3.		

3. बीमा दलाल के पंजीकरण के बाद, प्रवर्तकों / निवेशकों के शेयर अपेक्षित अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र सं. दिनांक..... (जहाँ लागू हो) के अनुसार प्रदान करने के बाद के पक्ष में अंतरित किये गये।

क्रम सं.	प्रवर्तक / शेयरधारक	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरधारिता का प्रतिशत

4. (बीमा दलाल का नाम) इसके द्वारा आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 25 के अनुसार (i) प्रवर्तक(प्रवर्तकों)/ निवेशक(निवेशकों) द्वारा धारित शेयरों के अंतरण के पंजीकरण और/या (ii) निजी स्थापन के माध्यम से अधिमानी आधार पर शेयरों के आबंटन के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करते हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	प्रवर्तक / निवेशक का नाम	शेयरों के अंतरण से पहले		शेयरों के अंतरण के बाद		टिप्पणी
		धारित शेयरों की संख्या	प्रदत्त शेयर पूँजी का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	धारित प्रदत्त शेयर पूँजी का प्रतिशत	

टिप्पणी:

1. यदि वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप पंजीकरण के समय / पिछले नवीकरण के समय (जो भी बाद में हो), की शेयरधारिता के स्वरूप से भिन्न है, तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. उन शेयरधारकों के नाम जो 5% से अधिक धारित नहीं करते हैं / जिन्होंने कभी 5% से अधिक धारित नहीं किया है, 'अन्य' के अंतर्गत दर्शाये जाने चाहिए, जब तक वे प्रवर्तक शेयरधारकों के साथ संबद्ध न हों अथवा उनका भाग न हों।

प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त होने पर, हम सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे जिनमें कॉरपोरेट विधियाँ और यथाप्रयोज्य अन्य शर्तें शामिल हैं, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

स्थान:

दिनांक:

(हस्ताक्षर)

प्रधान अधिकारी

(बीमा दलाल का नाम)

अनुलग्नक: फार्म टीबी

फार्म टीबी

1. शेयर आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज एवं अंतरिती (शेयर खरीदनेवाले / दलाल कंपनी में निवेश करनेवाले व्यक्ति) का विवरण

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1	प्रस्तावित अंतरिती का नाम: (प्रस्तावित अंतरिती का ब्योरा देते हुए नाम और पूरा पता)	
2	कानूनी रूप / स्थिति	व्यक्ति/ एलएलपी/ भागीदारी फर्म/ कॉरपोरेट संस्था/ बैंक/ वित्तीय संस्था/ कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
3	संस्थापन की संख्या और दिनांक: (व्यक्ति के मामले में जन्मतिथि)	
4	आयकर अधिनियम के अधीन स्थायी खाता (पैन) संख्या और आयकर मंडल का नाम और पता	
5	(क) अंतरिती की स्थिति:	निवेशक / प्रवर्तक
	(ख) क्या निवेशक और / या प्रवर्तक अथवा उसकी समूह कंपनी भी बीमा संस्था में शेयरधारक है। (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
	(ग) क्या निवेशक और / या उसके प्रवर्तक अथवा उसकी समूह कंपनी की	

	किसी अन्य बीमा संस्था में शेयरधारिता है। (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
6	प्रस्तावित अंतरिती का सहमति पत्र (कॉरपोरेट संस्था के मामले में अधिग्रहण का अनुमोदन करनेवाले बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)	
7	संबंधित अधिकार-क्षेत्र / क्षेत्र के विनियामक, जैसा लागू हो, द्वारा अपेक्षित अनुमोदनों की प्रतिलिपियाँ	
8	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अधीन अपेक्षित अनुमोदनों की प्रतिलिपियाँ	
9	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए प्रस्तावित अंतरिती का सहमति पत्र	
10	शेयर जारी करने की अपेक्षा करनेवाला आवेदक कंपनी के बोर्ड का संकल्प, यदि लागू हो	
11	योग्य और उपयुक्त क. प्रस्तावित अंतरिती के विरुद्ध की गई / लंबित सिविल/ आपराधिक/ विनियामक कार्रवाई का विवरण देते हुए घोषणा ख. क्या अंतरिती अथवा अंतरिती के निदेशकों को कोई विनियमित वित्तीय कारोबार करने से लाइसेंस अथवा प्राधिकार प्रदान करने से कभी इनकार किया गया है (अथवा उसका प्रतिसंहरण किया गया है) (यदि हाँ, तो उसका संपूर्ण विवरण दें) ग. किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा प्रारंभ की गई किसी निंदा अथवा अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण घ. क्या किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने कभी ऐसी किसी कंपनी, फर्म अथवा संगठन की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ निदेशक और प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हैं। (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
12	बीमा दलाल कंपनी के साथ विद्यमान / करने के लिए प्रस्तावित किसी करार का विवरण।	
13	"भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित" के उपबंधों का अनुपालन (कृपया इस संबंध में एक संक्षिप्त नोट संलग्न करें)	

II. स्वामित्व के अंतरण हेतु आवेदन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजों की सूची जब अंतरण कुल प्रदत्त पूँजी के 20% से अधिक हो रहा हो

क. यदि प्रस्तावित खरीदार एक कॉरपोरेट संस्था है:

1. शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन का अनुमोदन करनेवाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. प्रस्तावित शेयरधारिता के स्वरूप की विधिवत् सीए / सीएस द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए अंतरिती के बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. शेयरों के अंतरण के लिए मौद्रिक प्रतिफल का विवरण।
5. अंतरिती के शेयरधारिता के स्वरूप की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. एक पुष्टीकरण, यदि कोई प्रस्तावित शेयरधारक एक एफआईआई, एनआरआई, पीआईओ अथवा विदेशी राष्ट्रिक है।

7. एक पुष्टीकरण यदि दलाल कंपनी का कोई वर्तमान निदेशक पहले से ही अंतरिती के साथ संबद्ध है।
8. आयकर विवरणियों की प्रमाणित प्रतियों के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए अंतरिती के लेखा-परीक्षित खाते।
9. लेखा-परीक्षकों से इस आशय का प्रमाणपत्र कि अंतरिती एक एनबीएफसी नहीं है, यदि लागू हो। यदि अंतरिती एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है तो इन शेयरों के अधिग्रहण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)।
10. अंतरिती की सहयोगी कंपनियों / संस्थाओं के कार्यकलापों की विस्तृत सूची।
11. बीमा दलाल की शेयर पूँजी की पुनःसंरचना के लिए तर्काधार।
12. अंतरिती से एक वचन-पत्र कि आवेदक कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रधान अधिकारी और प्रबंधन का प्रमुख कार्मिक किसी अन्य बीमा संबंधी संस्था (संस्थाओं) में कोई निदेशन / रोजगार धारित नहीं करता है।
13. कोई अन्य दस्तावेज, यदि प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार अपेक्षित किया जाए।

ख. यदि प्रस्तावित खरीदार एक व्यक्ति है:

1. प्रस्तावित शेयरधारिता स्वरूप की एक प्रति और सीए / सीएस द्वारा विधिवत् अनुमोदित रूप में।
2. अंतरिती का निवल मालियत (नेट वर्थ) प्रमाणपत्र और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विवरणियाँ।
3. शेयरों के अंतरण के लिए मौद्रिक प्रतिफल का विवरण।
4. शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन का अनुमोदन करनेवाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. अंतरिती / अंतरितियों द्वारा कंपनी में निवेश की जानेवाली निधियों के स्रोत के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र।
6. कोई अन्य दस्तावेज, यदि इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जाए।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची II – फार्म यू
(विनियम 33 (2) देखें)**

पुनर्बीमा संविदाओं के मामले में पुनर्बीमा दलाल अथवा सम्मिश्र दलाल द्वारा संगृहीत बीमा धनराशियों के व्यवहार की पद्धति पंजीकृत बीमा दलाल द्वारा संग्रहण की गई बीमा धनराशि के संबंध में निम्नलिखित पद्धति से व्यवहार किया जाएगा :

- (क) वह बीमा धनराशि के न्यासी के रूप में कार्य करेगा जोकि पुनर्बीमा दलाल के रूप में अपना कार्य संपन्न करने के लिए उससे अपेक्षित है तथा इस विनियम के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि पुनर्बीमा दलाल को किया गया भुगतान पुनर्बीमाकर्ता को किया गया भुगतान समझा जाएगा;
- (ख) वह सुनिश्चित करेगा कि 'बीमा धनराशि' एक या उससे अधिक अनुसूचित बैंकों के पास अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्थाओं के पास एक 'बीमा बैंक खाते' में रखी जाएगी;
- (ग) वह बैंक अथवा अन्य संस्था को लिखित रूप में सूचना देगा तथा उनसे लिखित रूप में पुष्टि प्राप्त करेगा कि वह उक्त खाते को किसी अन्य खाते के साथ सम्मिलित करने अथवा उस खाते में स्थित धनराशि के संबंध में समंजन (सेट-ऑफ़) करने के अधिकार, ऋण-भार या ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं है;

- (घ) वह सुनिश्चित करेगा कि बीमाकर्ता से अथवा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि 'बीमा बैंक खाते' में अदा की जाएगी और तब तक जमाराशि के अंतर्गत रहने के लिए उक्त 'बीमा बैंक खाते' में रखी जाएगी जब तक उसका अंतरण आगे पुनर्बीमाकर्ता को अथवा प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को नहीं किया जाएगा।
- (ङ) वह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के निरस्तीकरण अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन अथवा अन्यथा के कारण प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को देय हो सकने वाली प्रीमियम की कोई भी धन-वापसी की राशि पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी और प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को विप्रेषित की जाएगी।
- (च) वह प्राप्त प्रीमियम/ दावे पुनर्बीमाकर्ताओं/ बीमाकर्ताओं/ विदेशी बीमा दलालों को तत्परतापूर्वक विप्रेषित करने के लिए कदम उठायेगा, परंतु पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि में अथवा धनराशियों की प्राप्ति की तारीख से व्यवसाय करार की शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप में उनके बीमा बैंक खाते में इन्हें विप्रेषित करेगा। विप्रेषण में किसी भी विलंब की सूचना पुनर्बीमाकर्ता/ बीमाकर्ता/ विदेशी बीमा दलाल को दी जाएगी और ऐसे विलंब के लिए लिखित में उनकी सहमति ली जाएगी;
- (छ) वह उक्त 'बीमा बैंक खाते' से केवल अर्जित पारिश्रमिक अथवा शुल्क निकालेगा जिसे किसी भी अन्य खाते में अंतरित किया जा सकता है;
- (ज) वह सुनिश्चित करेगा कि उक्त 'बीमा बैंक खाते' से इस विनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (झ) वह सुनिश्चित करेगा कि 'बीमा बैंक खाते' में धारित धनराशियाँ बीमा दलाल द्वारा मीयादी जमाराशियों के रूप में नहीं रखी जाएँगी अथवा किसी अन्य लिखत में उनका निवेश नहीं किया जाएगा।
- (ञ) यदि किसी समय, अपेक्षित "वियोजित राशि" में किसी भी कमी का उसे पता चलता है तब वह अपेक्षित स्थिति को पुनः प्रचलित करने के लिए तत्काल कदम उठायेगा।
- (ट) वह सुनिश्चित करेगा कि 'बीमा बैंक खाते' की शेष राशियों पर अर्जित कोई भी ब्याज प्रत्यक्ष बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता के हित के लिए है।

टिप्पणी : बीमा दलाल को प्रत्येक छमाही में इन विनियमों के प्रत्येक उपबंध के अनुपालन के संबंध में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, बीमा दलाल प्रत्येक छमाही में उक्त अवधि के दौरान अर्जित पारिश्रमिक अथवा शुल्क की राशि तथा किसी अन्य खाते में किये गये किसी भी अंतरण के संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची II – फार्म यूए
(विनियम 34(7) देखें)**

आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अनुपालन के संबंध में दलाल कंपनी के लेखा-परीक्षक द्वारा जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र जिसे वार्षिक तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

बीमा दलाल का नाम :

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या :

पंजीकरण की श्रेणी :

पंजीकरण की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है:

हम, मेसर्स , दलाल कंपनी मेसर्स
..... के लेखा-परीक्षक, _____

को समाप्त वर्ष के लिए बीमा दलाल सेवाएँ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुरक्षित खाता-बहियों के हमारे परीक्षण और अन्य संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर पुष्टि करते हैं कि उक्त कंपनी ने _____ को समाप्त वर्ष के दौरान उक्त कंपनी के लिए लागू सीमा तक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अधीन उपबंधों, फाइलिंगों और प्रलेखीकरण का अनुपालन किया है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची II – फार्म वी
(विनियम 34(8) देखें)**

सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और फर्म का लेखा-परीक्षण

बीमा दलाल का विवरण			
बीमा दलाल का नाम			
कूट संख्या			
संपर्क का पता		टेलीफोन सं.	
		सेल सं.	
		फैक्स	
		ई-मेल	
पंजीकरण की वैधता कब से		पंजीकरण की वैधता कब तक	

श्रेणी	
प्रधान अधिकारी का नाम	
लेखा-परीक्षक का विवरण	
लेखा-परीक्षा फर्म का नाम	
लेखा-परीक्षा फर्म की नियुक्ति की तारीख	
1 अप्रैल _____ से 31 मार्च _____ तक समाप्त लेखांकन अवधि से संबंधित लेखा-परीक्षा के लिए नियुक्ति (यदि परिचालन आंशिक अवधि के लिए है, तो कृपया अवधि का उल्लेख करें)	
लेखा-परीक्षा में भागीदार का नाम (जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा) ("हस्ताक्षरकर्ता भागीदार")	
क्या पूर्ववर्ती नियुक्ति की तुलना में लेखा-परीक्षा फर्म या हस्ताक्षरकर्ता भागीदार में कोई परिवर्तन है?	
यदि हाँ, तो परिवर्तन के लिए कारण बताएँ	

मैं इसके द्वारा यह पुष्टि करता हूँ / करती हूँ कि उक्त कंपनी ने लेखा-परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट की गई कमी, यदि कोई हो, पर कार्रवाई की है।

मैं इसके द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन (संलग्न किन्हीं अनुबंधों और परिशिष्टों सहित) में दी गई समस्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

नाम :

पदनाम : प्रधान अधिकारी

दिनांक :

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची II – फार्म डब्ल्यू
(विनियम 34(9) देखें)**

बीमाकर्ता द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित रूप में प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र यदि बीमा दलाल को किये गये पारिश्रमिक और अन्य भुगतान निर्धारित सीमाओं से अधिक हों

"हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने मेसर्स..... (बीमा दलाल और सहयोगियों का नाम) को से तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत (एक अनुबंध के रूप में संलग्न किया जाए) वित्तीय वर्ष _____ के दौरान प्राप्त _____ व्यवसाय के लिए पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल के रूप में

रु. की राशि अदा की है जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमाओं से (राशि) अधिक है। इस राशि में इस आशय के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किये गये सभी भुगतान शामिल हैं।"

निम्नलिखित के द्वारा हस्ताक्षरित

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणी: (1) अनुबंध में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बीमा दलाल और उसके सहयोगियों (सहयोगी का नाम विनिर्दिष्ट करें) को किये गये भुगतानों का विवरण शामिल होगा तथा उसपर दोनों मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

(2) प्रत्येक बीमा दलाल के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बीमा दलाल द्वारा दलाल संस्था के प्रधान अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित रूप में बीमाकर्ता से प्राप्त किये गये पारिश्रमिक और अन्य भुगतानों के संबंध में जो निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं, प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र

"हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने मेसर्स..... (बीमाकर्ता का नाम) से, से तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत (एक अनुबंध के रूप में संलग्न किया जाए) वित्तीय वर्ष _____ के दौरान प्राप्त _____ व्यवसाय के लिए पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल के रूप में रु. की राशि प्राप्त की है जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमाओं से (राशि) अधिक है। इस राशि में इस आशय के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किये गये सभी भुगतान शामिल हैं।"

निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित

प्रधान अधिकारी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणी: (1) अनुबंध में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बीमा दलाल और उसके सहयोगियों (सहयोगी का नाम विनिर्दिष्ट करें) द्वारा प्राप्त किये गये भुगतानों का विवरण शामिल होगा तथा उसपर बीमा दलाल के दोनों प्रधान अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची II – फार्म एक्स
(विनियम 36 देखें)**

कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग)

1. मुख्य कार्यकलाप

(क) बीमा दलाल किसी भी प्रकार से निम्नलिखित किसी भी कार्यकलाप का बाह्यस्रोतीकरण नहीं करेगा:

- i. प्रत्यक्ष / पुनर्बीमा / सम्मिश्र दलाल के कार्य जैसे कि विनियम 4 के अंतर्गत अनुसूची I – फार्म ए में दिये गये हैं।
- ii. जोखिम प्रबंधन सेवाएँ जब तक दलाल यह कार्यकलाप बिलकुल नहीं करता।
- iii. दावा परामर्श सेवाएँ जब तक दलाल यह कार्यकलाप बिलकुल नहीं करता।

2. निदेशक बोर्ड के दायित्व – 1) इन विनियमों के अधीन बीमा दलाल कंपनी का बोर्ड निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा:

निदेशक बोर्ड निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक बाह्यस्रोतीकरण नीति को लागू करेगा:

- क) डेटा की गोपनीयता, बाह्यस्रोतीकरण संविदाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता सहित, बाह्यस्रोतीकरण में संबद्ध जोखिमों के निर्धारण के लिए ढाँचा
- ख) बीमाकर्ता द्वारा संवर्धित पर्यवेक्षण तय करने के प्रयोजन के लिए बाह्यस्रोतीकरण संविदाओं की तात्विकता का निर्धारण करने के लिए मानदंड
- ग) बाह्यस्रोतीकरण किये गये प्रत्येक कार्यकलाप हेतु लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित करने के लिए मानदंड
- घ) अपेक्षित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बाह्यस्रोतीकृत सेवा प्रदाता की सामर्थ्य और क्षमता सहित, बाह्यस्रोतीकृत सेवा प्रदाता के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत
- ङ) संघर्ष प्रबंध नीति जो संबंधित पक्षकार के लेनदेनों के संबंध में उपबंधों का पालन सुनिश्चित करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में परिकल्पित है
- च) संबद्ध प्रतिफल राशि के अनुमोदन और निर्धारण एवं बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाओं की निगरानी एवं बीमा दलाल के अंदर प्राधिकार के प्रत्यायोजन के लिए प्रबंधन के दायित्व को तय करते हुए बाह्यस्रोतीकरण नीति के कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए मानदंड
- छ) महत्वपूर्ण बाह्यस्रोतीकरण कार्यकलापों को छोड़कर अन्य (कोर से इतर) कार्यकलापों के लिए अपेक्षित समुचित सावधानी की मात्रा
- ज) बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाओं को प्रभावित करनेवाले आंतरिक और बाह्य परिवेश में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बाह्यस्रोतीकरण नीति की कम से कम वर्ष में एक बार समीक्षा
- झ) बीमा दलाल के बाह्यस्रोतीकरण किये गये कार्यकलापों के सारांश की वार्षिक समीक्षा
- ञ) बाह्यस्रोतीकरण नीति में निर्धारित प्रारंभिक सीमाओं के अनुसार महत्वपूर्ण बाह्यस्रोतीकरण संविदाओं का अनुमोदन

ट) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित पक्षकार बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाओं का कीमत-निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रतिष्ठापित रूप में स्वीकृत स्वतंत्र संव्यवहार (आर्म्स लेंग्थ) के सिद्धांत के अनुरूप हो।

3. **बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता:** बीमा दलाल किसी संस्था (व्यक्ति को छोड़कर) को कार्यकलाप का बाह्यस्रोतीकरण कर सकता है, जहाँ बाह्यस्रोतीकरण किया जानेवाला कार्यकलाप कुल बाह्यस्रोतीकरण व्यय (महत्वपूर्ण) के 5% से अधिक हो।

4. **बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाताओं के संबंध में समुचित सावधानी:** 1) बीमा दलाल कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण करने से पहले सर्वोत्तम प्रथाओं और दलाल कंपनी की आवश्यकताओं के आधार पर समुचित सावधानी बरतेगा, जैसे:

क) क्या बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता के मुख्य उद्देश्य में बाह्यस्रोतीकरण किये गये कार्यकलाप शामिल हैं।

ख) बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता का अस्तित्व बताये गये रूप में है।

ग) उसको बाह्यस्रोतीकरण किये जानेवाले कार्यकलाप निष्पादित करने के लिए क्षमता और अनुभव है।

घ) बाह्यस्रोतीकरण किये गये कार्यकलाप निष्पादित करते समय, परिकल्पित मानक प्रयुक्त करने के लिए बाह्यस्रोतीकरण किये गये सेवा प्रदाता की क्षमता का आकलन।

ङ) सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण।

च) व्यावसायिक निरंतरता प्रबंध।

छ) जहाँ आवश्यक समझा जाएगा, वहाँ बीमा प्रदाता अपने स्वयं के निष्कर्षों का संपूरण करने के लिए सेवा प्रदाता पर स्वतंत्र समीक्षाएँ और बाजार की प्रतिसूचना प्राप्त करेगा।

2) चयन की प्रक्रिया के दौरान बरती गई समुचित सावधानी का प्रलेखीकरण किया जाना चाहिए तथा बाह्यस्रोतीकरण की निगरानी और नियंत्रण की प्रक्रिया के भाग के रूप में उसका आवधिक तौर पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

5. **बाह्यस्रोतीकरण करार:** 1) बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाएँ लिखित करारों के द्वारा नियंत्रित की जाएँगी जो यदि आवश्यक हो तो आवधिक नवीकरणों के अधीन एक विशिष्ट अवधि के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी होंगे जिनमें सभी पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों सहित, बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का स्पष्ट रूप से विवरण होगा।

2) बाह्यस्रोतीकरण संविदाओं में अन्य बातों के साथ-साथ नीचे सूचीबद्ध कुछ खंड अथवा शर्तें विद्यमान होंगी, जैसा लागू हो:

क) सूचना और आस्ति स्वामित्व अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सुरक्षा और गोपनीय सूचना का संरक्षण;

ख) किसी भी चूक के लिए देयता सहित बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता की प्रतिबद्धता के संबंध में उससे गारंटी अथवा क्षतिपूर्ति;

ग) बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्था के लिए व्यावसायिक निरंतरता उपलब्ध कराने के लिए बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता की आकस्मिकता आयोजना;

- घ) सुस्पष्ट खंड कि संविदा न तो बीमाकर्ता को अपने संबंधित विनियामक दायित्व पूरे करने से और न ही विनियमनकर्ता को बीमाकर्ता या बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता का निरीक्षण करने, जाँच-पड़ताल करने, उनसे सूचना प्राप्त करने की विनियामक शक्तियों का प्रयोग करने से रोकेंगी अथवा बाधित करेगी;
- ङ) बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता बाह्यस्रोतीकरण किये गये कार्यकलाप की पूर्णतः अथवा उसके बड़े भाग की उप-संविदा नहीं करेगा;
- च) बीमा दलाल समुचित सावधानी बरतने के समय अतिरिक्त जोखिम को एक कारक के तौर पर शामिल करेगा जो उप-संविदा करने के कारण उत्पन्न होता है।

6. गोपनीयता और सुरक्षा: बीमा दलाल इस बात से स्वयं संतुष्ट होगा कि बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता की सुरक्षा नीतियाँ, कार्यविधियाँ और नियंत्रण ग्राहक/ पॉलिसीधारक की सूचना की गोपनीयता और सुरक्षा का संरक्षण करने के लिए बीमा दलाल को समर्थ बनाएँगे।

7. कानूनी और विनियामक दायित्व: 1) बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाएँ :

- क) ग्राहकों/ पॉलिसीधारकों और प्राधिकरण के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता को कम नहीं करेंगी।
- ख) प्राधिकरण द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण को बाधित नहीं करेंगी।
- ग) उनके आंतरिक नियंत्रण, व्यवसाय के संचालन अथवा प्रतिष्ठा के संबंध में किसी संकट अथवा दुर्बलता के रूप में परिणत नहीं होंगी।
- 2) अपेक्षाएँ इस बात का विचार किये बिना लागू होंगी कि बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाएँ बीमा दलाल के रूप में एक ही समूह के अंदर एक संबद्ध संस्था के साथ की जाती हैं, अथवा समूह के बाहर किसी बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता के साथ की जाती हैं। बीमा दलाल संबंधित पक्षकार लेनदेनों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3) बाह्यस्रोतीकरण संबंधित विधियों और विनियमों का पालन करने के लिए बीमा दलाल के दायित्वों तथा उसके बोर्ड और प्रधान अधिकारी के दायित्वों को कम नहीं करेगा।
- 4) बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा किये जानेवाले भूल-चूक के सभी कार्यों के लिए बीमाकर्ता अंततः उत्तरदायी है।
- 5) बीमाकर्ता का दायित्व बाह्यस्रोतीकरण के कारण किसी भी रूप में सीमित नहीं किया जाएगा।
- 6) बीमाकर्ताओं द्वारा नियुक्त किये गये सभी बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, उनके अधीन जारी किये गये नियमों, विनियमों और किन्हीं भी अन्य आदेशों के उपबंधों के अधीन हैं।
- 7) संभावित हितों के संघर्ष से बचने के उद्देश्य से बीमा दलाल यह प्रयास करेंगे कि प्राधिकरण के पास पंजीकृत बीमा दलालों के संबंधित पक्षकारों को सामान्यतः किसी भी कार्यकलाप के बाह्यस्रोतीकरण के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- 8) बीमा दलाल ऐसे किसी कार्यकलाप का बाह्यस्रोतीकरण नहीं करेंगे जो बीमा दलालों के कार्यों के साथ संभावित हितों के संघर्ष के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

- 8. आकस्मिकता योजनाएँ :** 1) बीमा दलालों से प्रत्याशित है कि वे पर्याप्त आकस्मिकता योजनाएँ स्थापित करेंगे और उन्हें बनाये रखेंगे। इनमें आपदा समुत्थान योजनाएँ और वे सहायक (बैकअप) सुविधाएँ शामिल हैं जो उचित रूप से पूर्वानुमान करने योग्य घटनाओं की स्थिति में, जो सेवा लगातार प्रदान करने के लिए बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता की सामर्थ्य को प्रभावित करती हैं, न्यूनतम व्यावसायिक कार्य-विघटन के साथ बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलाप की निरंतरता को समर्थन देती हैं।
- 2) उक्त आकस्मिकता योजनाएँ बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता के पास विद्यमान समस्याओं के कारण किसी व्यावसायिक विघटन के संभावित परिणामों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए तथा इस संबंध में बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता द्वारा अनुरक्षित आकस्मिकता योजनाओं और बीमा दलाल की स्वयं की आकस्मिकता व्यवस्थाओं के साथ उनके समन्वय पर विचार किया जाना चाहिए।
- 3) विशेष रूप से, आकस्मिकता योजनाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा दलाल उन सभी अभिलेखों तक तत्काल पहुँच रख सके जो उसे व्यवसाय के परिचालन जारी रखने, सांविधिक दायित्वों को पूरा करने, और प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलाप से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाते हैं।
- 4) आकस्मिकता योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा और जाँच भी की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विशेष रूप से परिवर्तनशील परिचालन स्थितियों के अंतर्गत सुदृढ़ बनी रहेंगी।
- 9. अभिलेखों का रखरखाव:** 1) बीमा दलालों से यह सुनिश्चित करने की प्रत्याशा की जाती है कि उनके संतोष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रलेखीकरण का अनुरक्षण किया जाएगा।
- 2) प्रलेखीकरण निम्नलिखित पहलुओं को समर्थन देगा:
- क) महत्व का निर्धारण
- ख) बीमा दलाल की बाह्यस्रोतीकरण नीति का पालन
- ग) लागत लाभ विश्लेषण
- घ) समुचित सावधानी की समीक्षाएँ
- ङ) कीमत निर्धारण के मूल्यांकन;
- च) जोखिम मूल्यांकन; तथा
- छ) कार्यकलापों के कीमत-निर्धारण तक पहुँचते समय, जो बीमा दलाल के संबंधित पक्षकार के साथ बाह्यस्रोतीकरण को संबद्ध करता है, पर्याप्त दूरी (आर्म्स लेंगथ) अर्थात् स्वतंत्र संव्यवहार को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त आधार।
- 3) उक्त प्रलेखीकरण जब भी आवश्यक हो तब बोर्ड एवं प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
- 4) ऐसे प्रलेखीकरण का अनुरक्षण बीमा दलालों द्वारा संविदा की समाप्ति से पाँच वर्ष के लिए किया जाएगा।
- 10. विनियामक पहुँच:** 1) बीमा दलाल सभी स्थितियों में प्राधिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को निम्नलिखित अधिकार देते हुए अपने बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाताओं से एक वचनपत्र प्राप्त करेंगे अथवा बाह्यस्रोतीकरण करार के अंदर एक प्रावधान सम्मिलित करेंगे:-

- क) बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता (अथवा उप-ठेकेदार, जैसा लागू हो) के पास बहियों, अभिलेखों, सूचना, प्रणालियों और आंतरिक नियंत्रण परिवेश की जाँच करने का अधिकार, उस सीमा तक जहाँ तक वे बीमा दलाल के लिए की जा रही सेवा से संबंधित हैं; तथा
- ख) बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता की किन्हीं आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों अथवा बाह्य लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों तक पहुँच रखने का अधिकार, जो बीमा दलाल के लिए निष्पादित की जा रही सेवा से संबंधित हैं।

11. सूचना देने की अपेक्षाएँ : बीमा दलाल उन सभी बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाओं, जहाँ प्रति बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता वार्षिक भुगतान दस लाख रुपये अथवा उससे अधिक हो, की सूचना समीक्षा के लिए निदेशक बोर्ड को देंगे।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची II – फार्म वाई
(विनियम 41 देखें)**

व्यवसाय के समामेलन, विलय और अधिग्रहण एवं अंतरण की पद्धति

1. इन विनियमों के अधीन व्यवसाय के समामेलन अथवा विलय और अधिग्रहण अथवा अंतरण की कोई भी योजना केवल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बाद ही कार्यान्वित की जाएगी।
बशर्ते कि इन विनियमों के अधीन किसी भी योजना का अनुमोदन नहीं किया जाएगा यदि प्राधिकरण की राय में (i) योजना किन्हीं अन्य प्रयोज्य विधियों और विनियमों की अनुपालनकर्ता नहीं है अथवा (ii) योजना पॉलिसीधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं है;
2. इन विनियमों के अधीन व्यवसाय के अंतरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण को बीमा दलालों अथवा बीमा मध्यवर्तियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा:
 - क) करार अथवा विलेख का प्रारूप जिसके अंतर्गत व्यवसाय का अंतरण लागू करने का प्रस्ताव किया गया हो;
 - ख) लेनदेन तुलन-पत्र के पक्षकारों के तुलन-पत्र (i) नियत तारीख के सर्वाधिक निकटवर्ती लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण एवं (ii) नवीनतम तिमाही के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण होंगे।
 - ग) प्रस्तावित लेनदेन का एक सारांश / कार्यकारी सार, एवं वे शर्तें जिन पर ऐसा लेनदेन अपेक्षित किया गया है;
 - घ) उस पद्धति के संबंध में एक रिपोर्ट जिसमें पॉलिसीधारकों के हित का संरक्षण किया जाएगा; तथा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और रोजगार संबंधी विधियों सहित परंतु इन्हीं तक न सीमित, प्रयोज्य विधियों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट।
 - ङ) हस्तांतरणकर्ता से प्राप्त एक वचन-पत्र कि योजना के अंतर्गत अंतरित किये जाने के लिए प्रस्तावित बीमे की व्यवस्था/ओं में वह बीमा दलाल कार्यकलाप करना समाप्त करेगा।
 - च) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में कोई अन्य वचन-पत्र।

3. अंतरण योजना के लिए अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान करते समय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले दिनांक से लागू होगा।
4. प्राधिकरण अपने द्वारा अनुमोदन की जानेवाली योजना में संबद्ध उपायों के किसी भी अनुक्रमण के संबंध में प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों, अपने विनियामक उद्देश्यों, पॉलिसीधारकों के हितों और बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझे जानेवाले निदेश जारी कर सकता है।
5. समय-निर्धारण – प्राधिकरण अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से यथासंभव शीघ्रता के साथ व्यवसाय के अंतरण के लिए आवेदन का प्रसंस्करण करेगा और उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची II – फार्म जेड
(विनियम 42(3) देखें)**

निरीक्षण प्रक्रिया

1. **निरीक्षण से पहले सूचना –** (क) विनियम 42 के अधीन निरीक्षण करने से पहले प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए बीमा दलाल को कम से कम दस दिन की सूचना देगा।
 - (ख) उपर्युक्त खंड 1(क) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ प्राधिकरण संतुष्ट है कि पॉलिसीधारकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी, वह लिखित में दर्ज किये कारणों से यह निदेश दे सकता है कि ऐसी किसी सूचना के बिना बीमा दलाल के कार्यों का निरीक्षण किया जाए।
 - (ग) बीमा दलाल निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसे बीमा दलाल द्वारा अथवा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकृत परिसर में पूर्णतः प्रवेश करने देगा तथा बीमा दलाल के कब्जे में स्थित बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की जाँच करने के लिए सभी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा।
 - (घ) निरीक्षण प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निरीक्षण के दौरान बीमा दलाल के किसी प्रधान अधिकारी अथवा किसी कर्मचारी के वक्तव्यों की जाँच करे अथवा उन्हें अभिलिखित करे तथा उसे शक्तियाँ होंगी कि वह दस्तावेजों/अभिलेखों को जब्त करे अथवा उनकी प्रतियाँ निकाले।
 - (ङ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को निरीक्षण के संबंध में हर प्रकार से सहयोग प्रदान करे जिसकी प्रत्याशा बीमा दलाल से प्राप्त करने के लिए उचित रूप से की जा सकती है।
 - (च) इस संबंध में प्राधिकरण की अपेक्षाओं का पालन न करने अथवा निरीक्षण अधिकारियों को सहयोग प्रदान न करने का परिणाम पंजीकरण का निलंबन होगा।
2. **प्राधिकरण को रिपोर्ट की प्रस्तुति –** निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण की समाप्ति से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
3. **निष्कर्षों आदि की सूचना –** (क) प्राधिकरण उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपने निष्कर्ष बीमा दलाल को सूचित करेगा। बीमा दलाल सूचना की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर देगा।

- (ख) बीमा दलाल से स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण बीमा दलाल को ऐसे उपाय करने के लिए निदेश दे सकता है जो प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझे जाएँगे।
- (ग) उपर्युक्त (ख) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, प्राधिकरण बीमा दलाल को एक नोटिस उससे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि बीमा दलाल को प्रदत्त पंजीकरण क्यों नहीं निलंबित अथवा निरस्त किया जाना चाहिए अथवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की जानी चाहिए।
- (घ) प्राधिकरण उपर्युक्त (ग) के अंतर्गत जारी की गई नोटिस के लिए प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद बीमा दलाल को प्रदान किये गये पंजीकरण के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकता है अथवा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त समझा गया कोई अन्य आदेश जारी कर सकता है।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018**

**अनुसूची III – फार्म एए
(विनियम 57(4) देखें)**

**बीमा दलाल द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के लिए
अपेक्षित दस्तावेजों की सूची**

- i. बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन करने की तारीख की स्थिति के अनुसार सभी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
- ii. पंजीकरण के अभ्यर्पण के लिए कारण दर्ज करनेवाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- iii. प्रधान अधिकारी से इस बात का पुष्टीकरण कि पंजीकरण के अभ्यर्पण के लिए अनुरोध करने की तारीख से कोई भी नया व्यवसाय स्थापित नहीं किया जाएगा।
- iv. वैध पंजीकरण/ लाइसेंस का मूल प्रमाणपत्र।
- v. कंपनी के निदेशकों का एक वचनपत्र कि जिन वर्तमान ग्राहकों की पॉलिसियाँ प्रचलित हैं, उन्हें छह महीने की अवधि के लिए सेवाएँ प्रदान की जाएँगी तथा इस अवधि के अंदर अपेक्षानुसार किसी अन्य पंजीकृत दलाल द्वारा संविदाओं के संबंध में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए बीमा दलाल के द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
- vi. संस्था के बहिर्नियमों (एमओए)/संस्था के अंतर्नियमों (एओए) के मुख्य उद्देश्यों को हटाने के लिए अधिसूचित करना तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार को सूचित करना और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उनकी अपेक्षाओं का पालन करना अथवा कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास कंपनी को पंजी से निकालने के लिए की गई कार्रवाई का प्रमाण प्रस्तुत करना।
- vii. विनिर्दिष्ट रूप में पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए दावों एवं व्यवसाय प्रीमियम संबंधी सांख्यिकी प्रस्तुत करना।
- viii. ऐसी प्रत्येक घटना का ब्योरा जो बीमा दलाल की जानकारी में आई हो जहाँ बीमा दलाल ग्राहकों को हर्जाना अथवा क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए बाध्य हो सकता हो, चाहे वह व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी द्वारा रक्षित हो या न हो, निम्नलिखित सूचना देते हुए प्रस्तुत करना :
 - i. घटना की तारीख।

- ii. संबंधित ग्राहक का नाम।
- iii. दावा उत्पन्न करने की संभावना वाली घटना का स्वरूप।
- iv. दावे के आधार का संक्षिप्त विवरण।
- v. दावे की सूचित अथवा अनुमानित राशि।
- vi. दावे के लिए अपनी बहियों में बीमा दलाल द्वारा प्रावधान की गई राशि।
- vii. दावे की वर्तमान स्थिति।
- ix. प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

अनुबंध - I-ए

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018

(विनियम 39 देखें)

विनियम 19 और 22 के अंतर्गत अपेक्षित पूँजी और निवल मालियत के अनुरक्षण के संबंध में बीमा दलाल के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या :

पंजीकरण की श्रेणी :

पंजीकरण की वैधता :

1. हम, बीमा दलाल मेसर्स.....जिनका पंजीकृत कार्यालय.....में है, के लेखा-परीक्षकों ने खाता-बहियों का सत्यापन किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाल कंपनी.....की स्थिति के अनुसार रु.की पूँजी का अनुरक्षण करती है।
2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार उक्त बीमा दलाल की निवल मालियत (नेट वर्थ) की संगणना की है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि को समाप्त अवधि में उक्त कंपनी की निवल मालियत रु. है। हमारे द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और साक्ष्यांकित प्रमाणित प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।
3. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि को समाप्त इसी अवधि के संबंध में उक्त बीमा दलाल में विदेशी निवेश से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 में निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है।
4. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाल कंपनी किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त नहीं है और केवल बीमा दलाल के व्यवसाय का ही संचालन कर रही है।

5. समीक्षाधीन अवधि के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन है/कोई परिवर्तन नहीं है जिसके लिए उक्त कंपनी ने ऐसे परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है/ प्राप्त नहीं किया है।
6. आगे हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि समस्त बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्था जहाँ वार्षिक भुगतान प्रति बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता दस लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, (अनुसूची II - फार्म-एक्स - पैरा-11 के अनुसार) समीक्षा के लिए निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध – I-बी

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018

(विनियम 39 देखें)

विनियम 23 के अंतर्गत अपेक्षित जमाराशि के अनुरक्षण के संबंध में बीमा दलाल के लेखा-परीक्षकों द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र जिसे छमाही तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या :

पंजीकरण की श्रेणी :

पंजीकरण की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हम, मेसर्स, बीमा दलाल मेसर्सजिनका पंजीकृत कार्यालयमें है, के लेखा-परीक्षकों ने आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उक्त बीमा दलाल रु.की जमाराशि का अनुरक्षण करता है जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम पूंजी का प्रतिशत (%) है।

हम नीचे इसका ब्योरा प्रस्तुत करते हैं :

- 1) बैंक का नाम और पता जहाँ जमाराशि का अनुरक्षण किया जाता है;

- 2) जमाराशि की तारीख और परिपक्वता की तारीख;
- 3) पुष्टि करें कि क्या यह सूचित करते हुए उक्त बैंक को नोटिस दी गई है तथा उक्त बैंक से उचित प्राप्ति-सूचना ली गई है, कि :
 - क) उक्त जमाराशि का प्राधिकरण के पास ग्रहणाधिकार (लियन) होगा;
 - ख) जब तक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की जाती, तब तक मीयादी जमाराशि उक्त बीमा दलाल को अदा नहीं की जाएगी;
 - ग) उक्त बीमा दलाल द्वारा कोई ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए इस जमाराशि को गिरवी नहीं रखा गया।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध - I-सी

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018

(विनियम 39 देखें)

विनियम 24 के अंतर्गत अपेक्षित व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे के अनुरक्षण के संबंध में बीमा दलाल के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र जो छमाही तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या :

पंजीकरण की श्रेणी :

पंजीकरण की वैधता :

हमने आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त बीमा दलाल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 24 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में(बीमा कंपनी का नाम) से एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी प्राप्त की है। इसका ब्योरा निम्नानुसार है।

- 1) बीमा कंपनी का नाम और पता;
- 2) पॉलिसी संख्या और पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख;
- 3) पॉलिसी की समाप्ति की तारीख;

- 4) क्षतिपूर्ति की सीमा और वर्ष के दौरान प्राप्त कुल पारिश्रमिक;
- 5) अभीमाकृत आधिक्य;
- 6) एओए : एओवाई का अनुपात

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बीमा दलाल ने उक्त पॉलिसी के अंतर्गत दावे की कोई सूचना प्राप्त की है/प्राप्त नहीं की है तथा इसकी जानकारी उक्त बीमा कंपनी, जिसने उक्त व्यावसायिक क्षतिपूर्ति (पीआई) पॉलिसी जारी की है, को दी गई है/नहीं दी गई है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध - I-डी

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018
(विनियम 39 देखें)**

विनियम 26 के अंतर्गत दलाल कंपनी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में बीमा दलाल के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

पंजीकरण संख्या :

पंजीकरण की श्रेणी :

पंजीकरण की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हमने उनकी खाता-बहियों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त बीमा दलाल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 26 तथा इस विषय में जारी किये गये परिपत्रों/विनियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध - I-ई

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018

(विनियम 39 देखें)

विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षित बीमा धनराशि के वियोजन के संबंध में बीमा दलाल के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या :

पंजीकरण की श्रेणी :

पंजीकरण की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हमने अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं।

- 1) कि विनियम 33 के अनुपालन में उक्त बीमा दलाल नेबैंक के पास "बीमा बैंक खाता" खोल दिया है जिसका ब्योरा संलग्न है।
- 2) कि उक्त बीमा दलाल ने उक्त बैंक को लिखित सूचना दी है तथा उक्त बैंक से लिखित पुष्टि प्राप्त की है कि उक्त बीमा दलाल उक्त खाते को किसी भी अन्य खाते के साथ सम्मिलित करने अथवा उस खाते में स्थित धनराशि पर किसी समंजन (सेट-ऑफ़), प्रभार या ग्रहणाधिकार (लियन) के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं है।
- 3) कि उक्त बीमा बैंक खाता/खाते किसी भी अन्य खाते के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है/किये गये हैं। उपर्युक्त खाते/खातों का उपयोग केवल उक्त विनियमों में बताये गये प्रयोजनों के लिए ही किया जाता है और सामान्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता।
- 4) कि उक्त बीमा दलाल ने केवल उक्त बीमा बैंक खाते/खातों से अर्जित पारिश्रमिक अथवा शुल्क को ही निकाला है तथा अपने अन्य खातों में अंतरित किया है।
- 5) कि पुनर्बीमा संविदाओं के भाग के रूप में प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त धनराशियाँ उक्त बीमा बैंक खाते/खातों में रखी गई हैं तथा उपर्युक्त (4) में यथानिर्धारित अंतरणों को छोड़कर किसी भी अन्य खाते में इनका विपथन अथवा अंतरण नहीं किया गया है। उपर्युक्त राशियों का अंतरण पुनर्बीमा संविदा के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार नियत तारीख से पहले किया गया है।
- 6) कि 'बीमा बैंक खाते' में धारित धनराशियाँ मीयादी जमाराशियों में धारित नहीं हैं अथवा किसी भी अन्य लिखत में इनका निवेश नहीं किया गया है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध - I-एफ
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018
(विनियम 39 देखें)

विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षित बीमा धनराशि के वियोजन के संबंध में बीमा दलाल के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या :

पंजीकरण की श्रेणी :

पंजीकरण की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हमने अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं।

1) से तक की अवधि के दौरान अर्जित पारिश्रमिक

अथवा शुल्क की राशि एवं जो 'बीमा बैंक खाते' से किसी अन्य खाते में अंतरित की गई है, रु. है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक:

स्थान:

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असाधारण/401/17]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 12th January, 2018

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018

F. No. IRDAI/Reg/2/149/2018 - In exercise of the powers conferred by sections 42D, 42E and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely: -

Objective: The objective of these Regulations is to supervise and monitor insurance broker as an insurance intermediary.

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and supersede Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 with effect from such date.

CHAPTER – I

2. Definitions — (1) Unless the context otherwise requires, —

- a. “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- b. “Applicant” means a person for registration as insurance broker as referred to in these regulations;
- c. "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- d. “Broker Qualified Person” means an individual who is an employee or director of the insurance broker engaged in solicitation and procurement of insurance business and who has undergone training and passed the examination specified for them;
- e. “Composite Broker” means an Insurance Broker, registered by the Authority who for a remuneration and/or a fee, solicits and arranges insurance and/or re-insurance for its clients with insurers and/or reinsurers located in India and/or abroad; and/or provides claims consultancy, Risk Management services or other similar services, permitted under these regulations.
- f. “Direct Broker” means an Insurance Broker, registered by the Authority, who for a remuneration and/or a Fee, solicits and arranges insurance business for its clients with insurers located in India and/or provides claims consultancy, Risk Management services or other similar services, permitted under these regulations.
- g. "Enquiry officer" means an officer of the Authority, or any other person having experience in insurance business, who is appointed by the Authority under regulation 52, to hold an enquiry against an insurance broker;
- h. “Fee” means payment received by the insurance broker from the client for undertaking any of the services provided to the client, as permitted under these regulations, including claims consultancy, risk management service or other similar services which is not a percentage of premium or claim amount.
- i. "Form" means the forms specified under these regulations;
- j. "Inspecting authority" means one or more of its officers appointed by the Authority to discharge the functions stated in regulation 42;
- k. “Insurance Broker” means a person who is a direct broker, a reinsurance broker or a composite broker for the time being registered by the Authority, as the case may be, unless expressly stated to the contrary;
- l. “Key Management Person” includes Chief Executive Officer, Chief Marketing Officer, Chief Finance Officer, Chief Technical Officer/ Head-IT, Head-Reinsurance and Compliance Officer.
- m. “Person” means—
 - (i) A company formed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or
 - (ii) A co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 or under any law for the registration of co-operative societies; or
 - (iii) A limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009) with no partner being a non-resident entity/ person resident outside India as defined in clause(w) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999(42 of 1999) (FEMA), and not being a foreign limited liability partnership registered thereunder; or

- (iv) Any other person as may be recognized by the Authority to act as an insurance broker;
- n. "Principal Officer" means - an officer in an executive role designated as such for the purpose of performing the duties and responsibilities as specified in these regulations to carry out the functions of an insurance broker and who shall be the chief executive officer or a whole-time director or managing director, managing partner or a managing trustee or such individual appointed / engaged exclusively to carry out the functions of an insurance broker;
- o. "Regulations" means Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 as amended from time to time;
- p. "Reinsurance Broker" means an Insurance Broker, registered by the Authority who for a remuneration and/or a Fee, solicits and arranges re-insurance for its clients with insurers and/or reinsurers located in India and/or abroad; and/or provides claims consultancy, Risk Management services or other similar services, permitted under these regulations.
- q. "Risk Management" means providing any sort of insurance risk management services by an insurance broker to its clients such as risk assessment, risk advisory, risk mitigation or risk minimization for the benefit of its client;
- r. 'Scheme of amalgamation' or 'merger and acquisition' means the scheme formulated as per Sections 230 - 240 of the Companies Act, 2013;
- s. 'Scheme of transfer of business' means the scheme for transfer of whole or part of business / assets of the insurance broker;
- t. "Solicitation" – for the purpose of these regulations is defined as the approach of an insurer or an intermediary to the client with a view to convince the client to purchase an insurance or reinsurance policy;
- u. 'Transferor' means the registered Insurance Broker that transfers the business to another registered Insurance intermediary.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 (57 of 1972), or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules and regulations made thereunder, as the case may be.

CHAPTER – II

REGISTRATION AND RENEWAL OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

3. Categories of the Insurance brokers –

- (1) Application for grant of certificate of registration to act as an insurance broker shall be made for any one of the following categories, namely:
- (a) direct broker (life)
 - (b) direct broker (general)
 - (c) direct broker (life & general)
 - (d) reinsurance broker
 - (e) composite broker
- (2) An applicant or its group entities ordinarily may be granted one certificate of registration. However, an application for an insurance broker registration where any applicant or its group entities is already engaged in

insurance intermediation including insurance broking shall be considered on merits and subject to there being no conflict of interest.

Note: For the purposes of these regulations, the definition of "group" shall have the same meaning as defined under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016 as amended from time to time, or any other direction issued in this regard by the Authority.

4. Functions of an Insurance Broker: The functions of Direct Broker, Reinsurance Broker and Composite Broker are outlined in Schedule I – Form A of these regulations.

PART -- A

New Certificate of Registration

5. Submission of Application for grant of certificate of registration —

- (1) An application to act as an insurance broker shall be made in application form as specified under Schedule I - Form B of these regulations to the Authority.
- (2) The application for grant of certificate of registration shall be as per Regulation 3 above.
- (3) Application for grant of certificate of registration shall be submitted along with the requisite documents as specified in Schedule I – Form C of these regulations.
- (4) Application for grant of certificate of registration shall be submitted along with the requisite fees as specified in Schedule I – Form D of these regulations.

6. Application to conform to the requirements –

- (1) An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in Schedule I - Form B and these regulations and not complying with the requirements and/or directions of the Authority, shall be liable for rejection.

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

7. Furnishing of information, clarification and personal representation —

- (1) The Authority may require an applicant to furnish any further information and/or clarification and/or may direct the applicant to comply with certain requirement/s for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority.
- (2) The Authority shall give, the applicant an opportunity to submit the requirements/ clarifications/ additional information etc sought by the Authority, within 30 days from the date of receipt of the communication from the Authority.
- (3) The applicant along with their principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with the application.
- (4) The Authority may direct an applicant to submit any information/ data/ clarification as may be required for the processing/ disposal of the application so made to it.
- (5) The applicant shall bring to the notice of the Authority, on its own forthwith, such further information/or clarification, which might have a bearing on consideration of their application.

8. Consideration of application —

- (1) The Authority while considering an application shall take into account, all matters relevant for carrying out of the functions of the insurance broker.
- (2) Without prejudice to the provisions of (1) above, the Authority in particular, shall take into account the following, namely: -

- (a) Whether the applicant is suffering from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42 D of the Act;
- (b) Whether the applicant has the necessary infrastructure, such as, adequate office space, equipment, trained manpower and IT infrastructure to effectively discharge its activities;
- (c) Whether the applicant has in their employment a minimum of two broker qualified persons who have the necessary qualifications specified in Schedule I – Form E and experience to conduct the business of insurance broker and in case applicant has certain branch offices, one broker qualified person per branch office having the necessary qualifications specified in Schedule I – Form E of these regulations and experience to conduct the business of insurance broker.

Note: In case the insurance broker intends to carry on both life and general insurance business, then at least one broker qualified person each shall have relevant experience in life and general insurance and necessary qualifications specified in Schedule I – Form E of these regulations should be present in the company. In case of exit of a broker qualified person from any of the branches, the charge can be given to another broker qualified person on ad-hoc basis and the insurance broker shall take necessary steps to appoint a broker qualified person at the earliest possible time. However, such arrangements need to be informed to the Authority. If an insurance broker fails to comply with this condition in any of the branch offices under their control, they shall not carry any business in that branch till such a broker qualified person with necessary qualifications as specified in Schedule I – Form E of these regulations is appointed.

- (d) Whether any person, directly or indirectly connected with the applicant, has, in the past, been refused grant of a certificate of registration or license by the Authority.

Explanation: — For the purposes of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means a relative in the case of an individual, and in the case of a firm or a company or a body corporate, an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group company of the applicant. It is hereby clarified that these terms shall have the same meanings as ascribed to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or The Competition Act, 2002, as the case may be.

- (e) Whether the applicant fulfills the capital requirements as specified in regulation 19; Net Worth requirement as specified in regulation 22 and deposit requirements as specified in regulation 23.
- (f) Whether the principal officer of the applicant possesses the required qualification, undergone training, passed the examination, possesses the necessary certificate and fulfills other requirements as specified in Schedule I – Form E of these regulations. The information required under Schedule I – Form F of these regulations shall be submitted by Director(s)/ Promoter(s)/ Partner(s)/ Key Management Personnel, in addition to Principal Officer of the applicant.
- (g) Whether in the opinion of the Authority the Principal Officer of the applicant is suitable to be so appointed keeping in view his experience, preferably in the insurance sector.
- (h) Whether the Principal Officer/ Director(s)/ Promoter(s)/ Partner(s)/ Key Management Personnel are Fit and Proper based on the statement in Schedule I – Form G of these regulations.

- (i) Whether the principal officer and/or any other official of the insurance broker has violated the code of conduct as specified in Schedule I – Form H and Schedule I – Form I, as applicable, of these regulations;
- (j) Whether the applicant is engaged in any other business other than the main objects clause of the MOA/ AOA or its equivalent;
- (k) Whether the promoters/ investors/ foreign investors/ partners of the applicant are of sound financial position to make investment in the applicant entity.
- (l) Whether the broker qualified persons fulfill the requirements mentioned in Schedule I – Form E of these regulations and a list of such broker qualified persons shall be provided to the Authority.
- (m) Whether the Authority has rejected the application for grant of certificate of registration or the applicant has withdrawn the application for any reason at any time during the preceding financial year from the date of application.
- (n) Whether the foreign investor or Indian Promoter of the existing venture has exited for any reason at any time during the preceding two financial years from the date of application.
Provided the Authority, considering the interests of the policyholders and overall growth and development of the insurance sector, may relax the condition of two year waiting to such time as it may so specify.
- (o) Whether the issue of certificate of registration will be in the interest of policyholders.

9. Payment of fees and the consequences of failure to pay fees —

- (1) Every applicant eligible for the grant of a certificate of registration and renewal of certificate of registration shall pay such fees in such a manner and within such a period as specified in Schedule I – Form D of these regulations.
- (2) The Authority shall not process any application which does not carry the required fees.

10. Procedure for issuance of Certificate of Registration –

- (1) The Authority on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions specified for the issuance of Certificate of Registration, shall first issue an in-principle approval to the applicant for compliance of requirements for issuance of Certificate of Registration.
- (2) The Authority upon satisfying itself of the conditions specified in the in-principle approval or other conditions of the Act, Rules, regulations, circulars, guidelines, etc., may issue a Certificate of Registration as prescribed in Schedule I – Form J of these regulations stating the category.
- (3) The Certificate of Registration shall be issued subject to the insurance broker adhering to the conditions and the code of conduct as specified by the Authority from time to time.
- (4) An insurance broker registered under these regulations for a specified category may also apply for the issuance of Certificate of Registration for any other category by fulfilling the requirements of these regulations. However, such application shall be made only after completion of one year from the issuance of certificate of registration in the first instance.
- (5) In case a Certificate of Registration issued under these regulations or a License issued under previous regulations, is cancelled or surrendered or whose renewal is rejected by the Authority by an Order and such Order is upheld by the Securities Appellate Tribunal or any Court of Law, the applicant may then make a fresh application for grant of Certificate of Registration only after lapse of one year from the effective date of such Order for consideration of the Authority. The Authority may consider such application on merit.

11. Validity of Certificate of Registration —

- (1) A Certificate of Registration once issued shall be valid for a period of three years from the date of issue, unless the same is suspended or cancelled under these regulations.
- (2) No insurance broker shall be permitted to do business without a valid and current Certificate of Registration.

12. Rejection of Application—

- (1) Where an application for issuance of Certificate of Registration under these regulations does not satisfy the conditions set out in regulation 8 and 9, the Authority may refuse grant of Certificate of Registration;

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

Any applicant, aggrieved by the Order of the Authority, may appeal to the Securities Appellate Tribunal

- (2) The Order of refusal to grant Certificate of Registration shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.
- (3) If the application is rejected and the applicant chooses not to appeal against the order of rejection of application, the applicant may make a fresh application for issuance of certificate of registration after lapse of one year from effective date of such Order for consideration by the Authority. The Authority may consider such application on merit.

13. Conditions of grant of registration to Insurance Broker - The registration granted under these regulations or the renewal of registration granted under these regulations shall, *inter alia*, be subject to the following conditions: -

- (1) The Insurance Broker registered under these regulations shall act exclusively to carry on the business of an insurance broker as permitted under these regulations;
- (2) The Insurance Broker shall comply with the provisions of the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Regulations, Circulars, Guidelines and any other instructions issued there under from time to time by the Authority;
- (3) The Insurance Broker shall forthwith inform the Authority in writing, if any information or particulars previously submitted to the Authority by them are found to be false or misleading in respect of any material particular or if there is any material change in the information already submitted;
- (4) The Insurance Broker shall take adequate steps for redressal of grievances of its clients within 14 days of receipt of such complaint and keep the Authority informed about the number, nature and other particulars of the complaints received from such clients in format and manner as may be specified by the Authority;
- (5) The Insurance Broker shall solicit and procure reasonable number of insurance policies commensurate with their resources and the number of Broker Qualified Persons they employ.
- (6) The Insurance Broker shall maintain records in the format specified by the Authority which shall capture policy-wise details wherein each policy solicited by the Insurance Broker is tagged to the broker qualified person or other authorised persons, wherever applicable.
- (7) The Insurance Broker under no circumstance undertake multi-level marketing for solicitation and procuring insurance products;
- (8) The Insurance Broker shall ensure compliance of Code of Conduct applicable to it;
- (9) The Insurance Broker shall maintain books of accounts as specified in these regulations.

PART -- B**Renewal of Certificate of Registration****14. Renewal of Certificate of Registration—**

- (1) The application for renewal of certificate of registration shall be submitted to the Authority by the insurance broker in Schedule I – Form K of these regulations at least thirty days before the expiry of the certificate of registration.

Provided that if the application reaches the Authority later than the period mentioned in sub-regulation (1) above but before the actual expiry of the current certificate of registration, an additional fee of rupees one hundred shall be payable by the applicant to the Authority.

Provided further that in case the applicant submits in writing the reasons for the delay not covered by the previous proviso, and if the Authority is satisfied with those reasons, it may accept an application for renewal after the date of the expiry of the certificate of registration upto a period of 60 days of the expiry of certificate of registration, on payment of an additional fee of seven hundred and fifty rupees.

Provided further that the application for renewal received after 60 days of the expiry of the certificate of registration will be considered only after a lapse of 12 months from the date of submission of the late application. However, during the interregnum, the certificate of registration of the insurance broker shall cease to exist and it shall not solicit any new business, except servicing the existing policies till the expiry of the contract.

Note: An insurance broker is permitted to submit the application for renewal ninety days prior to the expiry of the registration.

- (2) No insurance broker shall be allowed to do any fresh insurance business after expiry of the certificate of registration, except servicing the existing policyholders.
- (3) The Principal Officer and Broker Qualified Persons of an insurance broker before seeking a renewal of certificate of registration shall have completed at least twenty-five hours of theoretical and practical training, imparted by an institution recognized by the Authority. While doing so, they shall ensure that they complete the renewal training within six months prior to the expiry of three years from the time the previous training was completed.
- (4) The application for renewal, under sub-regulation (1) shall be dealt with in the same manner as specified under regulation 8.
- (5) The Authority may seek further information/ clarification/ data on the application submitted by the insurance broker while processing the application.
- (6) The insurance broker shall submit such information as required under sub-regulation (5) above within 21 days of receipt of the communication from the Authority.

Provided if the applicant seeks additional time, for the reasons specified, for submission of information sought by the Authority under sub-regulation (5) above, the request may be considered by the Authority on merit.

- (7) The certificate of registration of the insurance broker, on failing to comply with sub-regulation (6) above may be suspended till such time the information required under sub-regulation (5) above is received by the Authority.
- (8) The Authority, on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions specified for renewal of the certificate of registration, shall renew the certificate of registration in Schedule I – Form L for a period of three

years and send intimation to that effect to the applicant.

- (9) The category certificate of registration of an insurance broker may be modified by restricting its operation in a particular category where the certificate of registration was already issued by the Authority for the reasons specified in writing and after giving due notice to the insurance broker. In any case, no restriction of category of the certificate of registration shall be done unless the insurance broker has been given a reasonable opportunity of being heard.

Note: Documents to be attached with renewal application by insurance brokers as per Schedule I – Form M, Schedule I – Form N and Schedule I – Form O.

15. Procedure where a renewal of certificate of registration is not issued —

- (1) Where an application for renewal thereof, does not satisfy the conditions set out in regulation 8,9, and 14, the Authority may refuse to issue the certificate of registration-
Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.
- (2) The refusal to issue certificate of registration shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.
- (3) Any applicant, aggrieved by the decision of the Authority, may appeal to the Securities Appellate Tribunal.

16. Effect of refusal to issue certificate of registration —

- (1) Any applicant, whose application for renewal thereof has been refused by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication cease to act as an insurance broker.
- (2) The insurance broker, however, shall continue to be liable to provide services in respect of contracts already entered into through it.
- (3) Such a service shall continue only upto the period of expiry of those current contracts or for a maximum period of six months, whichever is earlier, within which suitable arrangements shall be made by it for having the contracts attended to by another registered insurance broker.
- (4) The details of the arrangements shall be disclosed to the Authority on receipt of the communication.

PART -- C

Duplicate certificate of registration

17. Issue of a duplicate certificate of registration —

- (1) In the event of a certificate of registration being lost or destroyed or mutilated, an insurance broker shall submit to the Authority an application in the format given in Schedule I – Form P alongwith a fee of rupees one thousand requesting for the issue of a duplicate certificate of registration and with a declaration giving full details regarding the issue of the certificate of registration and its loss or destruction or mutilation.
- (2) The Authority, after satisfying itself that the original certificate of registration has been lost, destroyed or mutilated, shall issue a duplicate certificate of registration as per format given in Schedule I – Form Q with an endorsement thereon that it is a duplicate.

Chapter – III**CORPORATE GOVERNANCE****18. Nomenclature of Insurance Brokers**

- (1) The insurance brokers shall have the word 'Insurance Broker'/ 'Insurance Brokers'/ 'Insurance Broking' in the name of the Insurance Broker to reflect their line of activity and to enable the public to differentiate insurance brokers registered with the Authority from other non-registered insurance related entities.
- (2) The application of the new applicants seeking the registration as insurance broker shall not be considered in the absence of the compliance of the nomenclature requirement.
- (3) Every insurance broker shall display, in all their correspondences with all stakeholders, their name registered with the Authority, address of the Registered and Corporate Office, IRDAI registration number, the category for which the insurance broker is registered, validity period of the registration.
- (4) Insurance brokers shall not use any other name in their correspondence/ literature/ letter heads without the prior approval of the Authority.

19. Capital Requirement:

- (1) Any applicant seeking to become an insurance broker under these regulations shall have a minimum paid up capital/contribution as mentioned below:

Category	Minimum Capital/ Contribution (Rupees)
Direct broker	Seventy Five Lakh
Reinsurance broker	Four crore
Composite broker	Five crore

- (2) the capital in the case of a company limited by shares and a cooperative society shall be in the form of equity shares;
- (3) for the contribution of partners in the case of LLP shall only be in cash;
- (4) the applicant shall exclusively carry on the business of an insurance broker as required under these regulations.
- (5) the aggregate holdings of equity shares or contribution by foreign investors, including portfolio investors, shall be as prescribed by the Central Government from time to time;
- (6) the shares of an insurance broker held as capital or contributions in case of a LLP or equivalent shall not be pledged in any form or manner to secure credit or any other facility and shall at all times be unencumbered.
- (7) further, the investment in the applicant by the promoters/ shareholders/ partners shall be from their own funds and not from any other sources.

Explanation: For the purpose of these regulations own funds do not include funds arranged by way of borrowings or loans.

20. Manner of calculation of equity capital held by foreign investors

- (1) The aggregate holdings of equity shares or contribution or equivalent in the Insurance Broker by foreign investors, including portfolio investors, shall not exceed such per cent of limits as prescribed by Central Government.
- (2) For the purposes of the Act and these Regulations, the calculation of the holding of equity shares by one or more Foreign Investors in the applicant company, shall be as per details given in Schedule II – Form R.

21. Indian owned and Indian Control

- (1) Every Insurance Broker granted Certificate of Registration shall be governed by “Indian owned and controlled” requirements as specified in Act, Rules and guidelines.

22. Net-worth requirements

- (1) The net-worth of an Insurance Broker shall at no time during the period of certificate of registration fall below:
 - i. rupees fifty lakh for direct broker;
 - ii. 50% of the minimum capital requirements or contribution or equivalent specified under Regulation 19(1) for reinsurance / composite broker.

Explanation: For the purposes of these regulations, “net worth” shall have the meaning assigned to it in the Companies Act 2013 and as amended from time to time.

- (2) In case of non-compliance of sub-regulation (1) above, the Insurance Broker shall immediately restore the net worth to the limits given in (1) above and report compliance of the same.
- (3) The Insurance Broker shall submit to the Authority a net worth certificate duly certified by an Auditor every half-year.

23. Deposit requirements —

- (1) Every insurance broker shall before the commencement of their business, deposit and keep deposited with any scheduled bank a sum equivalent to:
 - i. rupees ten lakhs for direct broker.
 - ii. 10% of the minimum capital/ contribution specified under Regulation 19(1) for reinsurance / composite broker in fixed deposit, which shall not be released to them without the prior written permission of the Authority :

Provided that the Authority may impose a separate limit of deposit, in any case not exceeding Rupees one hundred lakhs, for a person covered by regulation 2(1)(m)(iv).

- (2) The deposit shall have a lien with the Authority.
- (3) Such deposit shall not be pledged for taking any loan or overdraft facility by the insurance broker;
- (4) Every insurance broker shall furnish to the Authority as and when called upon to do so a non-encumbrance statement from scheduled bank in which such fixed deposit is kept.
- (5) The interest earned on the deposit shall not be subject to lien with the Authority.

24. Professional indemnity insurance —

- (1) Every insurance broker shall take out and maintain at all times a professional indemnity insurance cover throughout the validity of the period of the Certificate of Registration issued to them by the Authority, as specified in Schedule II – Form S of these regulations. :

Provided that the Authority shall in appropriate cases allow a newly registered insurance broker to produce such a policy within twelve months from the date of issue of certificate of registration.

25. Ownership and control of shares

- (1) The beneficial ownership and control of the shares or contribution or equivalent in case of Insurance broker shall totally and completely rest with the entity/ individual approved by the Authority.

- (2) The process of transfer of shares or contribution or equivalent in case of Insurance Broker is given in Schedule II – Form T of these regulations.

26. Remuneration and reward to be received by an Insurance Broker from an insurer–

- (1) For Direct insurance business:
- (a) The payment of remuneration and/ or reward to an insurance broker by an insurer shall be as per IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) Regulations, 2016 notified by the Authority in this behalf;
- Explanation: No remuneration or reward can be paid in respect of an insurance where agency commission is payable and likewise, no agency commission can be paid in respect of an insurance where remuneration is payable.*
- (2) For reinsurance business–
- (a) as per market practices prevalent from time to time.
- (b) The settlement of accounts by insurers in respect of remuneration of insurance brokers shall be done on a monthly basis and it must be ensured that there is no cross settlement of outstanding balances.

27. Risk Management Services –

- (1) An insurance broker may charge the client fee for the services rendered by them to the client for risk management services or other similar services as per the functions defined under these regulations.
- (2) The insurance broker can undertake this activity only for commercial risks based on the written confirmation from client for those fees.
- (3) The Insurance broker cannot receive both the remuneration and reward as stipulated under the IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) Regulations, 2016 and fees for the same risk management services as given in Regulation 2(1)(q).
- (4) The insurance broker shall obtain a written mandate from the client to offer risk management services and shall keep a record of the risk management services offered to the client which will include details such as name of the client, place of risk, nature and type of risk management services undertaken, amount of fee charged from the client, basis of fee charged, etc.
- (5) the insurance broker may charge fee for such other similar services as may be mutually decided between the insurance broker and the client.
- (6) In case the insurance broker does not have the necessary skills and resources, it may engage external experts or specialists for undertaking the risk management services or such other similar services.
- (7) In such case the insurance broker shall inform the client and shall keep a record of the risk management services or such other similar services offered to the client which will include details such as name of the expert, service rendered, fees paid, basis of fee paid, etc.
- (8) The insurance broker shall be responsible for all acts of the external experts for undertaking risks management services.

28. Claim Consultancy -

- (1) Insurance brokers may undertake claims consultancy only for commercial lines of general insurance business, subject to the following conditions:

- (a) for claims not exceeding Rs. 10 crore the insurance broker may undertake claims consultancy provided such claim does not emanate from a policy, which has been placed by the same insurance broker.
- (b) the insurance broker shall inform the Authority within 30 days of acceptance of such claims consultancy by providing details such as name of the client, place of risk, name of the insurer, name of the distribution channel, if any, amount of claim, date of occurrence of loss, mandate obtained from the client for the claims consultancy;
- (c) for claims exceeding Rs. 10 crores the insurance broker may undertake claims consultancy with the prior approval of the Authority.
- (d) The application for seeking prior approval under Regulation 28 (1) (c) shall accompany the details such as name of the client, place of risk, name of the insurer, name of the insurance intermediary through whom the policy was originally placed, the reason for not providing the claims assistance to the client by the other intermediary, amount of claim, date of occurrence of loss, mandate obtained from the client for the claims consultancy.
- (e) before offering the claims consultancy, the insurance broker shall obtain a written mandate from the client to represent the client with the insurer concerned for the claim for which consultancy has been sought by the client and offered by the insurance broker.
- (f) the insurance broker may charge fee for claims consultancy services as may be mutually decided between the insurance broker and the client. However, such fee shall not be expressed as a percentage of the claim.
- (g) the insurance broker shall, in all their dealings with such clients, be governed by the provisions of Code of Conduct as specified in Schedule I – Form H and Schedule I – Form I, as applicable, of these regulations.
- (h) Any dispute between two or more insurance brokers arising out of such claims consultancy arrangements shall, in the first instance, be considered by the Insurance Brokers Association of India (IBAI) and thereafter the IBAI shall forward such dispute together with its recommendation to the Authority for final disposal.
- (i) The Authority will review and decide the norms regarding claims consultancy from time to time.

29. Board Approved Policy for comparison and distribution of insurance products -

- (1) Every Insurance broker shall have a Board approved policy on the manner of soliciting insurance policies. The Board approved Policy, amongst others, shall include the approach to be followed by the Insurance broker in having multiple tie-ups, type of products sold, mode of solicitation, grievance redressal mechanism, reporting requirements and any other item with regard to different business segments.
- (2) The Board of the Insurance Broker shall review the same atleast once in three years.

30. Code of conduct for Insurance brokers –

- (1) Every insurance broker shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule I – Form H of these regulations.
- (2) In case of a Composite Broker or a reinsurance broker, he shall abide by the additional Code of Conduct specified in Schedule I – Form I of these regulations.

31. Internal control and systems —

- (1) Every insurance broker shall ensure that a proper system of internal audit is in place and that their internal controls and systems are adequate for the size, nature and complexity of its business.

- (2) In case of reinsurance and composite brokers it is mandatory that the insurance broker shall have internal audit systems and designate a compliance officer who is an employee of the insurance broker.
- (3) Without prejudice to the above, it is mandatory for an insurance broker who in a financial year earns more than rupees five crore remuneration (including reward) to have a designated Compliance Officer who will be responsible for the internal controls and systems.

32. Co-broking

- (1) Two or more registered insurance brokers can jointly handle the broking of insurance requirements of any client with the written consent of the client.
- (2) It is open to a client to appoint in writing more than one insurance broker to jointly handle the broking of its insurance requirements depending on the skills that the insurance brokers may bring to the activity and to decide the manner in which the remuneration or fee payable on the business may be shared among them.
- (3) In such a situation the registered insurance brokers shall enter into Terms of Business Agreement for providing insurance broking services to the specified client and the Agreement shall include, amongst other things, the manner defining the duties and responsibilities of each registered insurance broker, the manner of sharing of remuneration or fee among themselves, the reason for providing insurance broking services jointly.
- (4) The manner in which the remuneration is shared among the co-brokers shall be disclosed to the insurer.

Direct Co-broking

- (5) Each of the direct insurance co-brokers shall be insurance brokers who are holding valid certificate of registration in the class of business concerned and each co-broker shall be responsible to ensure compliance with the co-broking provisions and guidelines issued by the Authority from time to time.
- (6) In any case, the total of remuneration shared among the insurance brokers together shall not be more than the limits specified in regulation 26.
- (7) The insurer will be guided by the instructions of the client with regard to payment of remuneration to each co-broker for their share.
- (8) Co-broking is not permitted for individual and retail lines of insurance business.

Reinsurance Co-broking

- (9) Each of the co-brokers on a reinsurance placement shall also be responsible to ensure that these regulations are complied with by themselves and any foreign brokers engaged by them.
- (10) Where a reinsurance placement is co-broked with a foreign reinsurance broker, the registered broker in India shall only use reinsurance co-brokers who agree to comply with the requirements of these guidelines and shall be responsible to secure compliance with these regulations or other guidelines to the extent applicable, by the foreign reinsurance co-broker.
- (11) The insurer will be guided by the instructions of the client with regard to payment of remuneration to each co-broker for their share or to the lead co-broker who will then be responsible to pay the other co-brokers.
- (12) The name and other particulars of the foreign reinsurance co-broker shall be disclosed to the insurer.

33. Segregation of insurance money —

- (1) The provisions of section 64VB of the Act shall continue to determine the question of assumption of risk by an insurer.

- (2) In the case of reinsurance contracts, it may be agreed between the parties specifically or as part of international market practices that the registered reinsurance broker or composite broker can collect the premium and remit to the reinsurer and/or collect the claims due from the reinsurer to be passed on to the insurer. In these circumstances the money collected by the registered insurance broker shall be dealt with in the manner specified in Schedule II – Form U of these regulations.

34. Maintenance of books of account, records, etc. –

- (1) Every insurance broker shall prepare for every financial year –
 - (a) a balance sheet or a statement of affairs as at the end of each accounting period;
 - (b) a profit and loss account for that period;
 - (c) a statement of cash/fund flow (direct method);
 - (d) Additional statements on insurance broking business as may be required by the Authority.

Note: For purposes of this regulation, the financial year shall be a period of 12 months (or less where a business is started after 1st April) commencing on the first day of the April of a year and ending on the 31st day of March of the year following, and the accounts shall be maintained on accrual basis.
- (2) Every insurance broker shall submit to the Authority, a copy of the audited financial statements as stated in sub-regulation (1) along-with the auditor's report thereon within 30 days of holding of the annual general meeting or before 30th September every year whichever is earlier along with the remarks or observations of the auditors, if any, on the conduct of the business, state of accounts, etc., and a suitable explanation on such observations shall be appended to such accounts filed with the Authority.
- (3) Every insurance broker shall, within ninety days from the date of the Auditor's report take steps to rectify any deficiencies, made out in the auditor's report and inform the Authority accordingly.
- (4) All the books of account, statements, document, etc., shall be maintained at the head office of the insurance broker or such other branch office as may be designated by them and notified to the Authority, and shall be available on all working days to such officers of the Authority, authorised in this behalf by it for inspection.
- (5) All the books, documents, statements, contract notes etc., referred to in this regulation and maintained by the insurance broker shall be retained for a period of at least seven years from the end of the year to which they relate. However, the documents pertaining to the cases where claims are reported and the decision is pending for a decision from courts, the documents are required to be maintained till the disposal of the cases by the court. In the case of reinsurance brokers, all other documents are required to be maintained till its natural expiry.
- (6) There shall be a note to their financial statements providing the details of all the incomes received from insurers and insurer's group companies, insurer-wise, by the insurance broker and also the details of payments received by the group companies and/or associates and/or related parties of the insurance broker from any insurer and the details thereof.
- (7) A certificate confirming the compliance of these regulations in the format given in Schedule II – Form UA shall also be submitted by the auditor.
- (8) Every insurance broker shall submit to the Authority the details of statutory auditors engaged by them along with the audited accounts as per Schedule II – Form V of these regulations. The statutory auditors of the insurance broker shall be appointed for a maximum continuous duration of up to 5 years.
- (9) Every insurer who is engaging the services of an insurance broker shall file with the Authority a certificate separately for all such insurance brokers in case the remuneration and other payments made to insurance broker

exceeds the limits stipulated, in the format given in the Schedule II – Form W to be signed by the CEO and CFO of the insurer. A similar certificate from the Principal Officer and CFO (or its equivalent) of the insurance broker certifying that the remuneration and other payments received by the insurance broker from the insurer shall be filed with the Authority as given in Schedule II – Form W.

35. Ceiling on business from single client –

- (1) The business of the insurance broker shall be carried in such a manner that, not more than 50 percent of the remuneration shall emanate from any one client in a financial year.

Note: For the purposes of this regulation, the term “client” shall include, in the case of a firm or a company, an associate or a subsidiary or a group concern under the same management. The definition of “group” shall have the same meaning as defined in IRDAI (Investment) Regulations, 2016.

- (2) The percentage of remuneration as specified in sub-regulation (1) will not include reinsurance remuneration as well as remuneration towards insurance business emanating from a Government body or Public sector undertaking.
- (3) The decision of the Authority as to whether a company, a business or an organisation is under the same management shall be final.
- (4) An insurance broker shall furnish a certificate duly certified by a Chartered Accountant confirming compliance with this regulation every year along with the audited accounts.

36. Outsourcing of activities by insurance broker – An Insurance Broker can outsource the activities given in Schedule II - Form X based on a Board approved policy.

37. Single broking registration to one corporate group and dealings with Group companies

- (1) The Authority shall ordinarily issue only one certificate of registration in the categories of Direct Broker (Life) and/ or Direct Broker (General) and/ or Direct Broker (Life & General) and/ or Reinsurance Broker or Composite Broker to a corporate group. For the purposes of these regulations, the group shall have the same meaning as defined in IRDAI (Investment) Regulations, 2016.
- (2) Promoters of the insurance broker shall give an undertaking that none of the clients within promoter group will be compelled for their insurance requirements.
- (3) There must be mandatory disclosures of related party transactions with the promoter group in their audited accounts and balance sheet as per accounting standards.
- (4) For insurance brokers promoted by Corporate Houses having an insurance company within their group, not more than 25 per cent of the insurance premiums (separately for life and for general (incl. health) insurance business) handled by the insurance broker in any financial year shall be placed with the insurance company within the promoter group. The broker shall establish internal machinery to monitor this on an ongoing basis.
- (5) The insurance brokers falling under this category shall have to abide by the following conditions:

A) Obligations of the Insurer:

- (i) The insurer within the group should give an undertaking that –
 - (a) it will not pay higher remuneration or reward to the insurance broker within the group compared to what is payable to other insurance brokers for the same class of insurance or insurance product;

- (b) it will not quote terms to the insurance broker within the group, that are more favourable than the terms quoted to other insurance brokers on the same proposal for insurance; and
- (c) it will not design special insurance products for sale exclusively through the insurance broker.
- (d) It will file an audit certificate on compliance with this undertaking annually with the audited accounts of the insurer;

B) Obligations of the Insurance Broker:

- (i) The broker shall make an explicit disclosure of it being a sister company of the insurer within the same promoter group, in all its stationary used for communication with clients and in all publicity materials and at the offices of the broker.
- (ii) Where the insurance broker recommends a product and quotes rates and terms offered by an insurer within the same promoter group, the insurance broker shall inform the client about the logic in support of its recommendation and also inform the client about the next best product, rates and terms offered by an insurer not part of the promoter group.
- (iii) It shall be mandatory for the insurance broker to disclose Related Party transactions with the insurance company belonging to the promoter group in its audited accounts and balance sheet as described in the Accounting Standards.

C) Obligations of both the Insurer and the Insurance Broker

- (i) The insurance company and the insurance broker shall maintain arms length distance between themselves. More explicitly, no employee or director of the insurance broker shall be a director, employee, or agent of the insurance company.
- (ii) The insurance broker shall not offer loans or other facilities or incentives to officers or employees of the insurer within the group and vice versa.

[For this purpose, "Group" shall be as defined in the IRDAI (Investment) Regulations, 2016 and Guidelines issued thereunder.]

38. Reinsurance / Composite brokers sharing of Brokerage with a foreign broker for the placement of risks –

- (1) In case any insurer/ reinsurer registered in India, utilizes the services of any reinsurance broker for the placement of reinsurance of Indian risks abroad, such placement shall be through a reinsurance or composite broker registered by the Authority only.
- (2) For the purposes of sub-regulation (1) above, a registered reinsurance or composite broker may utilize the services of a foreign broker for placement of reinsurance with insurers or reinsurers outside India.
- (3) For the purposes of sub-regulation (2) above, the reinsurance/composite brokers registered with the Authority shall not share more than 50% of the remuneration with the foreign insurance broker for the services obtained from them.

39. Filing of Returns —

- (1) Every insurance broker shall before 31st October and 30th April each year furnish to the Authority the following certificates duly certified by the auditor.
 - (a) A certificate to the effect that the insurance broker is maintaining required capital, the insurance broker is not engaged in any other business other than insurance broking and also maintains required net worth as required under regulations 19 and 22, as per Annexure I-A of these regulations;

- (b) A certificate to the effect that the insurance broker is maintaining a deposit in compliance of regulation 23, as per Annexure I-B of these regulations;
 - (c) A certificate to the effect that a Professional Indemnity Policy is in force in compliance of regulation 24, as per Annexure I-C of these regulations;
 - (d) A certificate confirming that the insurance broker has received the remuneration as per the limits prescribed in the regulation 26, as per Annexure I-D of these regulations;
 - (e) A certificate in case of a reinsurance broker or a composite broker to the effect that the insurance broker is complying with provisions of regulation 33 and is maintaining a separate Insurance Bank Account and the monies lying in the said account are not used for any purposes other than as specified in the regulations, as per Annexure I-E of these regulations.
 - (f) A certificate in case of a reinsurance broker or a composite broker on the amount of remuneration or fees earned during the period and any transfers made to any other account as per Annexure I-F of these regulations.
- (2) the insurance brokers shall file periodical returns, without fail within the time specified, as per the formats/ returns prescribed under Authority's Business Analytical Project. Any failure to comply with this regulation without sufficient reason beyond 15 days shall attract penal action as specified under these regulations;
- (3) any false or wrong certification or concealment of facts in the certificates submitted to Authority shall attract penal action as specified under these regulations.

40. Disclosures to the Authority —

- (1) An insurance broker shall disclose to the Authority on their own any material change which has a bearing on their certificate of registration within 30 days of such change;
- (2) an insurance broker shall disclose to the Authority, as and when required by it, in any event not later than thirty days of a requisition, the following information, namely –
 - (a) their responsibilities with regard to the placement of an insurance or reinsurance contract;
 - (b) any change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the registration granted to them;
 - (c) the names of the clients whose insurance portfolio they manage or have managed;
 - (d) any other requirement or information specified by the Authority from time to time :

Provided that in case of a person specified in regulation 2(1)(m)(iv), the Authority may call for and obtain such information as it deems fit.
- (3) In any case, an insurance broker shall have to take the prior approval of the Authority for the following;
 - (a) Change of Principal Officer;
 - (b) Change of Director(s)/Partner(s) provided that in the event of resignation of the Director / Partner, the Authority may be informed;
 - (c) Change in name of the company;
 - (d) Change in place of corporate/registered office, if such change is not within same city in which case the same may be informed;
- (4) An insurance broker shall furnish to the Authority the following information as and when there is a change/addition to the information furnished previously to the Authority.
 - (a) Opening/closing of branch offices;

- (b) List of broker qualified persons and point of sales persons;
 - (c) Claim under the professional indemnity policy;
 - (d) Acquiring of immovable property;
 - (e) Change in principal place of business within same city;
- (5) The Authority may from time to time require the insurance broker to furnish information/data/documents in the manner as may be specified in the matter.
- (6) Failure to comply with this regulation shall attract penal action, in accordance with the provisions of regulation 48 being taken against the insurance broker.

Explanation: (1) For the purpose of this regulation, 'material change' means any change which has a bearing on consideration of their application under regulation 8 of these regulations.

(2) For the purpose of this regulation, the 'principal place of business' means location of head office of a business where the books and records are kept and/or management works.

41. Amalgamation and Transfer of business

- 1) No insurance broker shall undertake any scheme of amalgamation or merger & acquisition or transfer of business except in accordance with these Regulations.
- 2) No scheme of amalgamation shall be implemented by an insurance broker without the prior written approval of the Authority.
- 3) No scheme of transfer of business whether wholly or partly shall be implemented by an insurance broker where notwithstanding such transfer, the transferor continues to act as an Insurance broker under the Regulations, unless the prior written approval of the Authority is obtained. However, no transferor shall act as a broker for such transferred business beyond six months.
- 4) No scheme of transfer of business shall be implemented by an Insurance broker where such transfer results in voluntary surrender of registration by the transferor, unless the prior written approval of the Authority is obtained.
- 5) The process for seeking approval of the Authority is indicated at Schedule II – Form Y of these regulations.

42. Authority's power to inspect —

- (1) The Authority may appoint one or more of its officers as "inspecting authority" to undertake inspection of the premises of the insurance broker to ascertain and see how the business is carried on, and to inspect the books of accounts, records and documents of the insurance broker for any of the purposes specified in sub-regulation (2).
- (2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may be as follows, namely: —
 - (a) to ensure that the books of account are being maintained in the manner required;
 - (b) to ensure that the provisions of the Act, rules, regulations are being complied with;
 - (c) to investigate the complaints received from any insured, any insurer, other insurance brokers or any other person on any matter having a bearing on the activities of the insurance broker; and
 - (d) to investigate the affairs of the insurance broker *suomotu* in the interest of proper development of insurance business or in policyholders' interest.
- (3) The manner in which the inspection will be conducted is specified in Schedule II – Form Z of these regulations.
- (4) The list of documents required for the inspection to be maintained by the insurance broker and to be provided at

the time of inspection shall be as specified by the Authority.

43. Appointment of investigator by the Authority –

(1) The Authority may appoint a chartered accountant or an actuary or any qualified and experienced individual in the field of insurance to investigate the books of accounts or the affairs of the insurance broker, if the Authority is of the view that the affairs of the insurance broker are not in the interest of the policyholder or are not in compliance to the provisions of the Insurance Act, Regulations, circulars, guidelines, etc. :

Provided that the person so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as are mentioned in regulation 42 and the obligations of the insurance broker in regulation 42 shall be applicable to the investigation under this regulation.

Explanation- For the purposes of this regulation the expression “chartered accountant” shall have the same meaning as given in Section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as amended from time to time, and the expression ‘actuary’ shall have the same meaning as given in section 2(1)(a) of The Actuaries Act, 2006 (35 of 2006).

(2) The expenses and costs of such an investigation shall be recovered by the Authority from the insurance broker whose affairs had been caused to be investigated.

Chapter – IV

ONLINE SALES, TELEMARKETING AND DISTANCE MARKETING

44. Sale of Insurance Online –

- (1) Insurance brokers may enter into an agreement with insurers for sale of insurance products online by linking to the web portals of the insurers.
- (2) The sale of insurance online by Insurance Brokers shall be as per IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and Guidelines on Insurance e-commerce issued by the Authority in so far as they are applicable.

45. Sale of Insurance by tele-marketing mode–

- (1) The sale of insurance where leads are generated through online and off-line mode and completed through tele-marketing mode by Insurance Brokers shall be as per IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 issued by the Authority and the Insurance Broker can undertake outsourcing activities only to the extent of tele-calling as allowed under IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 in so far as they are applicable.

46. Sale of Insurance through distance marketing mode –

- (1) The sale of insurance where leads are generated through online and offline and completed through distance marketing mode by Insurance Brokers shall be as per IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 issued by the Authority and the Insurance Broker can undertake outsourcing activities only to the extent of tele-calling as allowed under IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 in so far as they are applicable.

Chapter – V**APPROACH IN CASE OF NON-COMPLIANCE OF REGULATIONS****47. Action against a person acting as an insurance broker without a valid certificate of registration—**

- (1) Notwithstanding and without prejudice to initiation of any criminal proceedings against any person, who acts as an insurance broker without holding a valid certificate of registration issued under these regulations, the Authority may invoke against such a person penal action under the Act.
- (2) Where the person falling under sub-regulation (1), is a company or firm or body corporate, without prejudice to any other proceedings which may be initiated by the Authority against such company or firm or body corporate; every director, manager, secretary or other officer of the company or body corporate, and every partner of the firm, who is knowingly a party to such a contravention shall also be liable to a penalty which may extend to ten lakh rupees.

48. Penalty for certain violations / breaches

- (1) In case a registered insurance broker violates any of the provisions of Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and Rules and Regulations made there under, any circular/guidelines/orders issued by the Authority from time to time, the Authority may issue such order imposing appropriate penalty depending on the nature/gravity of violation.
- (2) The insurance broker, if aggrieved by the decision of the Authority, may appeal to the Securities Appellate Tribunal.

49. Suspension or Cancellation of certificate of registration with notice –

- (1) The certificate of registration of an insurance broker may be suspended or cancelled after due notice and after giving them a reasonable opportunity of being heard if they —
 - a) violate the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or rules or regulations, made thereunder as amended from time to time;
 - b) fail to furnish any information relating to their activities as an insurance broker as required by the Authority;
 - c) fail to comply with the directions issued by the Authority;
 - d) furnish wrong or false information; or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining a registration or during the validity of certificate of registration;
 - e) do not submit periodical returns as required by the Authority;
 - f) do not co-operate with any inspection or enquiry conducted by the Authority;
 - g) fail to resolve the complaints of the policyholders or fails to give a satisfactory reply to the Authority in this behalf;
 - h) indulge in rebates or inducements in cash or kind to a client or any of the client's directors or other employees or any person acting as an introducer except as permitted under these regulations;
 - i) are found guilty of misconduct or their conduct is not in accordance with the Code of Conduct specified in Schedule I – Form H and Schedule I – Form I, whichever is applicable;
 - j) fail to maintain the capital, net-worth and deposit requirements in accordance with the provisions of regulations;
 - k) fail to pay the fees, penalties imposed or the reimbursement of expenses under these regulations;

- l) violate the conditions of certificate of registration;
- m) do not carry out their obligations as specified in the regulations;
- n) undertakes multi-level marketing for soliciting and procuring of insurance policies;
- o) carry on the business with a Principal Officer who does not acquire practical training and pass the examination within the stipulated period as specified in regulations;
- p) the Authority is of the view that the establishment of an insurance broker is only to divert funds within a group of companies or their associates, and the fact is established after due enquiries made by the Authority

50. Suspension or Cancellation of certificate of registration without notice —

- (1) The certificate of registration of an insurance broker may be suspended or cancelled without notice, if they
 - (a) violate any one or more of the requirements under the code of conduct specified in Schedule I – Form H and Schedule I – Form I, whichever is applicable;
 - (b) are found guilty of fraud, or is convicted of a criminal offence;
 - (c) commit such defaults, which require immediate action in the opinion of the Authority, provided that the Authority has communicated the reasons for the cancellation in writing;
 - (d) have not commenced the business within six months of being granted a registration.
- (2) in case the certificate of registration of an insurance broker is suspended without notice, such certificate of registration shall not be cancelled unless an enquiry has been held in accordance with the procedure specified in regulation 52.

51. Publication of order of suspension —

- (1) The order of suspension or cancellation of the certificate of registration made under regulation 49 or regulation 50, shall be displayed on website of the Authority and communicated to the insurers, so that registration of new business by the suspended insurance broker is stopped forthwith by the insurers.
- (2) On and from the date of suspension or cancellation of the certificate of registration, the insurance broker, shall cease to function as an insurance broker.
- (3) An insurance broker however shall continue to service the contracts already concluded through them for a period of six months within which he shall make suitable arrangements for having the contracts attended to by another registered insurance broker.

52. Manner of holding of enquiry after suspension of certificate of registration of the insurance broker—

- (1) The certificate of registration of an insurance broker shall not be cancelled unless an enquiry has been conducted in accordance with the procedure specified in this regulation.
- (2) For the purpose of holding an enquiry under this regulation, the Authority may appoint an enquiry officer within 15 days of the issue of the suspension order;
- (3) The enquiry officer shall issue a notice to the insurance broker at the registered office or the principal place of business of the insurance broker, as the case may be, calling for all information / data as deemed necessary to conduct the enquiry and grant the insurance broker a time limit of 15 days from date of receipt of the notice, for submission of such information / data called for;
- (4) The insurance broker may, within fifteen days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply to the notice together with copies of documentary or other evidence relied on by them or sought

by the enquiry officer;

- (5) The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of hearing to the insurance broker to enable them to make submissions in support of their reply made under sub-regulation (4) above;
- (6) The insurance broker may either appear in person or through any person duly authorised by them to present their case, provided however that the prior approval of the enquiry officer is obtained for the appearance of the 'authorised person';
- (7) If it is considered necessary, the enquiry officer may require the Authority to present its case through one of its officers;
- (8) If it is considered necessary, the enquiry officer may call for feedback/information from the insurer or any other related entity during the course of enquiry;
- (9) If it is considered necessary, the enquiry officer may call for additional papers from the insurance broker;
- (10) The enquiry officer shall make all necessary efforts to complete the proceeding at the earliest but in no case beyond 60 days of the commencement of the enquiry
 Provided that in case the enquiry cannot be completed within the prescribed time limit of 60 days as mentioned above; the enquiry officer may seek additional time from the Authority stating the reason thereof;
- (11) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the insurance broker, submit a report to the Authority within 30 days of the completion of the enquiry proceedings.

53. Action to be taken after the receipt of the enquiry report. —

- (1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider the report and issue a show-cause notice to the insurance broker if the contents of the report warrant a cancellation of the registration granted to them;
Provided that no such notice is required, in case the provisions of regulation 50 are attracted.
- (2) The insurance broker shall within twenty-one days of the date of receipt of the show cause notice send a reply to the Authority.
- (3) The Authority after considering the reply to the show cause notice shall, as soon as possible, but not later than thirty days from the receipt of the reply, pass such an order as it deems fit.
Provided, however, that where the insurance broker on serving of the notice under this regulation fails to furnish any reply within the stated period, the Authority may after the expiry of such time proceed to decide the case on merit and pass such an order as it deems fit.
- (4) The Authority shall send a 'final order of the Authority' made under sub-regulation (3) to the insurance broker.

54. Procedure for Cancellation of certificate of registration —

- (1) Authority shall issue the final order for cancellation of the certificate of registration of the insurance broker and they shall cease to act as an insurance broker from the date of the final order.
- (2) The process of notification of the cancellation of certificate of registration of the insurance broker is outlined in regulation 55.
- (3) The Authority in such an event may pass such order as it thinks fit for the disposal of the deposit of the insurance broker made under regulation 23.
- (4) An insurance broker whose certificate of registration has been cancelled shall continue to service the contracts already concluded through them for a period of six months from the order of cancellation of certificate of registration within which period they shall make suitable arrangements for having the contracts attended to by

another registered insurance broker.

- (5) The registered insurance broker who agrees to take over the obligations of policy service from the insurance broker whose certificate of registration has been cancelled shall submit their request to the insurer for serving the policies / contracts through the term.
- (6) The registered insurance broker on obtaining the approval from the insurer, for take-over of the obligations of policy service, can collect remuneration on current contracts in vogue with prospective effect from the date of service of the contracts.
- (7) The insurer shall pay remuneration / policy service, on current contracts in vogue with prospective effect from the date of allotment of service of the contracts to the insurance broker to whom the insurer has given the authority.

55. Publication of order on cancellation of certificate of registration — The order of cancellation of the certificate of registration made under sub-regulation (3) of regulation 53, shall be published in one daily newspaper in the English language and one newspaper in the regional language as the Authority may consider fit, in addition to display on the website of the Authority.

56. Effect of cancellation of certificate of registration —

- (1) On and from the date of suspension or cancellation of the certificate of registration, the insurance broker, shall cease to act as an insurance broker.
- (2) An insurance broker however shall continue to service the contracts already concluded through them for a period of six months within which suitable arrangements shall be made by them for having the contracts attended to by another registered insurance broker.
- (3) Another registered insurance broker who agrees to take over the obligations of policy service can collect remuneration on current contracts which were not collected earlier from insurers, provided the insurance broker undertakes to service the policies through its term.

Chapter – VI

MISCELLANEOUS

57. Voluntary Surrender of certificate of registration –

- (1) An Insurance Broker registered under these regulations may make an application to the Authority for surrender of their certificate of registration. The Authority may consider such application on merit.
- (2) Upon acceptance of the application for surrender made by the insurance broker, the Authority may pass an order for surrender of certificate of registration.
- (3) The insurance broker whose certificate of registration is surrendered and accepted by the Authority shall have to make arrangements as specified in regulation 56.
- (4) The documents/information required to be submitted for surrender of certificate of registration is as per Schedule III – Form AA to these regulations.

58. Repeal and Savings:

- (1) Every Insurance Broker granted License or Certificate of Registration for acting as an insurance broker under the earlier regulations shall be valid under these regulations.

- (2) Existing Insurance Brokers shall ensure compliance of the provisions relating to paid-up equity capital and net-worth requirements within a period of two years from the date of notification of these regulations and other requirements specified in these regulations within six months from the date of notification of these regulations.
- (3) However, the Authority may, on an application made to it by an existing insurance broker, for valid reasons, grant a further period of six months time to comply with the Regulations.
- (4) An undertaking to the effect that compliance of “Indian owned and controlled” as required under the regulation has been ensured shall be filed by all Insurance Brokers duly signed by the Principal Officer and Chief Compliance Officer within 45 days from the date of meeting of the Board of Directors, where such compliance has been confirmed.
- (5) Every undertaking shall be accompanied by: (1) A certified copy of resolution passed by the Board of Directors confirming the compliance of sub-regulation (2) above; (2) Where applicable, certified copy of the agreement / Joint venture Agreement where amendments to the agreement / joint venture agreement have been carried out to give effect to the provisions of the Act.

59. General —

- (1) From the date of notification of these regulations no person can function as an insurance broker unless a certificate of registration has been granted to them by the Authority under these regulations or under any other regulations which was in force.
 - (a) Insurance brokers including the insurance brokers registered under the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 shall be governed by the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 from the date of notification of these regulations.
 - (b) The licenses issued under the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 shall continue to be valid till the expiry of the license provided there are no violations of any of the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 from the date of notification of the regulations.
 - (c) Applications for grant of license or renewal of license, received at the Authority prior to notification of these regulations shall be governed by the provisions of Insurance Regulatory and Development (Insurance Brokers) Regulations, 2013 till the final consideration / disposal of such applications.
 - (d) Proceedings / Departmental enquiry / Departmental inspection which have been initiated against the insurance broker under the provisions of Insurance Regulatory and Development (Insurance Brokers) Regulations, 2013 shall be governed by the provisions of respective regulations till their final disposal.
- (2) Any disputes arising between an insurance broker and an insurer or any other person either in the course of their engagement as an insurance broker or otherwise may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.
- (3) Power to remove difficulties and issue clarifications - In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

SCHEDULE I – Form A

(See regulation 4)

Functions of Direct broker / Reinsurance broker / Composite Broker

1. Functions of a direct broker — The functions of a direct broker shall include the following:

- (a) Obtaining detailed information of the client's business and risk management philosophy;
- (b) Familiarizing himself with the client's business and underwriting information so that this can be explained to an insurer and others;
- (c) Rendering advice on appropriate insurance cover and terms;
- (d) Maintaining detailed knowledge of available insurance markets, as may be applicable;
- (e) Submitting quotation received from insurer/s for consideration of a client;
- (f) Providing requisite underwriting information as required by an insurer in assessing the risk to decide pricing terms and conditions for cover;
- (g) Acting promptly on instructions from a client and providing him written acknowledgements and progress reports;
- (h) Assisting clients in paying premium under section 64VB of Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (i) Assisting in the negotiation of the claims;
- (j) Maintaining proper records of claims;
- (k) Assisting in opening of e-insurance accounts;
- (l) Assisting in issuing e-insurance policies; and
- (m) Any other function which the Authority may specify.

2. Functions of a re-insurance broker -The functions of a re-insurance broker shall include the following:

- (a) Familiarizing himself with the client's business and risk retention philosophy;
- (b) Maintaining clear records of the insurer's business to assist the reinsurer(s) or others;
- (c) Rendering advice based on technical data on the reinsurance covers available in the international insurance and the reinsurance markets;
- (d) Maintaining a database of available reinsurance markets, including solvency ratings of individual reinsurers;
- (e) Rendering risk management services for reinsurance;
- (f) Selecting and recommending a reinsurer or a group of reinsurers;
- (g) Negotiating with a reinsurer on the client's behalf;
- (h) Assisting in case of commutation of reinsurance contracts placed by them;
- (i) Acting promptly on instructions from a client and providing it written acknowledgements and progress reports;
- (j) Collecting and remitting premiums and claims/refunds within such time as agreed upon;
- (k) Assisting in the negotiation and settlement of claims;
- (l) Maintaining proper records of claims;

- (m) Exercising due care and diligence at the time of selection of reinsurers and international insurance brokers having regard to their respective security rating and establishing respective responsibilities at the time of engaging their services;
- (n) Creation of market capacity and facility for new, stressed, emerging and existing business and asset class for and from both direct insurers and reinsurers;
- (o) Render preliminary loss advice (PLA) within reasonable time;
- (p) Given the nature of business, separate norms need to be followed for Inward and Outward business
 - a. Inward business
 - i. Broker to have adequate specific knowledge of the country whose business is being offered like: political stability, economic position, local regulations, tax laws, etc.
 - ii. Introduce new business/ products depending on the reinsurers business plan and risk appetite
 - b. Outward business
 - i. Rating and market credibility of the reinsurer
- (q) To ensure prompt collection and remittance of funds, follow up for funds to be initiated sufficiently before the due dates for settlement from cedant to reinsurer and from reinsurer to cedant as relevant;
- (r) To comply with the laws and other requirements of the local jurisdiction while arranging insurance/ reinsurance for clients/ insurance companies based outside India; and
- (s) Any other function which the Authority may specify.

3. Functions of composite broker — (1) A composite broker shall carry out the functions mentioned in clause 1 and 2 above.

(2) In case a composite broker is appointed by a client to act as direct insurance broker he shall not influence the insurer concerned to appoint him as reinsurance broker for arranging reinsurance on the same contract. However, after following a due and transparent process if the insurer appoints the composite broker as a reinsurance broker for arranging reinsurance on the same risk on which the composite broker acted as a direct broker, the composite broker shall ensure that there are proper systems and controls in place to see that the interests of the client and the insurer are not prejudiced.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form B
[see regulation 5(1)]**

APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

Name of the Applicant:

CATEGORY APPLIED FOR :

INSURANCE BROKER - _____

(Mention category as applicable)

Direct (life)

Direct (General)

Direct (Life & General)

Reinsurance

Composite

Instructions for filling up the form:

1. It is important that before this application form is filled in, the regulations made by the Authority are studied carefully.
2. Applicant must submit a duly completed application form together with all appropriate, supporting documents to the Authority.
3. Application for registration will be considered only if it is complete in all respects.
4. Applicant should sign the applications themselves.
5. Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.
6. If the applicant is not a company, the information called for in this Form shall be supplied by adapting the requirements suitably.

1. PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant : _____

1.2 (A) Address - Principal Place of business / Registered Office.

Pin code: _____ Telephone No: _____

E-mail: _____ Fax No: _____

(B) Address for Correspondence:

Pin code: _____ Telephone No: _____

E-mail: _____ Fax No: _____

(C) Addresses of Branch Offices:

(D) Name and particulars of the Principal Officer

Name	Address & Contact Details	Qualification	Experience in Insurance Broking services and related areas	Share in applicant firm /company	Directorship in other companies	DIN No. (If applicable)	Aadhaar No.

2. ORGANISATION - STRUCTURE

2.1 Status of the Applicant:

(e.g. limited company-Private/Public, partnership, others. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

2.2. Date and Place of Incorporation:

Day Month Year Place

2.3 Scope of business as described in the Memorandum of Association

(To be given in brief along with copy of Memorandum and Articles of Association or Partnership Deed).

2.4 Details of Indian Promoters

Shareholding as on: _____

Name, address and contact details of Indian Promoters	Aadhaar No. (Individuals)/ PAN No. (Entities)	No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company	Foreign Investment? Yes or No, If yes, details

2.5 Details of Indian Investors

Shareholding as on: _____

Name, address and contact details of Indian Investors	Aadhaar No. (Individuals)/ PAN No. (Entities)	No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company	Foreign Investment? Yes or No, If yes, details

2.6 Details of Foreign Investors

Shareholding as on: _____

Name, address and contact details of Foreign Investors		No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company	

2.7 Particulars of all Directors/Partners/Proprietor:-

Name	Qualification	Experience in Insurance Broking services and related areas	Share in applicant firm /company	Directorship in other companies	Representing Indian Promoter/ Indian Investor/Foreign Investor	DIN No.	Aadhaar No. (For Indians/ Passport) (For NRIs/ Foreign Director)

2.8 Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company/ Firm	Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter/ Director	Nature and interest of applicant company

Whether any one or more persons of the associate companies/ concerns are interested in the applicant's business?

2.9 Name and Address of the Principal bankers of the applicant

2.10 Name and address of the statutory auditors:

3. BUSINESS INFORMATION

3.1 Three years business plan document with projected volume of activities and income for which registration sought is to be specifically given.

3.2 Organization Chart separately showing functional responsibilities to be enclosed.

3.3 Particulars of Key Management Personnel

Name	Address & Contact Details	Qualification	Experience in Insurance Broking services and related areas	Share in applicant firm /company	Directorship in other companies	Key Management Position	Aadhaar No.

3.4 Details of infrastructure like office space, equipment and manpower available with the applicant

3.5 Details of IT infrastructure like hardware, software, networking, disaster recovery, business continuity plans, cyber-security, data privacy, virus and hacking protection, security certification, etc available with the applicant

3.6 Details of experience in insurance broking/ consulting/risk management and other services: (History, major events and present activities) (Experience outside India may also be indicated):

3.7 Any other information considered relevant to the nature of services to be rendered by the applicant.

4. FINANCIAL INFORMATION**4.1 Capital Structure (Rs. in lakhs)**

Capital Structure	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	Current year
a) Authorized Capital b) Issued capital c) Paid-up capital d) Free reserves (excluding re-valuation reserves) e) Total (c) + (d)			
Note: - 1. In case of LLPs, please indicate capital minus drawings and/or loans to partners. 2. In case of LLPs, please indicate the financial position, means and net worth of the partners.			

4.2 Deployment of Resources (Rs. in lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Current year (mention the relevant FY)
a) Fixed Assets b) Plant & Machinery c) Office Equipment d) Quoted Investments e) Unquoted Investments f) Details of Liquid Assets g) Others			

(Details of Investments, Loans & Advances made to Associate Companies/Firms where Promoters/Directors have an interest is to be separately given).

4.3 Income and Profit before Tax (PBT) (Rs. lakhs)

Particulars Income and Profit Before Tax	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Current year (mention the relevant FY)

4.4 Dividend (Rs. In lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Current year (mention the relevant FY)
Amount			
Percentage			

Note: Please enclose three years audited annual accounts. Where unaudited reports are submitted, give reasons. If minimum capital requirement has been met after last audited annual accounts, audited statement of accounts for the period ending on a later date should also be submitted.

5. OTHER INFORMATION, IF ANY

5.1 Details of all settled and pending disputes:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled	Date of settlement

5.2 Details, if any, of any economic offences by the applicant or any of the Partners/ Directors, or key managerial Personnel in the last three years.

6. Documents attached:

7. Fee Payment:

Note: A non-refundable fee (depending on the category applied for) and specified in Regulation 9 of these Regulations

Details of Payment: Demand Draft No: ----- Date: -----

Name of the Bank:

Other modes of payment:

8. Undertaking

8.1 WHETHER ANY PERSON directly or indirectly connected TO APPLICANT HAS BEEN REFUSED FOR THE LICENCE/CERTIFICATE OF REGISTRATION IN THE PAST OR NOT

Name of the Persons	Relationship with the Applicant

For the purpose of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means a relative in the case of any individual, and in the case of a firm or a Company or a body Corporate- an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group Company of the applicant.

9. DECLARATION

THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY TWO OF THE DIRECTORS, TWO OF THE PARTNERS AS THE CASE MAY BE.

- 1) We hereby apply for registration.
- 2) We have gone through the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and are satisfied that:
 - a. We are eligible to apply for the registration as insurance broker.
 - b. We state that we have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of our registration.
 - c. We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.
 - d. We undertake that we shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration or reward earned by us during the registration period.
 - e. We undertake to service the run-off business on the books at the time of cancellation or non-renewal of registration subject to the applicable norms.

f. We declare that we are not appointed as an insurance agent under section 42 of the Act.

For and on behalf of

(Signature & Name)
{Block Letters}

(Signature & Name)
{Block Letters}

Director

Director

Name of the Applicant

Name of the Applicant

Place:

Place:

Date:

Date:

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form C
(see regulation 5(3))**

Documentation & Procedural requirements for obtaining Fresh Insurance Broker Certificate of Registration

A. Submission of Completed Application.

- a) Submission of relevant information as required in the Schedule I – Form B.
- b) Remittance of requisite fee as per category of insurance broker applied by demand draft payable at Hyderabad or through electronic mode, as prescribed under Regulation 9 of these Regulations.
- c) Submission of printed copy of applicant's Memorandum and Articles of Association. The main objects of the Memorandum and Articles of Association should be as per Regulations.
- d) Ensure compliance of the training requirements as specified in regulation 8 of these Regulations. This is a requirement to be complied with before any application could be considered for grant of Certificate of Registration.
- e) Principal Officer: Data pertaining to the Principal Officer as mentioned in Schedule I – Form F along with the FIT and Proper criteria format as mentioned in Schedule I – Form G to be submitted, refer to Regulation 8 for details.
- f) Principal Officer to submit a declaration that the applicant (directors/partners, principal officer and key management personnel of the company) are not suffering from any of the disqualifications specified under section 42 D of the Act.
- g) Details of Directors/ Partners, Promoter and Key Management Personnel are to be provided in the Form prescribed in Schedule I – Form F with the FIT and Proper criteria format as mentioned in Schedule I – Form G.
- h) List of broker qualified persons who will be responsible for soliciting and procuring insurance business along-with their qualifications are to be provided in the Form prescribed in Schedule I – Form F.
- i) Details of statutory auditors and Principal Bankers along with the Bank Account Number of applicant.
- j) Details of infrastructure including IT infrastructure along with supporting evidence thereof like ownership/ lease agreement papers with regard to office space/ equipment/ trained manpower, etc. for the registered office with

photographs of premises and the future planning for opening branch offices at various locations in the country and the estimated time frame.

- k) Projections of administrative expenses, salaries and wages and other expenses, draw the revenue account, the profit and loss account and the balance sheet for the projected 3 years.
- l) Organization chart giving a complete picture of the company's activities like IT, underwriting, risk assessment, claims settlement, marketing, accounts, back office etc.
- m) List of experienced personnel inducted from insurance background with good knowledge and experience of working in the areas of risk assessment, underwriting and claims management etc. Submit detailed CV, copies of educational qualifications along with their appointment/joining letters of the people, so selected, to the Authority.
- n) Any other information, which is relevant to the nature of services rendered by the applicant for the growth and promotion of insurance business.
- o) Any other requirements as deemed necessary by the authority.

B. Signatories.

- a) Two Directors and the Principal Officer should sign the Application Form and the various formats mentioned above.

The above list of documents/requirements is indicative only and not exhaustive. The additional documents will be advised based on the category of registration applied, pattern of shareholding, any other compliance matter required as per these Regulations.

C. Personal Presentation

The applicant on fulfilling the given requirements to the satisfaction of the Authority may be required to appear before the Authority for a presentation of business plans in connection with the application.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Brokers) Regulations, 2018

SCHEDULE I – Form D (see regulation 5(4) and 9)

Fees and Renewal Fees

1. Every insurance broker at the time of application for certificate of registration, pay a non-refundable application fees as set out below:

Category of Insurance broker	Amount of application processing fee payable
Direct broker	Rs.25,000
Reinsurance broker	Rs.50,000
Composite broker	Rs.75,000

2. Every insurance broker shall pay fees as set out below:

Category of insurance broker	Amount of fee payable
Direct broker	Rs.50,000/- after grant of in-principle approval in case of a fresh applicant. In the case of Renewal of Registration, the fee shall be Rs 1,00,000/- for a period of 3 years

Reinsurance broker	Rs.1,50,000/- after grant of in-principle approval in case of a fresh applicant. In the case of Renewal of Registration, the fee shall be Rs 3,00,000/- for a period of 3 years
Composite broker	Rs.2,50,000/- after grant of in-principle approval in case of a fresh applicant. In the case of Renewal of Registration, the fee shall be Rs 5,00,000/- for a period of 3 years

3. The fee payable at (2) above shall be for the validity period of Certificate of Registration.

4. The fees shall be payable by electronic means or Demand Draft in favour of “The Insurance Regulatory and Development Authority of India” payable at Hyderabad.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form E
(see regulation 8(2))**

Requirement of qualification, training and passing of examination for Principal Officer and Broker Qualified Persons

Part I

Requirements for Principal Officer and Broker Qualified Persons

=====
Section 1: Minimum Educational Qualifications
=====

- (1) Bachelors degree in Arts, Science, or Social Sciences or Commerce or engineering or law or its equivalent from any institution/ university recognized by any State Government or the Central Government; or
- (2) Masters in Business Administration or its equivalent from any institution/ university recognized by any State Government or the Central Government; or
- (3) Associate/ Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or
- (4) Associate/Fellow of the Institute of Risk Management, Mumbai; or
- (5) Any post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad; or
- (6) Associate/ Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi; or
- (7) Associate/ Fellow of the Institute of Cost and Works Accountants of India, Kolkata; or
- (8) Associate/ Fellow of the Institute of Company Secretaries of India, New Delhi; or
- (9) Associate/ Fellow of the Institute of Actuaries of India; or
- (10) Associate/Fellow of Chartered Insurance Institute, London; or
- (11) Chartered Financial Analyst of Institute of Chartered Financial Analyst of India; or
- (12) Certified Associateship of the Indian Institute of Bankers, Mumbai; or
- (13) any other qualification specified from time to time by the Authority.

=====
Section 2: Certification through a Professional Training and Examination:
=====

- (a) The Principal Officer and Broker Qualified Persons of the applicant should have completed the prescribed fifty hours of theoretical and practical training from an institution recognised by the Authority from time to time, and should have passed an examination, at the end of the period of training, conducted by the National Insurance Academy, Pune or any other examining body recognised by the Authority.

- (b) The theoretical and practical training from an institution recognised by the Authority from time to time as mentioned in (a) above shall be twenty five hours in cases where the principal officer and Broker Qualified Persons of the applicant:
- (i) is an Associate/ Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or Associate/ Fellow of the Institute of Risk Management, Mumbai; or Associate/ Fellow of the Institute of Actuaries of India; or any post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad; or Associate/Fellow of Chartered Insurance Institute, London; Associate/Fellow of- Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accounts and Works of India, Institute of Company Secretaries of India, Chartered Financial Analyst of ICAI or any other qualifications as recognized by the Authority from time to time;
- (c) The candidate who is covered by (b) above, shall be required to pass the examination within one year from the end of the period of training, conducted by the National Insurance Academy, Pune or any other examining body recognised by the Authority.

Part II

Certificate for Principal Officer and Broker Qualified Person

The Principal Officer and Broker Qualified Person of the applicant shall fulfill the following requirements –

- a. The Principal Officer and Broker Qualified Person of the applicant shall have valid certificate issued by NIA, Pune or any other body recognized by Authority.
- b. The certificate shall be valid for a period of three years from the date of issue.
- c. The certificate issued to the principal officer and the broker qualified person will carry the name of the broker who has sponsored the individual as well the individual's Aadhaar Card No or any other field that may be mandated by the Authority.
- d. In case the principal officer or broker qualified person of an insurance broker wishes to work for any other insurance broker, he shall do so by applying to the body recognized by the Authority through the proposed insurance broker along with a no objection certificate issued by the present insurance broker.
- e. In case, the present insurance broker does not issue a no objection certificate within 30 days, it shall be deemed that the insurance broker has no objection to his switching over.
- f. After receipt of request from the insurance broker, a revised certificate changing the name of the insurance broker shall be issued by NIA Pune or any other body recognized by the Authority.
- g. The data of principal officers and broker qualified persons of insurance brokers shall be shared by NIA, Pune or any other body recognized by the Authority with the Authority in the manner and form as may be specified.
- h. In case of Principal Officer or Broker Qualified Person who are qualified and already working with an insurance broker licensed under Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013, they may continue to work with insurance brokers registered under these regulations.
- i. However, the details of such Principal Officers and Broker Qualified Persons shall be provided to NIA, Pune or any other body recognized by the Authority in the manner at the time of making an application for granting registration or within six months from the date of their registration.
- j. After receipt of the details, NIA Pune or any other body recognized by the Authority will issue to such Principal Officers or Broker Qualified Persons a certificate as specified above.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

SCHEDULE I – Form F
(see regulation 8(2))

Particulars of Principal Officer/Directors/Partners/Promoters/ Key Management Personnel

Personal details of Principal Officer/ Directors/ Partners/ Promoters/ Key Management Personnel			
Full Name			Mention Mr. / Mrs.
Address			
Date of Birth		Phone No	
Nationality		Cell No	
Position in the Organisation		FAX No	
DIN No. (if applicable):		Aadhaar No.:	
Current Position held from		Email id	
		Web Address	
Description of Duties / Responsibilities			
Qualifications Experience and Achievements			
Name of the Institute	Country	Qualifications	Year of Study / Graduation
Professional Qualification. (See Section 1 below for Mandatory Professional Qualifications)			
Present Shareholding in this Company – Position as on _____			
Name of the Company	No of shares held	% of shares held in the company	
Equity Interest in other Companies / Shareholding held in other companies			
Name of the Company	No of shares held	% of shares held in the company	
Directorship / Partnership / Proprietor positions held in other companies			
Name of the company	Position held in the Organisation	Period (from ___ to ___)	

Working Experience				
Name of the employer	Nature of Business	Designation	Description of duties	Period

- 1) I declare that all information given in this application above is true and correct.
- 2) I declare that I have filled in the FIT and Proper statement and enclosed it along with this form

Signature
Name
Date

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form G
(see regulation 8(2))**

FIT AND PROPER CRITERIA

The applicant should satisfy the Authority that -

- a) The Principal Officer is a fit and proper person to be registered;
- b) The Principal Officer as defined in regulation 2 of these Regulations, is fit and proper person to hold the office;
- c) All of its promoters /partners / directors are fit and proper persons;
- d) All persons having effective control on the applicant are fit and proper persons to carry out the business.
- e) All Key Management Personnel of the applicant are fit and proper

Declaration and Undertaking for Principal Officer/Directors/Partners/Promoters/Key Management Personnel.

‘Declaration and Undertaking’ prescribed for the purpose of conducting due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of Principal Officer/Directors/Partners/Promoters/Key Management Personnel is given below

A separate form needs to be submitted by each individual.

Name of Applicant / Insurance Broker: _____	
Personal Details	
	Full Name
	Position in the entity
	Date of Birth
	Educational Qualifications
	Relevant Background and Experience
	Permanent Address
	Present Address
	E-mail Address / Telephone Number
	PAN under the Income Tax Act Name and address of Income Tax Circle
	Aadhaar No.
	Relevant knowledge and experience in Insurance

	Any other information relevant to position	
Relevant FIT & Proper Criteria		
If answer is YES to any of the questions; please give full details.		
	Have you ever registered or obtained license from any of the regulatory authorities under any law such as SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA, FMC etc.	
	Have you carried on business under any name other than the name stated in this application	
	Have you ever been refused or restricted by any regulatory authority to carry on any business, trade or profession for which a specific license or registration or other authorization is required by law.	
	Have you been ever censured or disciplined or suspended or refused permission or license or registration by any regulatory authority to carry on any business activity	
	Have you been subject to any investigations or disciplinary proceeding or have been issued warning or reprimand by any regulatory authority	
	Have you been convicted of any offence or subject to any pending proceedings under any law	
	Have you been banned from entry at any profession / occupation at any time.	
	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past for violation of economic laws and regulations	
	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against you	
	Do you attract any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies' Act 2013?	
	Have you been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	Have you at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	Have you at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDAI, DCA. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
	Has any of your group company/associate company/related party been carrying any license / registration issued by the IRDAI	
Any other explanation / information in regard to items I and II and other information considered relevant for judging fit and proper		
Undertaking		
I confirm that the above information is, to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Authority fully informed, as soon as possible, of all events, which take place subsequent to my appointment, which are relevant to the information provided above.		
Place:	Signature	
Date:	Name	

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form H
(see regulation 30 & regulation 8(2))**

CODE OF CONDUCT – Insurance Broker

- Every insurance broker shall follow recognised standards of professional conduct and discharge their functions in the interest of the clients or policyholders.
- Conduct in matters relating to clients relationship**— Every insurance broker shall:

- (a) conduct its dealings with clients with utmost good faith and integrity at all times;
- (b) act with care and diligence;
- (c) ensure that the client understands their relationship with the insurance broker and on whose behalf the insurance broker is acting;
- (d) treat all information supplied by the prospective clients as completely confidential to themselves and to the insurer(s) to which the business is being offered;
- (e) take appropriate steps to maintain the security of confidential documents in their possession;
- (f) hold specific authority of client to develop terms;
- (g) understand the type of client it is dealing with and the extent of the client's awareness of risk and insurance;
- (h) obtain written mandate from client to represent the client to the insurer and communicate the grant of a cover to the client after effecting insurance. Unless it is specifically mentioned otherwise, the written mandate obtained from the client shall be valid for a period of one year if the mandate has no validity period mentioned. However, in the case of pre-underwritten policies or retail/individual policies there is no requirement of obtaining mandate from the client;
- (i) obtain written mandate from client to represent the client to the insurer/ reinsurer; and confirm cover to the insurer after effecting re-insurance, and submit relevant reinsurance acceptance and placement slips;
- (j) avoid conflict of interest.
- (k) Obtain necessary documents required under KYC norms and share with insurance company.
- (l) Assist the client in opening e-insurance account.

3. Conduct in matters relating to Sales practices— Every insurance broker shall:

- (a) confirm that it is a member of the Insurance Brokers Association of India or such a body of insurance brokers as approved by the Authority which has a memorandum of understanding with the Authority;
- (b) confirm that he does not employ agents or canvassers to bring in business;
- (c) identify itself and explain as soon as possible the degree of choice in the products that are on offer;
- (d) ensure that the client understands the type of service it can offer;
- (e) ensure that the policy proposed is suitable to the needs of the prospective client;
- (f) give advice only on those matters in which it is knowledgeable and seek or recommend other specialist for advice when necessary;
- (g) not make inaccurate or unfair criticisms of any insurer or any member of the Insurance Brokers Association of India or member of such body of insurance brokers as approved by the Authority;
- (h) explain why a policy or policies are proposed and provide comparisons in terms of price, cover or service where there is a choice of products;
- (i) state the period of cover for which the quotation remains valid if the proposed cover is not effected immediately;
- (j) explain when and how the premium is payable and how such premium is to be collected, where another party is financing all or part of the premium, full details shall be given to the client including any obligations that the client may owe to that party;
- (k) explain the procedures to be followed in the event of a loss.
- (l) not indulge in any sort of money laundering activities.

- (m) ensure that the insurance broker does not indulge in sourcing of business by themselves or through call centers by way of misleading calls or spurious calls.

4. **Conduct in relation to furnishing of information** — Every insurance broker shall:

- (a) ensure that the consequences of non-disclosure and inaccuracies are pointed out to the prospective client;
- (b) avoid influencing the prospective client and make it clear that all the answers or statements given are the latter's own responsibility.
- (c) ensure that the information provided by the client on the basis of which the risk is accepted by the insurer is made part of the proposal form and shared with the client and the insurer. Any wrongful submission of information may be dealt as per the terms and conditions of the insurance contract.
- (d) ask the client to carefully check details of information given in the documents and request the client to make true, fair and complete disclosure where it believes that the client has not done so and in case further disclosure is not forthcoming it should consider declining to act further;
- (e) explain to the client the importance of disclosing all subsequent changes that might affect the insurance throughout the duration of the policy; and
- (f) disclose on behalf of its client all material facts within its knowledge and give a fair presentation of the risk.

5. **Conduct in relation to explanation of insurance contract** — Every insurance broker shall:

- (a) provide the list of insurer(s) participating under the insurance contract and advise any subsequent changes thereafter;
- (b) explain all the essential provisions of the cover afforded by the policy recommended by him so that, as far as possible, the prospective client understands what is being purchased;
- (c) quote terms exactly as provided by insurer;
- (d) draw attention to any warranty imposed under the policy, major or unusual restrictions, exclusions under the policy and explain how the contract may be cancelled;
- (e) provide the client with prompt written confirmation that insurance has been effected. If the final policy wording is not included with this confirmation, the same shall be forwarded as soon as possible;
- (f) notify changes to the terms and conditions of any insurance contract and give reasonable notice before any changes take effect;
- (g) advise its clients of any insurance proposed on their behalf which will be effected with an insurer outside India, where permitted, and, if appropriate, of the possible risks involved; and
- (h) not to favour any particular insurer while arranging insurance contracts to the clients.

6. **Conduct in relation to renewal of policies** — Every insurance broker shall:

- (a) ensure that its client is aware of the expiry date of the insurance even if it chooses not to offer further cover to the client;
- (b) ensure that renewal notices contain a warning about the duty of disclosure including the necessity to advise changes affecting the policy, which have occurred since the policy inception or the last renewal date;
- (c) ensure that renewal notices contain a requirement for keeping a record (including copies of letters) of all information supplied to the insurer for the purpose of renewal of the contract;
- (d) ensure that the client receives the insurer's renewal notice well in time before the expiry date.

7. **Conduct in relation to claim by client**— Every insurance broker shall: -
- (a) explain to its clients their obligation to notify claims promptly and to disclose all material facts and advise subsequent developments as soon as possible;
 - (b) request the client to make true, fair and complete disclosure where it believes that the client has not done so. If further disclosure is not forthcoming it shall consider declining to act further for the client;
 - (c) give prompt advice to the client of any requirements concerning the claim;
 - (d) forward any information received from the client regarding a claim or an incident that may give rise to a claim without delay, and in any event within three working days;
 - (e) advise the client without delay of the insurer's decision or otherwise of a claim; and give all reasonable assistance to the client in pursuing his claim.
8. **Conduct in relation to receipt of complaints** — Every insurance broker shall: —
- (a) ensure that letters of instruction, policies and renewal documents contain details of complaints handling procedures;
 - (b) accept complaints either by phone or in writing, including through electronic mode;
 - (c) acknowledge a complaint within fourteen days from the receipt of correspondence, advise the member of staff who will be dealing with the complaint and the timetable for dealing with it;
 - (d) ensure that response letters are sent and inform the complainant of what he may do if he is unhappy with the response;
 - (e) ensure that complaints are dealt with at a suitably senior level;
 - (f) have in place a system for recording and monitoring complaints.
9. **Conduct in relation to documentation** — Every insurance broker shall: —
- (a) ensure that any documents issued comply with all statutory or regulatory requirements from time to time in force;
 - (b) send policy documentation without avoidable delay,
 - (c) make available, with policy documentation, advice that the documentation shall be read carefully and retained by the client;
 - (d) not withhold documentation from its clients without their consent, unless adequate and justifiable reasons are disclosed in writing and without delay to the client. Where documentation is withheld, the client must still receive full details of the insurance contract;
 - (e) acknowledge receipt of all monies received in connection with an insurance policy;
 - (f) ensure that the reply is sent promptly or use its best endeavours to obtain a prompt reply to all correspondence;
 - (g) ensure that all written terms and conditions are fair in substance and set out, clearly and in plain language, client's rights and responsibilities;
 - (h) subject to the payment of any monies owed to it, make available to any new insurance broker instructed by the client all documentation to which the client is entitled and which is necessary for the new insurance broker to act on behalf of the client; and
 - (i) Assist the client in obtaining / receiving electronic insurance policies.

10. Conduct in matters relating to advertising — Every insurance broker shall conform to the relevant provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000, and: —

- (a) ensure that statements made are not misleading or extravagant;
- (b) where appropriate, distinguish between contractual benefits which the insurance policy is bound to provide and non-contractual benefits which may be provided;
- (c) ensure that advertisements shall not be restricted to the policies of one insurer, except where the reasons for such restriction are fully explained with the prior approval of that insurer;
- (d) ensure that advertisements contain nothing which is in breach of the law nor omit anything which the law requires;
- (e) ensure that advertisement does not encourage or condone defiance or breach of the law;
- (f) ensure that advertisements contain nothing which is likely, in the light of generally prevailing standards of decency and propriety, to cause grave or widespread offence or to cause disharmony;
- (g) ensure that advertisements are not so framed as to abuse the trust of clients or exploit their lack of experience or knowledge; and
- (h) ensure that all descriptions, claims and comparisons, which relate to matters of objectively ascertainable fact shall be capable of substantiation.

11. Conduct in matters relating receipt of remuneration — Every insurance broker shall: —

- (a) if requested by a client, disclose the amount of remuneration and reward and the basis of such remuneration and reward it receives as a result of effecting insurance for that client and whether there is any relation between him and the insurer.

12. Conduct in relation to matters relating to training — Every insurance broker shall:

- (a) ensure that its staff, particularly broker qualified persons, are aware of and adhere to the standards expected of them by this code;
- (b) ensure that staff, particularly broker qualified persons, are competent, suitable and have been given adequate training;
- (c) ensure that there is a system in place to monitor the quality of advice given by broker qualified persons engaged by it;
- (d) ensure that members of staff, particularly broker qualified persons, are aware of legal requirements affecting their activities; and only handle classes of business in which they are competent;
- (e) draw the attention of the client to Section 41 of the Act, which prohibits rebating and sharing of commission or remuneration or reward.

13. Information and Education common to direct & reinsurance brokers

- a) The insurance broker will support industry education initiatives aimed at explaining insurance to consumers and the community.
- b) The insurance broker will make readily available to client:
 - (i) Up-to-date information on insurance;
 - (ii) Information to assist insured to determine the level of insurance cover they may require; and

(iii) Information about insurance products and services, and this Code.

14. Every insurance broker shall display in every office where it is carrying on business and to which the public have access a notice to the effect that a copy of the code of conduct is available upon request and that if a member of the public wishes to make a complaint or requires the assistance of the Authority in resolving a dispute, he may write to the Authority.
15. An insurance broker as defined in these regulations shall not act as an insurance agent of any insurer under section 42 of the Act.
16. Every insurance broker shall abide by the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999(41 of 1999), rules and regulations made there under which may be applicable and relevant to the activities carried on by them as insurance brokers.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form I
(see regulation 8(2) & regulation 30)**

Additional Code of Conduct for Reinsurance Broker and Composite Broker

The reinsurance broker/composite broker while arranging reinsurance covers to its clients shall enter into a Terms of Business Agreement (TOBA) with the (re)insurer. The TOBA shall include, amongst the other things, the following.

- i) Nature and Scope;
- ii) Disclosures and documentation;
- iii) Premium Payment Terms including expected time of remittance of premiums/claims;
- iv) Handling of clients money
- v) Roles and responsibilities of each parties to the Agreement;
- vi) Regulatory compliance;
- vii) Remuneration;
- viii) Payment of Taxes;
- ix) Claims;
- x) Dispute Resolution;

The reinsurance broker/composite broker shall adhere to the following additional code of conduct -

1. General (applicable to all contracts of reinsurance)

- a) The insurance broker shall not enter the reinsurance markets either to develop terms for reinsurance cover or to place reinsurance on any risk without the specific written authorization of the insurer insuring the risk or insurer/reinsurer who has been asked to quote terms for the risk.
- b) The broker shall not block reinsurance capacity in anticipation of securing an order to place reinsurance.
- c) The insurance broker shall provide to the insurer/reinsurer, a true and complete copy of the reinsurance placement slip to be used, before entering the market. The insurance broker shall incorporate any modifications or corrections proposed by the insurer/reinsurer in the placement slip.

- d) The insurance broker shall put up to the insurer/reinsurer, all the terms (including the reinsurance commission and brokerage allowed) obtained by it from various reinsurers and indicate the share the lead reinsurer is willing to write at those terms and the expectation of the insurance broker about placement of the required reinsurance at the terms quoted, with acceptable reinsurance security.
- e) The insurance broker shall furnish to the insurer/reinsurer, a true copy of the placement slip signed by the lead reinsurer quoting terms, indicating thereon, the signed line of the reinsurer.
- f) Where reinsurance on a risk is proposed to be placed with different reinsurers at different terms, the fact that terms for all reinsurers are not uniform, shall be disclosed to reinsurers suitably.
- g) Once the insurer/reinsurer has accepted the reinsurance terms quoted, the insurance broker shall place the required reinsurance cover and shall keep the insurer/reinsurer informed about the progress of placement from time to time. In selecting the reinsurers to whom the risk is offered, the insurance broker shall be mindful of the need to use only such reinsurers who have a rating as required by IRDAI (General Insurance – Reinsurance) Regulations, 2016 and IRDA (Life Insurance-Reinsurance) Regulations, 2013. Where the reinsurance is over placed, the signing down shall be done in consultation with the insurer/reinsurer in a manner consistent with good market practice.
- h) Shall confirm to the insurer the remittance of premium and receipt of the same by the reinsurer concerned within ten days of such remittance.
- i) Immediately after completion of placement of reinsurance, the insurance broker may issue an insurance broker's cover note giving the terms of cover and the names of reinsurers and the shares placed with each of them. The cover note may contain a listing of all important clauses and conditions applicable to the reinsurance and where the wordings of clauses are not market standard, the wordings to be used in the reinsurance contract shall be attached to the insurance broker's cover note.
- j) The insurance broker shall follow up the cover note by a formal signed reinsurance policy document or other acceptable evidence of the reinsurance contract signed by the reinsurers concerned, within one month of receipt of reinsurance premium.
- k) The insurance broker shall have a security screening procedure in-house or follow credit ratings given by recognized credit rating agencies and answer without any delay, any questions raised by the insurer about the credit rating of one or more reinsurers. Where the insurer/reinsurer declines to accept a particular reinsurer for whatever reason and asks the insurance broker to replace the security before commencement of risk, the insurance broker shall do so promptly and advise the insurer/reinsurer of the new reinsurer brought on the cover.

2. Placement of Proportional Treaty or Non-proportional Treaty

- a) The insurance broker invited to place a proportional treaty shall prepare the treaty offer slip and supporting information with the cooperation of the insurer and secure the insurer's concurrence to the slip and information before entering the market.
- b) Where a reinsurance treaty is placed at different terms with different reinsurers, the fact that such is the practice shall be made known to all the reinsurers suitably.
- c) Where a reinsurer accepts a share in a treaty subject to any condition, the conditions shall be made known to the ceding insurer and its agreement obtained before binding the placement.
- d) The insurance broker shall advise the progress of placement of the treaty from time to time. Immediately after completion of placement, the insurance broker shall issue a cover note setting out the treaty terms and conditions

and list of reinsurers with their shares. Where a treaty is over-placed, the insurance broker shall sign down the shares in consultation with the insurer in a manner consistent with good market practice.

- e) The insurance broker shall secure signature of formal treaty wordings or other formal reinsurance contract documentation within three months of completion of placement.

3. Placement of Foreign Inward Reinsurance

- a) The insurance broker shall ensure that Indian Reinsurer(s) receive the reinsurance premium from the overseas insurer as per the premium payment condition stipulated in the reinsurance contract;
- b) The insurance broker shall not enter the Indian reinsurance markets either to develop terms for reinsurance cover or to place reinsurance on any risk without the specific written authorization of the overseas insurer insuring the risk or insurer who has been asked to quote terms for the risk.
- c) The insurance broker shall provide to the Reinsurer in India, a true and complete copy of the placement slip to be used, before committing any terms to the overseas insurer. The insurance broker shall incorporate any modifications or corrections proposed by the Reinsurer in the placement slip.
- d) The insurance broker shall put up to the overseas insurer, all the terms (including the reinsurance commission and brokerage allowed) obtained by it from various Indian reinsurers and indicate the share the reinsurer(s) is willing to write at those terms and the expectation of the insurance broker about placement of the required reinsurance at the terms quoted, with acceptable reinsurance security.
- e) The insurance broker shall furnish to the overseas insurer, a true copy of the placement slip signed by the Indian reinsurer quoting terms, indicating thereon, the signed line of the reinsurer.
- f) Where reinsurance on a risk is proposed to be placed with different reinsurers at different terms, the fact that terms for all reinsurers are not uniform, shall be disclosed to reinsurers suitably
- g) The insurance broker shall provide complete information as desired by the Indian reinsurer(s) to process the claim arising out of any Inwards business.

4. Reinsurance business placed with overseas reinsurers

- a) The insurance broker shall ensure that business is placed with only those overseas Reinsurers which are approved by the Authority under Guidelines on Cross Border Reinsurers;
- b) The Reinsurance broker shall ensure the compliance of any taxation, foreign exchange, Anti Money laundering or any other applicable statutory laws at the time of placing the reinsurance business.
- c) Reinsurance broker shall ensure that, while placing reinsurance business of a foreign insurer with any other foreign insurer/reinsurer, they comply with the applicable Laws of those jurisdictions.

5. Responding to Catastrophes and Disasters

- a) The insurance broker shall respond to catastrophes and disasters, such as floods, earthquakes, cyclones, severe storms and hail which result in a large number of claims, in a timely, professional and practical way and in a compassionate manner.

6. Conduct in relation to explanation of Reinsurance contract — Every Reinsurance or Composite broker shall:

- a) provide the list of Reinsurer(s) participating under the Reinsurance contract and advise any subsequent changes thereafter;

- b) explain all the essential provisions of the cover afforded by the policy recommended by him so that, as far as possible, the prospective insurer understands what is being purchased;
- c) quote terms exactly as provided by Reinsurer;
- d) draw attention to any warranty imposed under the policy, major or unusual restrictions, exclusions under the policy and explain how the contract may be cancelled;
- e) provide the insurer/reinsurer with prompt written confirmation that Reinsurance has been effected. If the final policy wording is not included with this confirmation, the same shall be forwarded as soon as possible; and
- f) notify changes to the terms and conditions of any Reinsurance contract and give reasonable notice before any changes take effect.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form J
(see regulation 10)**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No:

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to

to act as _____ broker
(Mention details of category)

under that Act.

2. Registration Code for the insurance broker is

3. This certificate of registration shall be valid from _____ to _____

4. This certificate of registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place :

By Order

Date : _____

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

2. ORGANISATION - STRUCTURE

2.1 Is there a change in status of the Applicant? (If yes, Please provide details) (e.g. limited company-Private/Public, partnership, others. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

2.2 Is there a change in details of Indian Promoters? (If yes, Please provide details)
Shareholding as on: _____

Name, address and contact details of Indian Promoters	Aadhaar No. (Individuals)/ PAN No. (Entities)	No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company	Foreign Investment? Yes or No, If yes, details

2.3 Is there a change in details of Indian Investors? (If yes, Please provide details)
Shareholding as on: _____

Name, address and contact details of Indian Investors	Aadhaar No. (Individuals)/ PAN No. (Entities)	No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company	Foreign Investment? Yes or No, If yes, details

2.4 Is there change in details of Foreign Investors? (If yes, Please provide details)
Shareholding as on: _____

Name, address and contact details of Foreign Investors	No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company

2.5 Is there a change in particulars of Directors/Partners/Proprietor? (If yes, Please provide details)

Name	Qualification	Experience in Insurance Broking services and related areas	Share in applicant firm /company	Directorship in other companies	Representing Indian Promoter/ Indian Investor/ Foreign Investor	DIN No.	Aadhaar No (For Indians/ Passport (For NRIs/ Foreign Directors)

2.6 Is there a change in name and activities of associate companies/ concerns? (If yes, Please provide details)

Name of Company/ Firm	Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter/ Director	Nature and interest of applicant company

Whether any one or more persons of the associate companies/ concerns are interested in the applicant's business?

2.7 Is there a change in name and Address of the Principal bankers of the applicant? (If yes, Please provide details)

2.8 Is there a change in name and address of the statutory auditors? (If yes, Please provide details)

3. BUSINESS INFORMATION

3.1 Three years business plan document with projected volume of activities and income (including anticipated) for which renewal of registration sought is to be specifically given.

3.2 Is there a change in particulars of Key Management Personnel? (If yes, Please provide details)

Name	Address & Contact Details	Qualification	Experience in Insurance Broking services and related areas	Share in applicant firm /company	Directorship in other companies	Key Management Position	Aadhaar No

3.3 Is there change to infrastructure like office space, equipment and manpower available with the applicant? (If yes, Please provide details)

3.4 Is there change to IT infrastructure like hardware, software, networking, disaster recovery, business continuity plans, cyber-security, data privacy, virus and hacking protection, security certification, etc available with the applicant? (If yes, Please provide details)

3.5 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

4. FINANCIAL INFORMATION

4.1 Capital Structure (Rs. in lakhs)

Capital Structure	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	Current year
a) Authorized Capital b) issue capital c) Paid-up capital d) Free reserves (excluding re- valuation reserves) e) Total (c) + (d)			
Note: - 1. In case of LLPs, please indicate capital minus drawings and/or loans to partners. 2. In case of LLPs, please indicate the financial position, means and net worth of the partners.			

4.2 Deployment of Resources (Rs. in lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Current year (mention the relevant FY)
a) Fixed Assets			
b) Plant & Machinery			
c) Office Equipment			
d) Quoted Investments			
e) Unquoted Investments			
f) Details of Liquid Assets			
g) Others			

(Details of Investments, Loans & Advances made to Associate Companies/Firms where Promoters/Directors have an interest is to be separately given).

4.3 Major Sources of Income: (Rs. in lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Current year (mention the relevant FY)
a) Life Insurance			
i) Remuneration			
ii) Reward			
iii) Risk Management Services			
iv) Claims Consultancy services			
v) Investment Income			
b) General Insurance including stand-alone health insurance			
i) Remuneration			
ii) Reward			
iii) Risk Management Services			
iv) Claims Consultancy services			
v) Investment Income			
c) Reinsurance			
i) Remuneration			
ii) Reward			
iii) Risk Management Services			
iv) Claims Consultancy services			
v) Investment Income			
Others (Pls specify)			

4.4 Income and Profit before Tax (PBT) (Rs. lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year(mention the relevant FY)	Preceding year(mention the relevant FY)	Current year(mention the relevant FY)
Income and Profit Before Tax			

4.5 Dividend (Rs. In lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year(mention the relevant FY)	Preceding year(mention the relevant FY)	Current year(mention the relevant FY)
Amount			
Percentage			

Note: Please enclose three years audited annual accounts. Where unaudited reports are submitted, give reasons. If minimum capital requirement has been met after last audited annual accounts, audited statement of accounts for the period ending on a later date should also be submitted.

5. OTHER INFORMATION, IF ANY

5.1 Details of all settled and pending disputes:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled	Date of settlement

5.2 Details of penalties/ warnings/ etc. levied by the Authority in last 3 years.

5.3 Details, if any, of any economic offences by the applicant or any of the Partners/ Directors, or key managerial Personnel in the last three years.

6. Documents attached:

7. Fee Payment:

Note: A non-refundable fee (depending on the category applied for) and specified in Regulation 14 and Schedule – I – Form D of IRDA of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018

Details of Payment: Demand Draft No: ----- Date: -----

Name of the Bank:

Other modes of payment: RTGS/ NEFT/ Electronic Mode

8. Undertaking

8.1 WHETHER ANY PERSON directly or indirectly connected TO APPLICANT HAS BEEN REFUSED FOR THE LICENCE/CERTIFICATE OF REGISTRATION IN THE PAST OR NOT

Name of the Persons	Relationship with the Applicant	Training Details

For the purpose of this sub-clause, the expression “directly or indirectly connected” means a relative in the case of any individual, and in the case of a firm or a Company or a body Corporate- an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group Company of the applicant.

9. DECLARATION

THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY TWO OF THE DIRECTORS, TWO OF THE PARTNERS AS THE CASE MAY BE.

- 1) We hereby apply for renewal of certificate of registration.
- 2) We have gone through the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and are satisfied that:
 - a. We are eligible to apply for renewal of certificate of registration.
 - b. We state that we have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of renewal of our certificate of registration.
 - c. We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.

- d. We undertake that we shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration or reward earned by us during the registration period.
- e. We undertake to service the run-off business on the books at the time of cancellation or non-renewal of certificate of registration.
- f. We declare that we do not possess an insurance agent or insurance intermediary certificate of registration under section 42 and 42D of the Act.

For and on behalf of

(Signature & Name) {Block Letters}	(Signature & Name) {Block Letters}
Director	Director
Name of the Applicant	Name of the Applicant
Place:	Place:
Date:	Date:

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form L
[see regulation 14(8)]**

CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

Registration No:

1. The Certificate of Registration of M/s. _____ Category _____ Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
2. Issued at Hyderabad on _____ day of _____ Two thousand _____.
3. This Certificate of Registration shall be valid from _____ to _____.
4. This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars, & Directions issued by the Authority from time to time.

Place:

Date : _____

By Order

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

SCHEDULE I – Form M
[see regulation 14 (9)]

Documents to be attached with the Renewal Application Form

1. Schedule I – Form K (Renewal form) duly filled in.
2. DD or payment using electronic mode towards renewal fee.
3. Renewal checklist duly signed by a Director/Partner and the Principal Officer of the Company.
4. Shareholding pattern of the company as of now and at the time of previous renewal duly certified by CA as per Schedule I – Form N.
5. Renewal training certificate for 25 Hrs. undergone by the Principal Officer and Broker qualified persons.
6. Undertaking duly signed by a Director/Partner and the Principal Officer of the Company as per Schedule I – Form O.
7. List of Broker Qualified Persons along-with the Branch Office they are reporting
8. Business premium figures and list of top 10 clients year-wise for the last three years.
9. Certificate from CA certifying compliance of Regulation 33 in respect of Reinsurance/ Composite Insurance Brokers.
10. Any other document specific to the applicant.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

SCHEDULE I – Form N
[see regulation 14 (9)]

Format of Share holding Pattern

S.No.	Name of the Share holder	Promoter/ Investor/ Foreign Investor	At the time of registration/ last renewal whichever is later (as on.....)		At the time of renewal application		Remarks
			No. of shares held	Percentage of Paid up share capital	No. of shares held	Percentage of Paid up share capital	

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

SCHEDULE I – Form O
[see regulation 14(9)]

Undertaking Format

Ref. No.
Insurance Regulatory and Development Authority of India
HYDERABAD

Date

Sir,

UNDERTAKING

We hereby submit the following undertaking and confirm as under that:

1. There is no intervention by any other Regulatory Authority on the Promoters / Management / Applicant Company as on the date (If there is any intervention, details of the intervention to be furnished).
2. The company has ___ No. of persons in employment as on date and will ensure to employ a minimum of 2 broker qualified persons in employment, during the process of application, who have the necessary qualifications specified in Schedule I - Form-E and necessary experience to conduct the business of insurance broker under Reg. 8(2)(c).
3. No Director / Partner/Principal Officer / Employee / person directly or indirectly connected with the Applicant Company, has been refused in the past the grant of a registration by the Authority.
4. The Principal Officer and Broker qualified persons have not violated the code of conduct as specified under Schedules I- Form H and Form-I, whichever is applicable, of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.
5. The Applicant Company will comply with Regulation 8(2) (j) confining to Main Objects of the Memorandum of Association filed with the Authority.
6. The Principal Officer is appointed exclusively to carry out the functions of the Insurance Broker under Regulation 4 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and is neither holding any full-time Directorship / Employment / Assignment in nor represents, either on full time or on part time basis, any other Insurance related or any other entity.
7. The directors/ partners and employees of the company holding any directorship / employment in or representing any other insurance related entity do not have conflict of interests.
8. The Office Premises of the Insurance Broker and its branches are and will be exclusively used for Insurance Broking Business only and no other activity will be carried on.
9. We have assisted the clients in paying the premium as per sec. 64 VB of the Insurance Act, 1938 and have not paid the premium on behalf of the clients, all the times.
10. We have not given any rebates of the whole or part of the commission or remuneration or reward payable or premium shown either directly or indirectly in compliance with sec. 41 of Insurance Act, 1938.
11. We confirm that the minimum capital requirement is not diluted by its use in buying shares and securities as also keeping Inter Corporate Deposits and giving loans etc.
12. We confirm that the functions as specified in Regulation 4 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 have been complied with during the Registration period.
13. We confirm that the company is complying with Indian Owned and Indian Control requirements as laid down by the Authority during the Registration period.
14. We confirm that the company has complied with the paid-up capital and net worth requirements as laid down by the Authority during the Registration period.
15. We confirm that the company has maintained a professional indemnity policy as required by the Authority during the Registration period.
16. We confirm that the company has complied with the segregation of insurance monies for its reinsurance related activities as required by the Authority during the Registration period.

We confirm that the above statements are true to the best of our knowledge and belief.

We further undertake to comply with all the applicable Regulations / Rules / Notices / circulars as prescribed by the authority from time to time.

Principal Officer	(Director, other than the PO)
Signature	Signature
Name	Name
Date	Date

Note: Strike out the declaration not applicable and attach relevant information separately.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form P
[see regulation 17(1)]**

Application for Duplicate Certificate of Registration

1. I inform you that our Certificate of Registration No _____ has been
1. Lost
 2. Destroyed
 3. Mutilated

By the following reasons _____

2. Fee payment:
A non-refundable fee of Rs. 1000/- will need to be paid to IRDAI

Payment details:

Demand Draft No: _____ Date: _____ Name of the bank: _____

Other modes of payment:

3. Declaration

I hereby apply for the duplicate certificate of registration under regulation 17.

I/we therefore request the authority to kindly issue a duplicate certificate of registration in light of the circumstances explained above.

I _____ solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Director 1

Signature of Director 2

Date:

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE I – Form Q
[see regulation 17(2)]**

DUPLICATE CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No:

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to

to act as _____ broker

(Mention details of category)

under that Act.

2. Certificate of Registration Code for the insurance broker is

3. This Certificate of Registration shall be valid from _____ to _____

4. This Certificate of Registration is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date :

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE II – Form R
[see regulation 20 (2)]**

Manner of calculation of equity capital held by foreign investors

- (1) For the purposes of the Act and these Regulations,
- a. The Indian promoter, Investor, Indian Investor and Foreign Investor shall have the same meaning as given in Regulation 2 of the IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000.
 - b. the calculation of the holding of equity shares by one or more Foreign Investors in the applicant company, shall be made as under and shall be aggregate of: -
 - i. the quantum of paid up equity share capital held by the Foreign Investors including foreign venture capital investors, in the applicant company; and
 - ii. the proportion of the paid up equity share capital held or controlled by such foreign investor(s) either by itself or through its subsidiary companies in the Indian promoter(s) or Indian Investor(s) as mentioned in sub-clause (a) of this Form.

Provided that clause (ii) shall not be applicable to an Indian promoter or Indian investors namely:

(i) a banking company as defined in sub section(c) of section 5 of the Banking Regulations Act, 1949 but does not include a foreign bank or branch thereof functioning in India;

(ii) a public financial institution as defined in section 2(72) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

Explanation: if the Indian promoter is a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), it shall not be a subsidiary as defined in section 2(87) of that Act

- (2) Every Insurance broker who has been granted registration under these Regulations shall, within 45 days of the end of every quarter, furnish to the Authority a statement indicating changes exceeding 10% of the paid up capital of the promoter.
- (3) However, any change in excess of 25% of the paid up capital of the promoters shall be reported to the Authority immediately.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE II – Form S
[see regulation 24 (1)]**

Maintenance of Professional Indemnity Insurance

- (1) The insurance cover must indemnify an insurance broker against
- a. any error or omission or negligence on their part or on the part of their employees and directors;
 - b. any loss of money or other property for which the insurance broker is legally liable in consequence of any financial or fraudulent act or omission;
 - c. any loss of documents and costs and expenses incurred in replacing or restoring such documents;
 - d. dishonest or fraudulent acts or omissions by insurance brokers' employees or former employees.
- (2) The indemnity cover —
- a. shall be on a yearly basis for the entire period of registration;
 - b. shall not contain any terms to the effect that payments of claims depend upon the insurance broker having first met the liability;
 - c. shall indemnify in respect of all claims made during the period of the insurance regardless of the time at which the event giving rise to the claim may have occurred.
- Provided that an indemnity insurance cover not fully conforming to the above requirements may be permitted by the Authority in special cases for reasons to be recorded by it in writing.
- (3) Limit of indemnity for any one claim and in the aggregate for the year in the case of insurance brokers shall be as follows:

Category of insurance broker	Limit of indemnity
(a) Direct broker	Two times remuneration received at the end of every financial year subject to a minimum limit of rupees one crore and atleast Rs 50 crore, if twice the remuneration limit is equal to or more than Rs 50 crore
(b) Reinsurance broker	Two times remuneration received at the end of every financial year subject to a minimum limit of rupees four crore and atleast Rs 75 crore, if twice the remuneration limit is equal to or more than Rs 75 crore
(c) Composite broker	Two times remuneration received at the end of every financial year subject to a minimum limit of rupees five crore and atleast Rs 100 crore, if twice the remuneration limit is equal to or more than Rs 100 crore

- (4) The un-insured excess in respect of each claim shall not exceed five percent of the capital employed by the insurance broker in the business.
- (5) The AOA: AOY limit shall be 1:1
- (6) The retroactive date shall begin from the date of grant of license/ certificate of registration.
- (7) The insurance policy shall be obtained from any registered insurer in India who has agreed to —
- a) provide the insurance broker with an annual certificate containing the name and address, including the registration number of the insurance broker, the policy number, the limit of indemnity, the excess and the name of the insurer as evidence that the cover meets the requirements of the Authority;
 - b) send a duplicate certificate to the Authority at the time the certificate is issued to the insurance broker; and
 - c) inform the broker immediately of any case of voidance, non-renewal or cancellation of cover mid-term.
- (8) Every insurance broker shall—
- a) inform immediately the Authority should any cover be cancelled or voided or if any policy is not renewed;
 - b) inform immediately the insurer in writing of any claim made by or against it;
 - c) advise immediately the insurer of all circumstances or occurrences that may give rise to a claim under the policy; and
 - d) advise the Authority as soon as an insurer has notified that it intends to decline indemnity in respect of a claim under the policy.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

SCHEDULE II – Form T
[see regulation 25 (2)]

Transfer of shares

1) Registration of transfer

1. The insurance broker shall seek prior approval of the Authority for transfer of shares or issue of equity capital of an insurance broker which would result in change in the shareholding, where:
 - a. After the transfer, the total paid-up capital holding of the transferee in the shares of the insurance broker is likely to exceed twenty percent of its paid up capital; or
 - b. The nominal value of the shares intended to be transferred by an individual, or, group, constituents of a group or body corporate under the same management, jointly or severally exceeds ten percent of the paid up capital of the insurance broker

2) Application for transfer

The application seeking prior approval of the Authority shall be made in Form TA. The application shall be accompanied by the requisite documents and the details of the transferee as specified in Form TB.

3) Due Diligence

The Authority shall carry out the requisite due diligence of the proposed transfer prior to grant of approval for registration of transfer of shares under the Regulations or for issue of shares to the proposed transferee.

4) Conditions for approval

The Indian promoters shall hold shares in an insurance broker as approved by the Authority

Provided that the Authority shall while according its approval, specify such conditions on promoters as it may consider appropriate, including but not limited to:

- a. Infusion of additional capital in proportion of its shareholding or otherwise, at periodic intervals to ensure that the insurance broker is compliant with the net-worth requirements at all times; and
- b. Compliance with all regulatory stipulations imposed on the promoters, if any.

5) Foreign Investors

The foreign investors shall hold shares in an insurance broker in accordance with the provisions of Rules, Regulations, and Guidelines issued in this regard.

Provided that the Authority while according approval may prescribe such conditions as it may consider appropriate, including but not limited to:

- a. Infusion of additional capital in proportion of its shareholding or otherwise, at periodic intervals to ensure that the insurance broker is compliant with the net-worth requirements at all times; and
- b. Compliance with all regulatory stipulations imposed on the promoters, if any

6) Ceiling on Indian Investors

The investors excluding the foreign investors shall hold shares in an insurance broker subject to the following conditions:

- a) Where there are one or more investors in an insurance broker, no investor shall hold shares in an insurance broker exceeding twenty five percent of the paid up equity capital of such insurance broker.
- b) All investors as indicated at (a) above, jointly shall not hold more than twenty five percent of the paid up equity share capital of the insurance broker.
- c) While an investor in an insurance broker may be an investor in other insurance brokers, he shall not be a promoter in more than one insurance broker.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018
Form TA
[See regulation (25)]

Application seeking transfer of shares in Insurance Broker

1. In terms of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, (Name of the Insurance Broker) has been granted Certificate of Registration No.... on.....(date) to carry on insurance broking business.
2. The shareholding of the insurance broker at the time of grant of certificate of registration was as under

S.No.	Promoter / Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding
	1.....		
	2.....		
	3.....		

3. Post registration of the insurance broker, the shares of promoters / investors were transferred in favour of post grant of requisite approval of the Authority vide its letter no dated (where applicable)

S.No.	Promoter / Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding

4. The..... (Name of the Insurance Broker) hereby seek approval of the Authority in terms of Regulation 25 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 for (i) registration of transfer of shares held by the promoter(s) / investor (s) and / or (ii) allotment of shares on preferential basis through private placement as per details given below:

Sr. No.	Name of the Promoter/ Investor	Prior to transfer of shares		After the transfer of shares		remarks
		No. of shares held	Percentage of Paid up share capital	No. of shares held	Percentage of Paid up share capital held	

Note:

1. If the current shareholding pattern is not the same as the shareholding pattern at the time of registration/ last renewal (whichever is later), the details of the same should also be provided
2. The names of the shareholders who do not hold/never held more than 5% should be shown in 'Others' unless they are associated or part of Promoter share holders

On receipt of approval from the Authority, we shall ensure compliance with all regulatory requirements, including but not limited to the Corporate Laws and any other stipulations as may be applicable.

Place:

Date:

(Signature)

Principal Officer

(Name of the Insurance Broker)

Enclosed: Form TB

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018
Form TB

I. Documents and the details of the transferee (person buying shares/ investing into the broking company) accompanying the transfer of share application

Sl. No.	Particulars	Remarks
1	Name of the proposed Transferee: (Name and Full address giving the details of the proposed transferee)	
2.	Legal Form / Status :	Individual / LLP/ Partnership firm / Corporate Entity / Bank/ Financial Institution/ Any other (pl Specify)
3.	No. and Date of Incorporation: (Date of Birth in case of Individual)	
4.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax circle	
5.	(a) Transferee status :	Investor/ Promoter
	(b) Whether the investor and/ or promoter or its group company are also shareholder in an insurance entity. (If yes, then please give complete details)	
	(c) Whether the investor and/or its promoter or its group company is having shareholding in any other insurance entity. (If yes, then please give complete details)	
6.	Letter of Consent of proposed Transferee (Please provide copy of Board resolution approving acquisition in case of Corporate entity)	
7.	Copies of requisite approvals by the relevant jurisdiction / sector regulator as applicable	
8.	Copies of requisite approvals under Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA)	
9.	Letter of Consent of the proposed Transferee confirming compliance with all stipulations as may be laid down by the Authority.	
10.	Board Resolution of the applicant company seeking to issue shares, if applicable	
11	Fit and Proper	
	a. Declaration providing details of civil/criminal/ regulatory action taken/pending against the proposed transferee	
	b. Whether the transferee or the Directors of the transferee have ever been refused (or had revoked) a license or authorisation to carry on any regulated financial business. (If yes, then please give complete details thereof)	
	c. Details of any censure or disciplinary action initiated by any Government, Regulatory or Professional Body.	
	d. Whether any Governmental, Regulatory or Professional Body has ever investigated any company, firm or organisation with which the Directors and key persons have been associated as a director, officer, manager or shareholder. (If yes, then provide the complete details)	
12.	Details of any Agreement in place / proposed to be entered into with the insurance broking company.	
13.	Compliance of provisions of “Indian owned and controlled” (please attach a brief note on the same)	

II. List of documents to be submitted for consideration of application for transfer of ownership when the transfer is exceeding 20% of the total paid up capital

A. If the proposed buyer is a Corporate entity:

1. A certified copy of resolution of the Board of Directors approving the proposed change in shareholding.
2. A copy of the proposed shareholding pattern and duly certified by CA/ CS

3. A certified copy of the Board Resolution of the transferee to acquire the shares.
4. The details of the monetary consideration for transfer of shares.
5. A certified copy of the shareholding pattern of the transferee.
6. A confirmation, if any of the proposed shareholders is an FII, NRI, PIOs or Foreign Nationals.
7. A confirmation if any of the present directors of the Broking Company are already associated with the transferee.
8. The audited accounts of the transferee for the past three years, along with the certified copies of IT returns.
9. A certificate from the auditors to the effect that the transferee is not an NBFC, if applicable. No Objection Certificate obtained from RBI for acquisition of these shares if transferee is a Non-banking financial company
10. The detailed list and activities of associate companies/ concerns of the transferee.
11. Rationale for the restructuring of the share capital of the insurance broker.
12. An undertaking from the transferee that none of the Directors, Principal Officer and Key management personnel of the applicant company are holding any directorship/ employment in any other insurance related entity(s).
13. Any other document, if so required by the Authority.

B. If the proposed buyer is an Individual:

1. A copy of the proposed shareholding pattern and duly certified by CA/ CS
2. The net worth certificate and the Income Tax returns for the last three financial years of the transferee.
3. The details of the monetary consideration for the transfer of shares
4. A certified copy of resolution of the Board of Directors approving the proposed change in shareholding.
5. Duly Notorized Affidavit for source of funds to be invested in the Company by the transferee/s
6. Any other document, so required by the Authority.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018
SCHEDULE II – Form U**

[see regulation 33 (2)]

Manner of dealing insurance monies collected by reinsurance broker or composite broker in case of reinsurance contracts

The insurance money collected by the registered insurance broker shall be dealt with in the following manner:

- (a) he shall act as the trustee of the insurance money that he is required to handle in order to discharge their function as a reinsurance broker and for the purposes of this regulation it shall be deemed that a payment made to the reinsurance broker shall be considered as payment made to the reinsurer;
- (b) he shall ensure that 'insurance money' is held in an 'Insurance Bank Account' with one or more of the Scheduled Banks or with such other institutions as may be approved by the Authority;
- (c) he shall give written notice to, and receive written confirmation from, a bank, or other institution that he is not entitled to combine the account with any other account, or to exercise any right of set-off, charge or lien against money in that account;
- (d) he shall ensure that all monies received from or on behalf of an insurer is paid into the 'Insurance Bank Account' which remains in the 'Insurance Bank Account' to remain in deposit until it is transferred on to the reinsurer or to the direct insurer.
- (e) he shall ensure that any refund of premium which may become due to a direct insurer on account of the cancellation of a policy or alteration in its terms and conditions or otherwise shall be collected from the reinsurer and remitted to the direct insurer.
- (f) he shall take steps to promptly remit premiums/claims received to reinsurers/insurers/foreign insurance brokers, but not later than by fifteen days or as specified in the Terms of Business Agreement from the date of receipt of

the monies into their Insurance Bank Account. Any delay in remittance shall be informed to the reinsurer/insurer / foreign insurance broker and shall take their written consent for such delay;

- (g) he shall only remove from the 'Insurance Bank Account' remuneration or fees earned which may be transferred to any other account;
- (h) he shall ensure that no payment whatsoever is made from 'Insurance Bank Account' for the purposes other than those specified in this regulation;
- (i) he shall ensure that monies held in 'Insurance Bank Account' shall not be held in Fixed Deposits or invested in any instrument by the insurance broker;
- (j) he shall take immediate steps to restore the required position if at any time he becomes aware of any deficiency in the required "segregated amount".
- (k) He shall ensure any interest earned on the balances of 'Insurance Bank Account' is for the benefit of direct insurer or reinsurer.

Note: The insurance broker shall have to submit a certificate duly certified by a Chartered Accountant on the compliance of each and every provision of these regulations every half-year. In addition, the insurance broker shall submit a certificate every half-year duly certified by a Chartered Accountant on the amount of remuneration or fees earned during the period and any transfers made to any other account;

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE II – Form UA
[see regulation 34(7)]**

Certificate to be issued by the auditor of the broking company on compliance of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 to be submitted annually

Name of the Insurance Broker:

Certificate of Registration No.

Category of Registration

Validity of Registration:

Period to which this certificate relates:

We, M/s. _____, the Auditors of the broking company M/s..... based on our examination of the books of accounts and verification of other relevant records maintained for the purpose of rendering Insurance broking services for the year ended _____, we confirm that the Company has complied with the provisions, filings and documentation under the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 to the extent applicable to the Company during the year ended _____.

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE II – Form V
[see regulation 34(8)]**

APPOINTMENT OF STATUTORY AUDITORS & AUDITING OF THE FIRM

Details of the Insurance Broker			
Name of Insurance Broker			
Code Number			
Contact Address		Tel No Cell No FAX Email	
Registration validity from		Registration validity to	
Category			
Name of the Principal Officer			
DETAILS OF AUDITOR			
Name of audit firm			
Date of appointment of the audit firm			
Engagement for the audit relating to Accounting period ended 1st April ____ to 31st March ____ (If operations is for a part period please mention the period)			
Name of audit partner (who will be signing the audit report) ("Signing Partner")			
Is there a change in audit firm or Signing Partner from the preceding engagement?			
If yes, state the reason for the change			

I hereby confirm that the company has taken action on the deficiency if any pointed out by the auditor.

I hereby submit this application and declare that all information given in this application (including any annexes and appendices attached) is true and complete to the best of my knowledge and belief.

Name:

Designation: Principal Officer

Date:

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE II – Form W
[see regulation 34(9)]**

Certificate to be submitted by the insurer duly signed by CEO and CFO in case the remuneration and other payments made to insurance broker exceeds the limits stipulated

"We hereby confirm that we have paid an amount of Rs. to M/s. (name of the Insurance Broker and associates) for the period from to under following heads (to be annexed as an attachment) as remuneration or reward towards the business of ___ procured during the FY__ which is in excess of the limits stipulated by the Authority by (amount). The amount includes all payments paid directly or indirectly to this effect."

Signed by

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

Place:

Date:

- Note:** (1) The attachment shall contain the details of payments made to the insurance broker and its associates (specify the name of the associate) under various heads and shall be signed by both the CEO and CFO of the insurer.
 (2) Separate certificates to be submitted for each insurance broker.

Certificate to be submitted by the insurance broker duly signed by Principal Officer and CFO of the broking entity on the remuneration and other payments received from the insurer which is in excess of the limits stipulated

"We hereby confirm that we have received an amount of Rs..... from M/s. (name of the insurer) for the period from to under following heads (to be annexed as an attachment) as remuneration or reward towards the business of ___ procured during the FY__ which is in excess of the limits stipulated by the Authority by (amount). The amount includes all payments paid directly or indirectly to this effect."

Signed by

Principal Officer

Chief Financial Officer

Place:

Date:

- Note :** (1) The attachment shall contain the details of payments received by the insurance broker and its associates (specify the name of the associate) under various heads and shall be signed by both the Principal Officer and CFO of the insurance broker.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
 (Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE II – Form X
 (see regulation 36)**

Outsourcing of Activities

1. Core Activities

- (a) The Insurance broker shall not outsource any of the following activities in any manner whatsoever:
- i. the functions of the direct/ reinsurance/ composite broker as given in Schedule I – Form A under Regulation 4.
 - ii. risk management services unless the broker does not undertake this activity at all.
 - iii. claims consultancy services unless the broker does not undertake this activity at all.

2. Responsibilities of the Board of Directors – 1) The Board of the insurance broking company shall be responsible for the following functions under these Regulations:

The Board of Directors shall put in place an Outsourcing Policy covering the following:

- a) Framework for assessment of risks involved in outsourcing, including the confidentiality of data, quality of services rendered under outsourcing contracts.
- b) Parameters for determining materiality of outsourcing contracts for the purpose of determining enhanced oversight by the Insurer.
- c) Parameters for determining the cost-benefit analysis for each Outsourced activity.
- d) Guiding principles for evaluation of the Outsourced Service Provider including its ability and capability to provide the required services.
- e) Conflict management policy that ensure adherence to the provisions on related party transactions as envisaged in Companies Act, 2013.

- f) Norms for implementation and review of the Outsourcing Policy, Determining the management's responsibility for approving, determining the consideration amount involved and monitoring the outsourcing arrangements, and delegation of authority within the insurance broker;
 - g) The degree of due diligence required for other than-material (non-core) Outsourcing activities.
 - h) At least an annual review of the Outsourcing Policy keeping in mind the changes in the internal and external environment impacting the outsourcing arrangements.
 - i) Annual review of the summary of the outsourced activities of the insurance broker.
 - j) Approval of material outsourcing contracts as per the threshold limits prescribed in the Outsourcing Policy.
 - k) Ensuring that the pricing for related party outsourcing arrangements are consistent with accepted arms' length principles as enshrined in the Companies Act, 2013.
- 3. Outsourcing Service Providers:** An insurance broker can outsource activity to an entity (other than an individual) only where the activity to be outsourced is more than 5% of the total outsourcing expenditure (Material).
- 4. Due Diligence of Outsourcing Service Providers:** 1) An insurance broker shall before outsourcing the activities shall undertake due diligence of outsourcing service providers based on best practices and needs of the broking company such as:
- a) Does the main objective of the outsource service provider include activities outsourced.
 - b) Existence of the outsourcing service provider as projected.
 - c) Competence and experience to perform the activity proposed to be outsourced to it.
 - d) Assessing the capability of the outsourced Service Provider to employ standards envisaged, while performing outsourced activities.
 - e) Security and internal controls;
 - f) Business continuity management;
 - g) Where considered necessary, insurance brokers shall obtain independent reviews and market feedback on the service provider to supplement its own findings;
- 2) Due diligence undertaken during the selection process should be documented and evaluated periodically as part of the monitoring and control process of outsourcing.
- 5. Outsourcing Agreements:** 1) Outsourcing arrangements shall be governed by written agreements that are legally binding for a specified period, subject to periodical renewal, if necessary, that clearly describe all material aspects of the outsourcing arrangement, including the rights and obligations of all parties.
- 2) The outsourcing contracts, inter alia, shall have in place certain clauses or conditions listed below, as may be applicable:
- a) Information and asset ownership rights, information technology, data security and protection of confidential information;
 - b) Guarantee or indemnity from the Outsourcing Service Provider towards his commitment including liability for any failure;
 - c) Contingency planning of the Outsourcing Service Provider to provide business continuity for the outsourced arrangement;
 - d) Express clause that the contract shall neither prevent nor impede Insurance broker from meeting its respective regulatory obligations, nor the regulator from exercising its regulatory powers of conducting inspection, investigation, obtaining information from either the Insurance broker or the Outsourcing Service Provider;
 - e) The Insurance broker shall ensure that the Outsourcing service provider shall not sub-contract, whole or substantial portion of any of the Outsourced activity.
 - f) The Insurance broker shall factor in the additional risk which flows due to subcontracting at the time of due diligence.

6. **Confidentiality and Security:** The insurance broker shall satisfy itself that the outsourcing Service Provider's security policies, procedures and controls will enable the insurance broker to protect confidentiality and security of clients' / policyholders' information.
7. **Legal and Regulatory Obligations:**
 - 1) Insurance brokers shall ensure that outsourcing arrangements shall not:
 - a) diminish their ability to fulfill their obligations to Clients / Policyholders and the Authority.
 - b) impede effective supervision by the Authority.
 - c) result in their internal control, business conduct or reputation being compromised or weakened.
 - 2) These requirements apply irrespective of whether the outsourcing arrangements are entered into with an affiliated entity within the same group as the Insurance broker, or an outsourcing Service Provider external to the group. The Insurance broker shall comply with the provisions of Companies Act 2013 relating to Related Party Transactions.
 - 3) Outsourcing shall not diminish the obligations of an insurance broker and those of its Board and Principal Officer to comply with the relevant law/s and regulations.
 - 4) The Insurance broker is ultimately accountable for all acts of commission and omission of the outsourcing Service Providers.
 - 5) The Insurance broker's liability shall not in any way be restricted or limited by way of outsourcing.
 - 6) All the outsourcing Service providers engaged by insurance brokers are subjected to the provisions of the Insurance Act, 1938, IRDA Act 1999, Rules, Regulations and any other orders issued thereunder.
 - 7) With the objective of avoiding potential conflict of interest, Insurance brokers shall endeavour that the Related Parties of Insurance Brokers registered with the Authority shall ordinarily not be engaged for outsourcing any of the activities.
 - 8) Insurance Brokers shall not outsource any activity that leads to potential conflict of interest with the functions of the Insurance Brokers.
8. **Contingency Plans:**
 - 1) Insurance Brokers are expected to establish and maintain adequate contingency plans. This includes disaster recovery plans and backup facilities to support the continuation of an outsourced activity with minimal business disruption in the event of reasonably foreseeable events that affect the ability of an Outsourcing Service Provider to continue providing the service.
 - 2) The contingency plans should be appropriate to the potential consequences of a business disruption resulting from problems at the Outsourcing Service provider and should consider contingency plans maintained by the Outsourcing Service Provider and their coordination with the Insurance broker's own contingency arrangements.
 - 3) In particular, contingency plans should ensure that the Insurance broker can readily access all the records necessary to allow it to sustain business operations, meet statutory obligations, and provide any information relating to the outsourced activity as may be required by the Authority.
 - 4) Contingency plans should also be regularly reviewed and tested to ensure that they remain robust, particularly under changing operating conditions.
9. **Maintenance of Records:**
 - 1) Insurance Brokers are expected to ensure that adequate documentation is maintained to support their satisfaction.
 - 2) The documentation shall support the following aspects:
 - a) Materiality assessments
 - b) Adherence to the Insurance Broker's outsourcing policy
 - c) Cost benefit analysis
 - d) Due diligence reviews
 - e) Pricing assessments;
 - f) Risk evaluation; and

- g) The basis used to determine arm's length distance while arriving at the pricing of activities that involve outsourcing with related parties of the insurance broker.
- 3) The documentation should be available for review by the Board and the Authority as and when required.
- 4) Such documentation shall be maintained for five years from the end of the contract period by the Insurance brokers.

10. Regulatory Access: 1) Insurance Brokers shall, in all cases, obtain an undertaking from their outsourcing Service providers or include a provision within the Outsourcing agreement, giving authorised representatives of the Authority the right to: -

- a) examine the books, records, information, systems and the internal control environment in the Outsourcing Service Provider (or sub-contractor as applicable), to the extent that they relate to the service being performed for the Insurance broker; and
- b) access any internal audit reports or external audit findings of the Outsourcing Service Provider that concern the service being performed for the Insurance broker.

11. Reporting Requirements: Insurance brokers shall report all the outsourcing arrangements where annual pay-out per outsourcing service provider is ten lakh rupees or more to their Board of Directors for review.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE II – Form Y
(see regulation 41)**

Manner of Amalgamation, Merger & Acquisition and Transfer of business

1. Every scheme of amalgamation or merger & acquisition or transfer of business under these regulations shall be implemented only after the prior approval of the Authority.
Provided that no Scheme under these regulations may be approved if in the opinion of the Authority (i) the scheme is not compliant with any other applicable laws and regulations or (ii) the scheme is not in the best interests of the policyholders;
2. Every proposal for implementation of the scheme of transfer of business under these Regulations shall be jointly submitted by the Insurance Brokers or Insurance Intermediaries to the Authority along with the following documents:
 - a) draft of the agreement or deed under which it is proposed to effect the transfer of business;
 - b) balance-sheets of the parties of the transaction. Balance sheet shall be the (i) audited financial statements most proximate to the appointed date and (ii) latest quarter's unaudited financial statements.
 - c) a synopsis / executive summary of the proposed transaction, and the terms on which such transaction has been contemplated;
 - d) a report on the manner in which the interest of the policyholders will be protected; and a report on compliance with the applicable laws, including but not restricted to, the Competition Act, 2002 and the employment laws.
 - e) an undertaking from the transferor that it shall cease to undertake insurance broking activity in the line/s of insurance proposed to be transferred under the scheme.
 - f) any other undertaking as required by Authority.
3. The transfer shall be effective from such date as shall be specified by the Authority while granting its final approval to the Scheme.
4. The Authority may issue such directions as it deems fit, taking into account the facts and circumstances of each case, its regulatory objectives, the interests of policyholders and orderly growth of the insurance sector, in relation to any sequencing of measures involved in the Scheme being approved by it.
5. Timing - The Authority shall process and pass appropriate order on the application for business transfer as expeditiously as possible from the date of receipt of application for approval.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**SCHEDULE II – Form Z
[see regulation 42(3)]**

Inspection procedure

1. **Notice before inspection** — (a) Before undertaking an inspection under regulation 42, the Authority shall give a notice of at least ten days to an insurance broker for that purpose.
 - b) Notwithstanding anything contained in clause 1(a) above, where the Authority is satisfied that in the interests of the policyholders no such notice shall be given, it may, for reasons recorded in writing, direct that the inspection of the affairs of the insurance broker be taken up without such notice.
 - c) The insurance broker shall allow the inspecting authority to have full access to the premises occupied by such insurance broker or by any other person on its behalf and also extend all facilities for examining books, records, documents and computer data in the possession of the insurance broker.
 - d) The inspecting authority, in the course of inspection, shall be entitled to examine or record statements of any principal officer or employee of the insurance broker and have the powers to seize or make copies of documents/ records.
 - e) It shall be the duty of every such person to give to the inspecting authority all assistance in connection with the inspection which the insurance broker may reasonably be expected to give.
 - f) Failure to comply with the requirements of the Authority in this regard or failure to cooperate with the inspecting officers shall result in suspension of registration.
2. **Submission of report to the Authority** — The inspecting authority shall submit an inspection report to the Authority within 30 days of the completion of the inspection.
3. **Communication of findings, etc.**— (a) The Authority shall, after consideration of the inspection report, communicate its findings to the insurance broker. The insurance broker shall within 21 days from the date of receipt of communication respond to the Authority.
 - (b) On receipt of the explanation, if any, from the insurance broker, the Authority may direct the insurance broker to take such measures as it deems fit.
 - (c) Without prejudice to (b) above, the Authority may issue a notice to the Insurance Broker requiring him to show cause within 21 days from the date of receipt of the notice, why the registration granted to the insurance broker should not be suspended or cancelled or any other action as considered appropriate by the Authority should not be initiated.
 - (d) The Authority, upon considering the reply to the notice issued under (c) above, may pass an order directing the suspension or cancellation of the registration granted to the insurance broker or pass any other order as deemed appropriate based on the facts and circumstances of the case.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

**Schedule III- Form AA
[See Regulation 57(4)]**

List of documents for Voluntary Surrender of Certificate of Registration by the Insurance Broker

- i. The insurance broker shall ensure that, as on date of making the application, annual fee for all the preceding financial years has been paid.
- ii. A certified copy of resolution of the Board of Directors recording reasons for surrender of registration.
- iii. A confirmation from the Principal Officer that no fresh business would be placed from the date of their request for surrender of registration.
- iv. Original Certificate of valid Registration/License.
- v. An undertaking from Directors of the Company to service the existing clients whose policies are in force for a period of six months within which suitable arrangements shall be made by the insurance broker for having the contracts attended to by another registered broker as required.

- vi. To notify & inform to the Registrar of Companies and comply with their requirements under Companies Act for deletion of Main Objects of MOA/AOA or produce proof of steps taken to de-register the company with Registrar of Companies.
- vii. To submit the statistics on claims, business premium for the preceding three financial years, as may be specified.
- viii. To provide the details of every event that has come to the insurance broker's notice where insurance broker may become liable to pay damages or compensation to clients, whether covered by the professional indemnity policy or not, giving the following information:
 - i. Date of occurrence.
 - ii. Name of client concerned.
 - iii. Nature of event likely to give rise to a claim.
 - iv. Brief description of basis of claim.
 - v. Intimated or estimated amount of claim.
 - vi. Amount provided by the insurance broker in its books for the claim.
 - vii. Present status of claim.
- i) Any other information, required by the Authority.

Annexure – I-A

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018
(see regulation 39)**

Certificate to be issued by Auditors of the insurance broker on maintenance of capital and net worth required under regulations 19 & 22 to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Certificate of Registration No.

Category of registration:

Validity of registration:

1. We the Auditors of the insurance broker M/s..... having its registered office at have verified the books of accounts and certify that the broking company maintains the capital of Rs..... as at
2. We have computed the net worth of the insurance broker as per the provisions of the Companies act, 2013 and certify that the net worth of the company as at period ending on is Rs..... A copy of the certified duly signed and attested by us is attached herewith.
3. We also certify that the foreign investment in the insurance broker as at the same period ended ... has not breached the limits prescribed in the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.
4. We also certify that the broking company is not engaged in any other business and carrying the business of insurance broking exclusively.
5. During the period under review, there is a change/no change in the shareholding for which the company has obtained/not obtained the prior approval of the Authority for such change.
6. We further certify that all the outsourcing arrangement where annual pay-out per outsourcing service provider is Rs. Ten lakh or more (As per Schedule II-Form-X para-11) has been placed before the board of directors for review.

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

Annexure – I-B

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018
(See Regulation 39)**

Certificate to be issued by Auditors of the insurance broker on maintenance of Deposit required under regulation 23 to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Certificate of Registration No.

Category of Registration.

Validity of Registration:

Period to which this certificate relates:

We, M/s. _____, the Auditors of the insurance broker M/s. having its registered office at have verified the necessary records and certify and confirm that the insurance broker maintains a deposit of Rs., which is % of the minimum capital required under the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.

We furnish below the details:

- 1) Name and address of the Bank where deposit is maintained;
- 2) Date of deposit and date of maturity;
- 3) Confirm whether any notice is given to the bank, and due acknowledgement taken from the bank, notifying that-
 - a) the deposit shall have a lien with Authority;
 - b) the fixed deposit shall not be released to the insurance broker unless the prior permission of the Authority is obtained;
 - c) the deposit is not pledged for taking any loan or overdraft facility by the insurance broker.

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

Annexure – I-C

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018
(See Regulation 39)**

Certificate to be issued by Auditors of the Insurance Broker on maintenance of Professional Indemnity Insurance required under regulation 24 to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Certificate of Registration No.

Category of registration:

Validity of registration:

We have verified the necessary records and certify that the insurance broker has obtained a Professional Indemnity Insurance Policy from(name of the insurance company) as required under regulation 24 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018. The details of the same are as mentioned below.

- 1) Name and address of the Insurance Company;
- 2) Policy No. & Date of commencement of the policy;
- 3) Date of expiry of the policy;

- 4) Limit of Indemnity and the total remuneration received during the year;
- 5) Un-insured excess;
- 6) Ratio of AOA:AOY

It is also certified that the insurance broker has/has not received any intimation of claim under the policy and the same has/has not been informed to the insurance company which has issued the PI Policy in writing.

Name and signature of the Auditor
With seal
Date:
Place:

Annexure – I-D

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018
(See Regulation 39)**

**Certificate to be issued by Auditors of the insurance broker on Remuneration received by the broking company
under regulation 26 to be submitted half-yearly**

Name of the Insurance Broker:
Certificate of Registration No.
Category of registration:
Validity of registration:
Period to which this Certificate relates:

We have verified their books of accounts and certify that the insurance broker has not received remuneration or reward in excess of what is prescribed in regulation 26 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and circulars/regulations issued in the matter.

Name and signature of the Auditor
With seal
Date:
Place:

Annexure – I-E

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018
(See Regulation 39)**

**Certificate to be issued by Auditors of the insurance broker on Segregation of Insurance Money required under
regulation 33 to be submitted half-yearly**

Name of the Insurance Broker:
Certificate of Registration No.
Category of registration:
Validity of registration:
Period to which this Certificate relates:

We have verified the records and certify and confirm the following.

- 1) That the insurance broker has opened the “Insurance Bank Account” with Bank, in compliance of regulation 33 the details of which are annexed.

- 2) That the insurance broker has given written notice to and received written confirmation from the bank that the insurance broker is not entitled to combine the account with any other account or to exercise any right of set-off, charge or lien against money in that account.
- 3) That the Insurance Bank Account/s has/have not been combined with any other accounts. The said account/s are used exclusively for the purposes outlined in the regulations and are not used for general purposes.
- 4) That the insurance broker has only removed remuneration or fees earned from the Insurance Bank Account/s and transferred to their other accounts.
- 5) That the monies received from direct insurers/reinsurers as part of the reinsurance contracts are kept in the Insurance Bank Account/s and have not been diverted or transferred to any other account, except as per (4) above. The said amounts have been transferred to insurer/reinsurer before the due date as required under the reinsurance contract.
- 6) That monies held in 'Insurance Bank Account' are not held in Fixed Deposits or invested in any other instrument.

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

Annexure – I-F

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Insurance Brokers) Regulations, 2018**

(See Regulation 39)

Certificate to be issued by Auditors of the insurance broker on Segregation of Insurance Money required under regulation 33 to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Certificate of Registration No.

Category of registration:

Validity of registration:

Period to which this Certificate relates:

We have verified the records and certify and confirm the following.

- 1) the amount of remuneration or fees earned and which is transferred from 'Insurance Bank Account' to any other account is Rs. during the period to

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./401/17]